खण्ड ९ — अंक ९
२६ नवम्बर, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ८, १९५६

(१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 29.11.93
ment Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग १ — वाद-विवाद, खंड ८—१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६ — **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १०, १२ से १४, १६ से १९, २१, २२, २४, २६ से २८, ३०, और ३२ ... १–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११, १५, २०, २३, २५, ३१ और ३३ से ३८ ... २६–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ और ३ से २४ ३१–४०

दैनिक संक्षेपिका ४१–४२

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ८०, ४१, ४३ से ४७, ४९ से ५५ और ५७ ४३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४८, ५६, ५८ से ६३, ६५, ६७ से ७९ और ८१ से ८६ ... ... ६३–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ७६ ... ... ७२–९४

२२-३-१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर की शुद्धि ९४

दैनिक संक्षेपिका ९५–९८

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७, ८८, ९२, ९४ से ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०९ से ११५ और ११७ से १२० ... ... ९९–१२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९, ९०, ९१, ९३, ९७, १०७, १०८, ११६ और १२१ से १३६ ... ... १२१–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से ११० १२८–३९

दैनिक संक्षेपिका १४०–४२

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १३८, १४०, १४३ से १४७, १४९ से १५१, १५३ से १५६, १५८, १५९, १६२ से १६४, १६७ से १७१ और १७३ १४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४२, १४८, १५२, १५७, १६०, १६१, १६५, १६६, १७२ और १७४ से १९१ ... १६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १११ से १३९ १७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ... १८८–९१

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९४, १९६, १९७, १९९ से २०२, २०४, २०८, २१०-क, २१२, २१३, २१६ से २१८, २२० और २२१ १९१–२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९५, १९८, २०३, २०५ से २०७, २०९, २१० २११, २१४, २१५, २१९ और २२२ से २४२ २१२–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७४ ... २२२–३८

दैनिक संक्षेपिका २३९–४१

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४४, २४६, २४७, २५०, २५१, २५४, २५५, २५७ से २६१, २६५, २६६, २६८, २७० से २७२, २७५ और २७७ से २७९ २४३–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २४८, २४९, २५२, २५३, २५६, २६२ से २६४, २६७, २६९, २७३, २७४, २७६ और २८० से २८२ ... २६६–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ और १७७ से २१३ ... २७२–८४

दैनिक संक्षेपिका २८५–८८

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८३, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९५, २९७, ३०२, ३०५, ३०७ से ३१०, ३१४ से ३१६, ३१९, ३२६ से ३२८ २९३ और ३२९ ... ... २८९–३१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८४, २८५, २८७, २८९, २९१, २९६, २९८ से ३०१, ३०३, ३०४, ३११ से ३१३, ३१७, ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ और ३२५ ३१०–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ और २१६ से २४१ ... ... ३१९–२८

दैनिक संक्षेपिका ३२९–३१

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६ | पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ से ३३७, ३४० से ३४२, ३४४, ३४७, ३५१ से ३५३, ३५५, ३५७ और ३५८ ... ३३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३३९, ३४३, ३४५, ३४८ से ३५०, ३५४, ३५६ और ३५९ से ३८४ ... ३५३–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २८५ और २८७ से २९५ ... ३६५–८४

दैनिक संक्षेपिका ... ३८५–८८

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३८५, ३८६, ४२१, ३८७ से ४०२, ४०४ और ४०६ ... ३८९–४१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१३, ४१५ से ४२० और ४२२ से ४३७ ... ४१०–२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३४५ ... ४२०–३८

दैनिक संक्षेपिका ... ४३९–४२

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४४०, ४४२ से ४४५, ५०१, ४४६, ४४७, ४५१ ४५२, ४५५ से ४५८, ४६२ से ४६४ और ४६६ ... ३४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४३९, ४४१, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५४, ४५९ से ४६१, ४६५, ४६७ से ४८७, ४८९ से ५०० और ५०२ से ५०९ ... ४६५–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३७४ और ३७६ से ३८२ ... ४८३–९६

दैनिक संक्षपिका ... ४९७–५००

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१०, ५११, ५१३ से ५१९, ५२२ से ५२६, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५ और ५४६ ... ५०१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२, ५२०, ५२१, ५२९, ५३१ से ५३४, ५३६ से ५३८, ५४१, ५४४, ५४७ से ५७९ और ५८१ से ५८७ ... ५२३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४३६ ... ५४१–६४

तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ दिनांक २८-५-१९५६ के उत्तर की शुद्धि ... ५६४

दैनिक संक्षेपिका ... ५६५–६८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ से ६००, ६०३ से ६०५, ६०८, ६०९, ६११ और ६१३ ... ... ५६९–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ६०१, ६०२, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३ से ६२६, और ६२८ से ६३१ ... ... ५८९–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४७१ ५९७–६०८

दैनिक संक्षेपिका ... ६०९–११

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ से ६३६, ६३८, ६३९, ६४२ से ६४७, ६५४, ६५६, ६५८, ६६१, ६६३, ६६५ और ६६६ ... ... ६१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८ से ६५२, ६५५, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४ और ६६७ से ६७६ ... ६३५–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ से ४९५ ६४१–५१

दैनिक संक्षेपिका ६५२–५४

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६८५, ६८७ से ६९०, ६९३, ६९४, ६९८, ६९९, ७०१, ७०५, ७०८, ७१०, ७११, ७१३, ७१४, ७१६ और ७१७ ६५५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ से ६७९, ६८६, ६९१, ६९२, ६९५ से ६९७ ७००, ७०२ से ७०४, ७०६, स ७०७, ७०९, ७१२, ७१५ और ७१८ से ७४० ... ... ६७७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से ५३१ और ५३३ से ५५८ ६९०–७१४

दैनिक संक्षेपिका ७१५–१८

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४५, ७४६, ७४८ से ७५१, ७५४, ७५६, ७५८, ७६० से ७६४, ७६६, ७६८ और ७६९ ... ७१९–४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ७४०–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४७, ७५२, ७५३, ७५५, ७५७, ७५९, ७६५, ७६७ और ७७० से ८१२ ... ... ७४२–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५९ से ५८८ और ५९० से ५९६ ७५८–७१

दैनिक संक्षेपिका ७७२–७५

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ७१६, ८२०, ८२४, ८२६, ८२७, ८३०, ८३१, ८२९, ८३४, ८३९, ८४१ से ८४३, और ८४५ से ८४७ ७७७–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३, ८१७, ८१९, ८२१ से ८२३, ८२५, ८२८, ८३२, ८३३, ८३५ से ८३८, ८४०, ८४४, ८४९ से ८६८, ६४०, ६५३ और ६६२ ... ... ८००–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९७ से ६०६, ६०८ से ६५१ और ६५३ से ६६८ ८१२–३९

दैनिक संक्षेपिका ८४०–४३

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ से ८७१, ८७६, ८७८, ८८० से ८८२, ८८५ से ८८८, ८९०, ८९२, ८९६, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७ और ९१५ ८४५–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८७५, ८७७, ८७९, ८८३, ८८४, ८८९, ८९१, ८९३, ८९४, ८९७ से ९०२, ९०५, ९०८ से ९१४ और ९१६ से ९२६ ८६५–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७१५ ... ८७८–९४

दैनिक संक्षेपिका ८९५–९८

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ से ९३०, ९३३ से ९३८, ९४२, ९४५, ९४६, ९५७, ९४७, ९४९, ९५०, ९५२ और ९६३ ... ८९९–९२२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ और ३ ... ९२२–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९३१, ९३२, ९३९ से ९४१, ९४३, ९४४, ९४८, ९५१, ९५३ से ९५६, ९५८ से ९६२ और ९६४ से ९६६ ... ९२५–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ से ७६२ ९३२–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ९४९–५१

अंक १९—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ से ९७०, ९७५ से ९८३, ९८५, ९८६ और ९८८ से ९९१ ९५३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से ९७४, ९८४, ९८७ और ९९२ से १०१७ ... ९७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ८१४ ९८६–१००८

दैनिक संक्षेपिका ... १००९–१२

अंक २०—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०२०, १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३ से १०३६, १०३९ से १०४१, १०४४, १०४५, १०४७ और १०५१ ... ... १०१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०१९, १०२१, १०२३, १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३७, १०३८, १०४२, १०४३, १०४६, १०४८ से १०५० और १०५२ से १०७३ ... ... १०३५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१५ से ८२० और ८२२ से ८५३ ... ... १०४७–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १०६२–६४

M20LSD—190—25-3-1958—GIPF.

लोक-सभा

सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण

+

†*३८५. { **श्री बंसल** :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५६ में भारत के रक्षित बैंक द्वारा जारी की गई इन हिदायतों का क्या प्रभाव हुआ है कि गेहूं तथा दूसरे अनाज चने तथा दालों और सूती कपड़ों तथा सूत पर अनुसूचित बैंक ऋण न दें;

(ख) इस रोक को लगाने तक गेहूं, अनाज, चनों तथा दालों पर कुल कितना ऋण दिया जा चुका था और उस तिथि तक जिस तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, कितना ऋण दिया गया था; और

(ग) रोक लगाने की अन्तिम तिथि तक और उस तिथि तक जिस तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, वस्त्रों तथा सूत पर कुल कितना ऋण दिया गया है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) इस कार्यवाही से बढ़ती हुई कीमतों पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०**]

†**श्री बंसल** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में प्रश्न के भाग 'ग' के उत्तर में कपड़े और सूत के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि ३१ अगस्त को बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की राशि ६२ करोड़ रुपय थी जबकि २६ अक्तूबर को यह रकम ७१ करोड़ थी। यह वृद्धि हिदायतों के बावजूद हुई। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि उस समय जबकि कपड़े की मांग सामान्यतया अधिकतम होती है—मिलों को अपने पास कपड़े के स्टाक रखने के लिये बाध्य किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : प्रश्न स्पष्टतया पूछा जाना चाहिये । मैं प्रश्न को समझा नहीं ।

†**श्री बंसल** : प्रश्न का मतलब यह है कि बैंकों को हिदायतें दिये जाने पर भी कपड़े तथा सूत पर ऋण बढ़ रहा था । क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि उस समय जबकि देश में कपड़े की मांग सामान्यतया अधिकतम होती है—मिलों को अपने पास कपड़े का स्टाक रखने के लिये बाध्य किया गया ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह तो एक तर्क है, श्रीमान् । ऋण पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न मिलों से पृथक् एक अन्य क्षेत्र के बारे में, अर्थात् थोक व्यापार के बारे में था । यह बात ही कि कीमतें थोड़ी गिरी हैं, बढ़ी नहीं हैं—जैसा कि हमें डर था—रुकावट को न्याय सिद्ध करती है ।

जहां तक मिलों का सम्बन्ध है, स्वाभाविक रूप से यदि माल व्यापारियों के पास कम जायेगा मिलों के स्टाक बढ़ जाते हैं । मिलों के स्टाक पर ऋणों में कुछ वृद्धि हुई है ।

†**श्री बंसल** : क्या धान, चावल तथा दूसरे खाद्यान्नों तथा सूती वस्त्रों के बारे में बैंकों को दी गई हिदायतें वापस ले ली गई हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : सूती कपड़े के बारे में भी अभी तक रोक है । धान, चावल तथा अनाज के बारे में रोक हटाई जा रही है ।

†**श्री बंसल** : धान, चावल तथा दूसरे खाद्यान्नों पर रोक हटाते समय सरकार ने किन बातों पर ध्यान दिया था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : वास्तविक कारण यह है कि फसल का समय आ गया है और इस प्रकार के ऋण पर रुकावटों से किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

†**श्री कासलीवाल** : हिदायतों के बाद तथा उनसे पहले गेहूं तथा दूसरे अनाजों पर ऋण की मात्रा में कितने प्रतिशत कमी हुई ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे पास कुछ आंकड़े हैं । मैं प्रतिशत का हिसाब तो नहीं लगा सकता । किन्तु जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, चावल तथा धान पर अगस्त, १९५६ में ऋण की रकम ७,४९ लाख रुपये थी और १२ अक्तूबर को यह रकम ४,५५ लाख रुपये हो गयी और २६ अक्तूबर को ४,४३ लाख रुपये । दूसरे खाद्यान्नों, अर्थात् मोटे अनाज तथा दालों पर अगस्त में १८·५४ करोड़ रुपया ऋण दिया गया था । मेरे पास पृथक्-पृथक् आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु १२ अक्तूबर को यह रकम ११·६७ करोड़ रुपये थी और २६ अक्तूबर को रकम ९·९३ करोड़ रुपये । किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि ऋण की रोक किस प्रकार हो रही है क्योंकि यह संभव है कि खाद्यान्नों का उपभोग हो गया हो ।

†**श्री झुनझुनवाला** : उत्तर में कहा गया है कि गेहूं तथा दूसरे खाद्यान्नों पर से रुकावट किसानों के फायदे के लिये हटा ली गई थी । क्या यह सच नहीं है कि ऋण किसानों को नहीं बल्कि बिचौलिये व्यापारियों आदि को दिये जाते हैं, जो इन चीजों के स्टाक रखते हैं और उसे किसानों से खरीदते हैं—और इससे किसानों पर ही प्रभाव पड़ता है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैंने उत्तर में यह कहीं नहीं कहा है कि किसानों को सीधे ही ऋण दिया जाता है यद्यपि यह सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं द्वारा दिया जाता है । किन्तु ये बात होती है कि इस प्रकार से किसानों पर भी प्रभाव पड़ सकता है और इसी कारण से हम यह संरक्षण करना चाहते थे ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ग० ध० सोमानी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि रुकावटों के बाद कपड़े की कीमतों में कमी हुई है। क्या अब माननीय मंत्री कपड़ा व्यापारियों पर से यह रोक हटाने की कृपा करेंगे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय मित्र एक समझदार व्यापारी हैं और यह बात जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर सभा में नहीं दिया जा सकता।

†**डा० रामा राव** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान "दी हिन्दू" के हाल ही के एक सम्पादकीय की ओर गया है जिसमें उसने लिखा है कि कपड़े के मूल्य विशेषतया दक्षिण में नहीं गिरे—और वास्तव में यह नहीं गिरे हैं। इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मूल्य अधिक ही हैं, क्या यह उचित है कि ऋणों पर रुकावटें हटा दी जायें ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं समझता हूं कि मैंने उस सम्पादकीय को देखा है शायद पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा। "दी हिन्दू" को अधिकार है कि वह जैसे ठीक समझे अपनी राय बनाये। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि उन्हें यह बताऊं कि अपने सम्पादकीय किस प्रकार लिखें। किन्तु यह सच है कि दक्षिण भारत में धान तथा चावल की कीमतें गिरी नहीं हैं।

†**श्री बंसल** : माननीय मंत्री ने कहा है कि गेहूं तथा दूसरे अनाज पर ऋण से रोक इसलिये हटाई गई है कि नई फसल आ रही है। क्या सरकार को इस बात का विश्वास हो गया है कि इससे देश में अनाज की कीमतों में वृद्धि नहीं होगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय मित्र उत्तर स्वयं जानते हैं। कीमतों पर काबू रखने या आवश्यकता के अनुसार नियंत्रण लगा कर उन्हें विनियमित करने के लिये कई तरीके अपनाने पड़ते हैं—और ऋण रोकने का तरीका उनमें से एक है। जब से मैं इस पद पर आया हूं; मैंने कभी दावा नहीं किया है कि केवल ऋण रोकने से ही सारा काम निकल जायेगा। यह भी संभव है कि कई जगहों पर परिणाम हमारी आशाओं से विपरीत निकले। किन्तु सामान्य रूप से जो प्रभाव हम चाहते हैं वह हो रहा है और हमें इससे संतोष है।

†**डा० रामा राव** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण भारत में चावल की कीमतें नहीं गिरी हैं, क्या माननीय मंत्री कम से कम दक्षिण भारत में, धान तथा चावल पर ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगायेंगे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि इन ऋणों का स्तर इस स्थिति में आ गया है, जिससे कम यह नहीं हो सकता। मैंने धान पर ऋणों के बारे में आंकड़े दिये हैं जिससे माननीय मित्र को पता लगना चाहिये कि यह बहुत ज्यादा नहीं है, यह ४ करोड़ के लगभग है। इसलिये वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या नये स्टाक आ रहे हैं जिनके लिये ऋणों की आवश्यकता है और जब वह आयेंगे उनके लिये ऋणों की आवश्यकता होगी। और किसी प्रतिबन्ध से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि उनके लिये वित्त मुख्यतः बैंकों के धन से नहीं अपितु दूसरे संसाधनों से होता है।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा यह मामला प्रश्न द्वारा निपटाया नहीं जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ३८६, श्री गोपालन।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मेरे नाम में इसी विषय का एक और प्रश्न संख्या ४२१ है। मैं चाहता हूं कि प्रश्न संख्या ३८६ तथा ४२१ को एक साथ ले लिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री चाहते हैं कि प्रश्न संख्या ३८६ तथा ४२१ को एक साथ लिया जाये ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : मुझे दोनों का उत्तर एक साथ देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब हमें दोनों प्रश्न एक साथ लेने चाहिये ।

जीवन बीमा निगम (विभागीय पदाधिकारी)

+

†*३८६. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि :

(क) बीमा निगमों के प्रभागीय पदाधिकारियों के रूप में जो व्यक्ति लगाये जाते हैं उनकी अर्हतायें तथा वेतन स्तर (खण्डवार) क्या होते हैं;

(ख) राष्ट्रीयकरण से पहले बीमा कम्पनियों में (उनके नाम सहित) उनके द्वारा किस प्रकार के पद धारण किये हुए थे; और

(ग) किन कारणों से नियुक्तियों की आज्ञा बिना "लाल समिति" के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये दी गई ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(ग) लाल समिति इसलिये नियुक्त की गई थी कि वह निगम को पदाधिकारी चुनने तथा उनकी श्रेणियां बनाने के काम में सहायता दे । इस समिति का काम अभी चल रहा है । स्पष्ट ही है यदि निगम इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करता तो उसका काम सितम्बर, १९५६ में आरम्भ नहीं हो सकता था ।

जीवन बीमा निगम

†*४२१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के सभापति के पास उत्तरी क्षेत्र की बीमा कर्मचारी संथा ने एक अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) संथा की मुख्य मांगें ये हैं :

(१) घोषित वेतन स्तरों तथा सेवा की शर्तों का वापस लिया जाना;

(२) सेवा की शर्तों के निर्धारण के लिये दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाना; और

(३) प्रत्येक स्तर पर निगम के प्रबन्ध में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देना ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) इन मांगों पर किसी निर्णय की जरूरत नहीं क्योंकि निगम ने वेतन स्तरों के बारे में कार्यवाही कर ली है और भविष्य के बारे में आश्वासन दे दिया है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या सरकार के पास ऐसे अभ्यावेदन आये जिनमें यह कहा गया कि जीवन बीमा निगमों के खण्डीय कार्यालयों में ऊंचे प्रशासकीय पदों के संवरण में अनियमिततायें, भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात होता है ?

†**श्री म० च० शाह** : हमें अभ्यावेदन नहीं मिले हैं; हमें संसद् सदस्यों के बहुत से पत्र प्राप्त हुए और हमने उनका उत्तर दिया है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमने नियुक्तियां अस्थायी रूप से की हैं जो लाल समिति की सिफारिशों के अधीन हैं। मैंने पहले कहा है कि लाल समिति इन सब बातों पर विचार कर रही है। लगभग १२०० पदाधिकारी हैं, जिनसे समिति ने भेंट करनी है। प्रतिवेदन देने के लिये समिति को कम से कम तीन महीने लगेंगे। उसके बाद यदि कोई अनियमितता प्रकट हुई तो उसे ठीक किया जायेगा।

†**श्री अ० क० गोपालन** : जब लाल समिति नियुक्त की गई है, तो यह कहने का क्या लाभ है कि अनियमिततायें नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि लाल समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा किये बिना नियुक्तियां क्यों की गईं। अब अनियमितताओं की शिकायतें हुई हैं।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : उत्तर दिया जा चुका है। लाल समिति निगम के चलने से पूर्व अपना काम समाप्त नहीं कर सकी। स्पष्ट ही है कि हम लाल समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। मेरे साथी ने बताया कि यह नियुक्तियां अस्थायी हैं और यह निर्णय किया गया था कि नियुक्तियां की जायें तथा काम चलने दिया जाये। यदि यह पता लगा कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और लाल समिति इस प्रकार का निर्णय देती है तब उस निर्णय पर विचार किया जायेगा और उस मामले में जो कुछ किया जा सकना संभव हुआ वह उस समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या लाल समिति को अनुसंधान के समय भाईभतीजावाद तथा पक्षपात की अनियमितताओं पर विचार करने का अधिकार है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय मित्र एक वकील हैं, उन्हें गवाहों को मुख्य प्रश्न पूछने की आदत है। हम यह नहीं मानते कि भाईभतीजावाद या पक्षपात का कोई मामला हुआ है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों पर कहीं कोई प्रभाव पड़ा हो। यदि लाल समिति अपना प्रतिवेदन देती है और हमें पता लगता है कि इसकी सिफारिशें ऐसी हैं जिन पर विचार को आवश्यकता है—तो हम उन पर विचार करेंगे किन्तु मैं इस आरोप को मानने को तैयार नहीं हूं कि भाईभतीजावाद या पक्षपात के कोई मामले हुए हैं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : पहले बीमा समवायों से पदाधिकारियों के चुनने तथा नियुक्त किये जाने के बारे में किन बातों पर ध्यान दिया गया है और क्या माननीय मंत्री को पता है कि बीमा समवायों के लोगों में सामान्यतया इस बात से असन्तोष है कि नियुक्तियों के बारे में गुणों अनुभवों तथा अर्हताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया और यदि हां, तो इन गलतियों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुख्य बात अथवा मुख्य सिद्धान्त, एक व्यक्ति विशेष की विशेष कार्य के लिय उपयुक्तता है। जहां तक शिकायतों का सम्बन्ध है, प्रत्येक व्यक्ति जो यह समझता है कि उसकी हानि हुई है, उसको सिद्ध करता है तथा अभ्यावेदन देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम

†मूल अंग्रेजी में।

१९० समवायों का एकीकरण करते हैं तथा उनको एक एकक बनाते हैं तब ऐसे हजारों व्यक्ति होंगे जो यह समझते होंगे कि संभवत: वह प्रबन्ध-निदेशक बनने के योग्य है। संभवत: वह ठीक भी हों परन्तु दुर्भाग्यवश प्रबन्ध-निदेशक के बहुत थोड़े पद खाली हैं और इसीलिये हमने इन मामलों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है जो इस सम्बन्ध में हमें परामर्श देगी। यदि समिति की सिफारिशों पर हमें यह पता लगता है कि कुछ मामलों पर पुन: विचार किया जाना चाहिये, तो निश्चित रूप से उन पर विचार किया जायेगा।

†**श्रीमती मायदेव** : क्या यह सच है कि द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों को १ सितम्बर को रख लिया गया था और वह वहां तीन महीने तक काम करते रहने पर भी यह नहीं जान सके कि उनका वेतन क्रम क्या है ? यदि हां, तो उनको सरकारी वेतन क्रमानुसार नियमित वेतन क्रम कब तक मिलने लगेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे खेद है कि इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री जोकीम आल्वा** : लाल समिति के श्री लाल कौन हैं ? क्या यह सज्जन वही लाल हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सह-महासचिव थे ? क्या सरकार के लिये यह उचित है कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ के सेवा-निवृत सह-महासचिव को समिति का सभापति बनाये जबकि अन्य समितियों के लिये अन्य बहुत से पदाधिकारी हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्री लाल लालविशाल समुदाय के वही विशेष व्यक्ति हैं जिनका उल्लेख किया गया है। यह नियुक्त क्यों की गई, इस सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि जब तक नियुक्ति करने की शक्ति सरकार में निहित है वह अपने स्वविवेक से यह काम करेगी।

†**श्री पुन्नूस** : क्या एक केरल खण्ड है जिसमें मलाबार को नहीं रखा गया और जिसको मद्रास से मिला दिया गया है और उसके कारण केरल में काम करने वाले अभिकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई हो रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह एक विशेष क्षेत्र का विशेष मामला है। यदि वह एक प्रश्न रखें तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

†**श्री बंसल** : संसद् के गत सत्र में आपने कृपा करके सभा में यह आश्वासन दिया था कि जीवन बीमा निगम में नियुक्तियों सम्बन्धी नीति के समस्त प्रश्न पर चर्चा के लिये कुछ समय नियत किया जायेगा। क्या सरकार इस मामले पर चर्चा करने के लिये हमें अब समय देने को तैयार है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे खेद है कि मैं इस विषय पर इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता जो कुछ माननीय सदस्यों को पहले से मालूम है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : माननीय मंत्री ने कहा कि वह और कुछ नहीं बता सकते। परन्तु हम इस ओर के सदस्य मंत्री महोदय को बता कुछ बातें देना चाहते हैं जिससे वह जान सकें कि वह उत्तर दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिनका एक प्रश्न में उत्तर नहीं दिया जा सकता। हम वह सभी बातें उनको बता देना चाहते हैं जिससे वह उत्तर दे सकें। हमारे पास बहुत सी शिकायतें आ चुकी हैं तथा हम माननीय मंत्री से यह जानना चाहते हैं कि जो बातें हमें पत्रों द्वारा बताई गई हैं क्या वह सच हैं। बहुत से उदाहरण तथा बातें हैं जो एक प्रश्न में पूछी नहीं जा सकतीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या लाल समिति ने अपना प्रतिवेदन भेजा है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : अभी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनको प्रतिवेदन देने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : तीन मास अथवा इससे भी अधिक समय लग सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये अभी उसके मिलने की संभावना नहीं है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक लाल समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, मैं उन्हें सभा में चर्चा के लिये नहीं रखूंगा। जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, मैं केवल यह निवेदन कर सकता हूं कि यद्यपि अध्यक्ष महोदय चाहें तो चर्चा के लिये समय दे सकते हैं परन्तु वह ५ दिसम्बर से पहले नहीं होना चाहिये क्योंकि मुझे बताया गया है कि इस दिन एक सांकेतिक हड़ताल होने जा रही है मैं नहीं चाहता कि इस सभा में कही गई बातों से इस हड़ताल को प्रोत्साहन मिले।

†**श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा** : क्या सरकार को आसाम के बीमा कर्मचारियों में फैले असन्तोष की जानकारी है तथा यदि हां, तो इस असन्तोष के कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री म० च० शाह** : जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, आसाम के कुछ माननीय संसद्-सदस्य शाखा प्रबन्धकों तथा खण्ड प्रबन्धकों के सभी पदों पर आसाम के व्यक्तियों की नियुक्ति चाहते हैं। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि उन पदों अथवा आसाम में उनसे अधिक पदों के लिये अर्हता–प्राप्त व्यक्ति होंगे तो हम निश्चित रूप से इस प्रश्न पर विचार करेंगे। हम एक या दो प्रबन्धक नियुक्त कर चुके हैं।

दक्षिण उच्च प्रौद्योगिकीय संस्था

†*३८७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री २६ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से दक्षिण उच्च प्रौद्योगिकीय संस्था की स्थापना के लिये कोई भूमि अर्जित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण का प्रारम्भिक कार्य कब शुरू होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) संस्था की स्थापना के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार अभी विचार कर रही है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : गत सत्र में हमें बताया गया था कि इस संस्था की स्थापना का स्थान निश्चित किया जा चुका है तथा यह मद्रास में स्थापित होगी ? क्या हम यह समझें कि सरकार समस्त प्रश्न पर पुनः विचार कर रही है ?

†**डा० म० मो० दास** : जी नहीं, श्रीमान्। यह कहा गया था कि अखिल भारतीय प्रौद्योगिकीय शिक्षा परिषद् ने निर्णय किया था कि संस्था मद्रास में स्थापित होनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार अब उस निर्णय पर विचार कर रही है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस बात-को ध्यान में रखते हुए कि संस्था की स्थापना में ढाई वर्ष का विलम्ब हुआ है, इस प्रश्न पर कब निर्णय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० म० मो० दास** : विलम्ब नहीं हुआ है । केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध में संस्था की स्थापना करने का निर्णय किया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध में यह संस्था किस प्रकार कार्य प्रारम्भ कर सकेगी जबकि इसके लिये आवश्यक भूमि, भवन, सामान आदि अभी तक नहीं हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : मैंने बताया कि संस्था की स्थापना का कार्य द्वितीय योजना के उत्तरार्द्ध में किया जायेगा ?

†**डा० रामा राव** : इस संस्था की स्थापना के लिये भूमि तथा स्थान के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये सरकार महीनों लगा रही है । इतना समय सरकार किस कारणवश ले रही है । इस प्रकार इसको चालू करने के लिये कितनी द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें चाहियें ?

†**डा० म० मो० दास** : हम अधिक समय नहीं ले रहे हैं । अभी बहुत समय है तथा इसीलिये जल्दी नहीं है ।

†**श्री वेलायुधन** : उन्होंने बताया कि कोई जल्दी नहीं है । क्या द्वितीय योजना में संस्था बनाने का विचार नहीं है ?

†**डा० म० मो० दास** : मैंने यह कहा कि सरकार का विचार, इस विशेष संस्था को अगली पंच-वर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध में स्थापित करने का है ?

†**श्री वेलायुधन** : क्या वह हमें आश्वासन देंगे कि यह संस्था द्वितीय योजना में बन जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते समय, कोई आश्वासन नहीं मांगना चाहिये । वह बता चुके हैं कि द्वितीय योजना के उत्तरार्द्ध में भवन निर्माण तथा अन्य कार्य किये जायेंगे । इसलिये शीघ्र निर्णय किया जायेगा । ऐसा ही है न ?

†**डा० म० मो० दास** : सरकार ने निर्णय किया है कि इस प्रकार की चार संस्थायें होंगी । एक खड़गपुर, बंगाल में स्थापित हो चुकी है । दूसरी बम्बई में स्थापित की जा रही है तथा इसके लिये हमें कुछ रूसी सहायता मिल रही है । एक संस्था दक्षिण भारत में तथा एक उत्तर भारत में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनेगी । सरकार का यही निर्णय है और मैं यह कई बार बता चुका हूं ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या द्वितीय योजना के प्रारम्भ में इस संस्था को स्थापित करना लाभदायक नहीं होगा, जिससे कि योजना की कार्यान्वित के लिये दक्षिण भारत में प्रविधिक व्यक्ति मिल सकें ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं परन्तु हमारी अपनी कठिनाइयां हैं । प्रशिक्षित तथा अर्हता प्राप्त अध्यापकों की बहुत कमी है तथा हमें विदेशों से यंत्रों का आयात करना है । इन सभी चीजों की कमी है ।

दिल्ली के लिय मद्य-निषेध बोर्ड

†***३८८. श्री केशव अय्यंगार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य-निषेध के संवर्द्धन के लिये दिल्ली में कोई बोर्ड बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड में कौन २ सदस्य हैं; और

(ग) इसका क्या कार्यक्रम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) मद्य-निषेध बोर्ड के सदस्यों के नामों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२**]

(ग) बोर्ड का कार्य परामर्श देना है तथा मद्य-निषेध के बारे में मामलों पर और विशेषतया नशे वाले पेयों तथा भेषजों के प्रयोग के विरुद्ध जनता की राय जानने तथा जनता को शिक्षित करने के तरीकों के सम्बन्ध में यह सरकार को सिफारिश करती है।

†**श्री केशव अय्यंगार** : यह बोर्ड कब बनाया गया था तथा क्या यह १–११–१९५६ से समाप्त हो गया है ?

†**श्री दातार** : यह बोर्ड ३०–६–१९५६ को बनाया गया था तथा इसकी बैठक कई बार हुई थी। राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर इसका भी पुनर्गठन होगा।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में मद्य-निषेध के लिये मदिरा पर अधिकर लगाने का विचार कर रही है तथा क्या भारत के अन्य नगरों में इसको लगाने पर भी विचार किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : सरकार कई सुझावों पर विचार कर रही है।

†**श्री केशव अय्यंगार** : मैं इस विशेष सुझाव के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं।

†**श्री दातार** : कितने ही सुझावों में से यह एक है जिन पर सरकार विचार कर रही है।

अन्दमान तथा नीकोबार द्वीप समूह

+

†*३८९. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तबसे अन्दमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह में नगरपालिका बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मंत्रिमंडल ने 'अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (नगरपालिका बोर्ड) विनियम' लागू करने के लिये स्वीकृति दे दी है और इन पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् इन्हें भारत के गजट में शीघ्र प्रकाशित किया जायेगा।

विनियम के लागू होने के पश्चात्, नगरपालिका बोर्ड, अथवा कई बोर्ड जैसा ठीक समझा जायेगा स्थापित करने के लिये मुख्य आयुक्त आवश्यक कार्यवाही करेगा।

†**श्री स० च० सामन्त** : इन विनियमों की प्रख्यापना से, केवल चुनाव होंगे अथवा चुनाव तथा नाम निर्देशन होंगे ?

†**श्री दातार** : विनियमों में यह सब स्पष्ट कर दिया गया है।

"काश्मीर प्लेबिसाइट फ्रन्ट" की गतिविधियां

†*३९०. **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "काश्मीर प्लेबिसाइट फ़न्ट" के कार्यालय से जारी किये गय साइकलोस्टाइल्ड वक्तव्यों की ओर आकर्षित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). मैंने कथित काश्मीर प्लेबिसाइट फ्रन्ट द्वारा जारी किये गये कई वक्तव्य देखे हैं, और यदि माननीय सदस्य विशिष्ट रूप से यह बतायेंगे कि उनका किस विशेष वक्तव्य की ओर संकेत है तो मैं उपयुक्त तथ्य बता सकूंगा। इन अधिकांश वक्तव्यों में झूठ तथा गलत बातें कही गई हैं तथा जम्मू तथा काश्मीर सरकार, विभिन्न प्रकार से सही बातें बता रही है। प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री सार्वजनिक भाषणों में कई बार इनको स्पष्ट कर चुके हैं।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार जानती है कि तथाकथित काश्मीर प्लेबिसाइट फ्रन्ट के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया एक वक्तव्य दिनांक १४-९-१९५६ के **"हिन्दुस्तान टाइम्स"** में प्रकाशित हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि भारत के प्रधान मंत्री जनमत गणना के वादे से निर्लज्जता से मुकर गये हैं और पाकिस्तान इस अधिकार के लिये लड़ता रहा और बराबर यह मांग करता रहा कि जनमत गणना करार शीघ्र कार्यान्वित किया जाये ? क्या सरकार के प्रति इस प्रकार के अभिद्रोह या देशद्रोह के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है।

†**श्री दातार** : इस वक्तव्य की ओर तथा इस फ्रन्ट द्वारा पारित किये गये संकल्पों और अनेकों वक्तव्यों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करना जम्मू और काश्मीर सरकार का काम है।

†**श्री गिडवानी** : क्या फ्रन्ट का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है और क्या दिल्ली में उसका काम होता है और क्या उसके कुछ कार्यकर्ता दिल्ली में बम विस्फोट के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये थे ? जब कि लोग दिल्ली में हों, जम्मू और काश्मीर सरकार कोई कार्यवाही किस प्रकार कर सकती है ?

†**श्री दातार** : उसका मुख्य कार्यालय जम्मू और काश्मीर में श्रीनगर में है। कभी-कभी उसके सदस्य यहां आते हैं। इसलिये मैंने यह कहा था कि जम्मू और काश्मीर सरकार ही उचित कार्यवाही कर सकेगी जो पहले से कार्यवाही कर रही है।

भारत-पाकिस्तान बैंकिंग करार

\+

†*३९१. **श्री बहादुर सिंह** :
श्री गिडवानी :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इक़बाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान बैंकिंग करार, १९५५ के अधीन स्थापित की गयी संयुक्त कार्यान्विति समिति ने सितम्बर, १९५६ में कुछ सिफारिशें की थीं;

(ख) क्या इन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) भारतीय बैंकों के पास पाकिस्तान में जो अचल सम्पत्ति थी उसे बेचने के लिये दी गयी सुविधाओं से कितने बैंकों ने लाभ उठाया और वह अचल सम्पत्ति कितने मूल्य की थी ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति की प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन बैंकों पर प्रभाव पड़ा है, वे अधिकतर भारतीय हैं, इस कारण, समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना पाकिस्तान अधिकारियों की कार्यवाही पर, जिनके साथ इस विषय पर पत्र-व्यवहार चल रहा है, मुख्यतः निर्भर होगा। भारत सरकार की ओर से जो भी कार्यवाही संभव है, की जा रही है। उन सिफारिशों के सम्बन्ध में जिन पर दोनों सरकारों का अनुमोदन आवश्यक है, सरकार ने पाकिस्तान सरकार को अपने अनुमोदन की सूचना भेज दी है।

(ग) अभी तक छः विस्थापित भारतीय बैंकों ने पश्चिम पाकिस्तान में अपनी अचल सम्पत्ति के बेचने के लिये सहायता मांगी है। उस सम्पत्ति का पुस्तक मूल्य, जैसा कि उन्होंने बताया है, २८·७६ लाख रुपये है। इनमें से किसी बैंक की अचल सम्पत्ति के वास्तविक बिक्री की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है।

†**श्री बहादुर सिंह** : बैंकों के पक्ष में आदेशय या बन्धक निष्काम्य अचल सम्पत्ति की बिक्री से दोनों देशों के बैंकों ने कितनी धनराशि एकत्र की है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरे विचार में अनुमान है कि भारतीय बैंकों का अचल सम्पत्ति के लिये लगभग २ करोड़ रुपये (१,९८,७८,००० रुपये) का और चल सम्पत्ति के लिये १ करोड़ से अधिक का दावा है। किन्तु पाकिस्तान का कुल दावा लगभग ६ लाख रुपये का है।

†**श्री बहादुर सिंह** : क्या बैंकों ने कोई धनराशि प्राप्त की है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : अभी नहीं।

†**श्री बहादुर सिंह** : जिन बैंकों ने अपना देना दे दिया है, वे पाकिस्तान से कितनी अतिरिक्त निधियां ले आये हैं ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यद्यपि यह उपबन्ध था कि जो बैंक देना दे चुके हैं, वे वहां से अपनी आस्तियां हटा सकते हैं, वहां से कुछ भी नहीं प्राप्त किया गया है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या १९ से २१ नवम्बर के बीच कोई बैठक हुई थी और यदि हां, तो उसमें किन समस्याओं पर चर्चा की गयी ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बैठक हुई है, यद्यपि १९ से २१ नवम्बर के बीच कराची में एक बैठक करने का निश्चय किया गया था।

†**श्री गिडवानी** : प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है "मार्च, अप्रैल १९५५ में सहमत विनिश्चयों की कार्यान्विति की प्रगति के पुनर्विलोकन के अतिरिक्त····"। वे सहमत विनिश्चय कौन से थे और क्या सरकार ने उन्हें कार्यान्वित किया है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैंने सभा-पटल पर एक विवरण की प्रति रख दी है जिससे माननीय सदस्य को सहमत विनिश्चय मालूम होंगे। किन्तु जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इनमें से कुछ विनिश्चयों के लिये दोनों ही सरकारों का अनुमोदन आवश्यक था। हमारी सरकार ने उन सिफारिशों पर अनुमोदन पाकिस्तान सरकार के पास भेज दिया है। हमने १९ अक्तूबर, १९५६ को उसे पत्र भेजा था। किन्तु अभी तक हमें पाकिस्तान सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। हमें उत्तर मिला है कि पाकिस्तान उन सिफारिशों को बिना शर्त स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : करार का निम्न खंड किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है :

"निष्क्रमणार्थी व्यक्तियों द्वारा बैंकों के पास गिरवी रखे गये जवाहरात और अन्य कीमती चीजों के सम्बन्ध में, यह सिफारिश की गयी थी कि उन्हें एक निश्चित तारीख के अन्दर उन चीजों को छुड़ा लेने की छूट दी जानी चाहिये।"

इसका अन्तिम परिणाम क्या रहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं समझता हूं कि अंतिम परिणाम दूसरे मामलों की तरह ही है। मैं नहीं समझता कि कोई बैंक अपने जवाहरात वापस ले सका है।

केन्द्रीय प्रबन्ध संस्था

+

†*३९२. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **शिक्षा** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रबन्ध संस्था की स्थापना के बारे में अब कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) अभी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या केन्द्रीय प्रबन्ध संस्था की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के पूर्वार्द्ध या उत्तरार्द्ध अंग है और यदि हां, तो उसका निश्चय क्यों नहीं किया गया है ?

†**डा० म० मो० दास** : यह निश्चय किया गया है कि यह संस्था पूरी तौर से केन्द्रीय संस्था नहीं होगी। यह भी निश्चय किया गया है कि नैशनल इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट नाम की संस्था की बजाय इंडियन मैनेजमेंट असोसियेशन नामक एक पंजीकृत संस्था भारत सरकार और देश की वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थाओं की ओर से संयुक्त उपक्रम के तौर पर स्थापित की जायेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय उपमंत्री ने अभी जिसका उल्लेख किया है वह संस्था स्थापित करने की दिशा में और आगे क्या कार्यवाही की गयी है और अन्तिम निश्चय करने में कितना समय लगेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : इस संस्था के ब्योरे पर विचार करने के लिये जो आयोजन समिति स्थापित की गयी थी, उसने सिफारिश की है कि वह एक पंजीकृत संस्था हो जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में हो और शाखायें देश के विभिन्न औद्योगिक तथा वाणिज्यिक केंद्रों में हों। जब तक ये शाखायें स्थापित न हो जायें और वे अपनी कार्यवाहियों को स्वीकृत न करें, उस संस्था का मुख्य कार्यालय स्थापित करने से कोई लाभ न होगा। ये शाखायें एक-एक करके स्थापित हो रही हैं।

कोयला खानों का सर्वेक्षण

†*३९३. **डा० रामा राव** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी घाटी में स्थानीय खानों और कोयला निक्षेपों का व्यापक सर्वेक्षण कराने के अभी हाल के निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है;

(ख) क्या सरकार ने हैदराबाद में एक खनन गवेषणा केंद्र स्थापित करने का निश्चय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६४]**

†**डा० रामा राव** : विवरण में कहा गया है कि हैदराबाद में भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५५–५६ तक जारी रहा। यह भी कहा गया है कि छिद्र करने का काम भी शुरू किया जाने वाला था किन्तु छिद्र करने वाले औजारों के अभाव के कारण वह नहीं किया जा सका। माननीय मंत्री ने इतने पहले जिन औजारों का वचन दिया था, उनका क्या हुआ ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम समय-समय पर कई औजार खरीद सके हैं किन्तु कार्यक्रम का बोझ इतना अधिक रहा कि उन सभी स्थानों पर हम उन्हें नहीं पहुंचा सके जहां कि माननीय सदस्य चाहते हैं।

†**डा० रामा राव** : क्या यह सच नहीं है कि आंध्र प्रदेश में कोयले के निक्षेप बहुत विस्तृत समझे जाते हैं ? यदि हां, तो उस क्षेत्र को अभी तक अधिक औजार क्यों नहीं दिये गये ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के अधिक अच्छे प्रतिवेदन प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं। ज्यों ही मुझे अधिक अच्छे प्रतिवेदन प्राप्त होंगे, मैं सभा को उनके बारे में और उन औजारों के बारे में सूचित करूंगा।

†**डा० रामा राव** : विवरण में दिखाया गया है कि ६ लाख रुपये हैदाराबाद में कोलया सर्वेक्षण स्टेशन चालू करने के लिये दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में निश्चय दो महीने से कुछ अधिक पहले किया गया था। वह निश्चय कार्यान्वित करने के लिये आगे और क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं अभी केवल वही प्रगति बता सकता हूं जो कागज पर दिखायी गयी है। स्पष्टीकरण के लिये, उससे अधिक मैं यही बता सकता हूं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् उस क्षेत्र में कोयले की रासायिनक तथा भौतिक गुणों का अनुसंधान करने के कार्यक्रम का विवेचन कर रही है। उसने सम्पूर्ण कार्यक्रम को अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्यों में विभाजित कर दिया है। अल्पकालीन कार्यक्रम कोयला सर्वेक्षण स्टेशन द्वारा कार्यान्वित किये जाने की संभावना है मैं इतना ही कह सकता हूं कि ज्यों ही प्रतिवेदन हमें प्राप्त होंगे, मैं उन्हें सभा-पटल पर रख दूंगा।

†**श्री वें० प० नायर** : इस बात को देखते हुए कि सारे दक्षिण में आज कोयला नहीं है, क्या सरकार यह मालूम करने के लिये उन प्रदेशों में, जहां उस क्षेत्र की तरह कोयला निक्षेप हैं, जिसका कि माननीय सदस्य ने अभी-अभी उल्लेख किया है, अच्छा काम में आने वाला कोयला कहां तक उपलब्ध है, कोई विशेष प्राथमिकता देगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, माननीय सदस्य ने अभी-अभी जो वर्णन किया है, हमने उस पर विचार किया है। इसी कारण हम दक्षिण में उत्पादन दुगुना करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। विस्तृत खोज के दौरान में यदि हमें कोई अधिक जानकारी मिलती है, तो हम अवश्य ही उसे प्राप्त करेंगे और उसका उपयोग करेंगे।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रदर्शन

+

†*३९४. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री डाभी :

क्या **शिक्षा** मंत्री १३ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अल्पसूचना प्रश्न संख्या २५ के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में।

(क) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने "लिविंग बायोग्राफीज आफ रिलिजस लीडर्स" नामक पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में छात्रों के प्रदर्शन और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का बुत जलाने के बारे में अपनी जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). जी, हां ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या दंड दिये गये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : छः छात्र विश्वविद्यालय से निकाल दिये गये हैं, दस छात्रों को छः सप्ताह के लिये और आठ छात्रों को चार सप्ताह के लिये निकाल दिया गया है । एक छात्र और निकाल दिया गया है एक का प्रवेश रद्द कर दिया गया है और छात्र को तुरन्त विश्वविद्यालय छोड़ देने के लिये कहा गया है और एक को चार सप्ताह के लिये निकाल दिया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये दंड केवल विद्यार्थियों को ही दिये गये हैं, जबकि आम अफवाह है कि वहां के अध्यापकों ने भी प्रदर्शनों इत्यादि में भाग लिया था ? क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह अफवाह गलत है कि अध्यापकों ने उनमें भाग लिया ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यहां के किसी उच्चाधिकारी--सेक्रेटरी या मंत्री--ने वहां जाकर इस बात की छान-बीन की कि वहां के अध्यापकों ने प्रदर्शनों में भाग लिया था या नहीं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसकी आवश्यकता नहीं थी । यूनिवर्सिटी के अथारिटीज (अधिकारियों) पर गवर्नमेंट को पूरा विश्वास है और इस सम्बन्ध में जो इन्क्वायरी (जांच) की गयी है, वह सही है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट को इस बात का संतोष है कि इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है, वह पर्याप्त है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : किसी को संतोष नहीं है । अगला प्रश्न ।

संग्रहालय सर्वेक्षण विशेषज्ञ समिति

+

†*३९५. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री भागवत् झा आजाद :
श्री रा० प्र० गर्ग :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त संग्राहलय सर्वेक्षण विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक किन-किन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) संग्रहालय सर्वेक्षण विशेषज्ञ समिति की संग्रहालय सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड द्वारा अनुमोदित सिफारिशों की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) और(घ). मामले पर विचार हो रहा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस समिति ने कुछ गलतियों तथा प्रबन्ध की खराबियों को भी बताया है ?

†**डा० म० मो० दास** : संग्रहालय सर्वेक्षण विशेषज्ञ समिति ने देश के लगभग सभी संग्रहालयों का निरीक्षण किया । इनमें से कुछ संग्रहालय गैर-सरकारी व्यक्तियों के प्रबन्ध में हैं, कुछ राज्यों के हाथों में है तथा कुछ का प्रबन्ध केन्द्र के अधीन है । जहां तक मुझे पता है ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस समिति ने यह सुझाव दिया है कि भारत में संग्रहालयों की देख-भाल के लिये एक अखिल भारतीय समन्वय निकाय स्थापित किया जाये ?

†**डा० म० मो० दास** : मैंने कहा है कि इसके प्रतिवेदन की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है । माननीय सदस्य वह प्रति देख सकते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि देर से देर कब तक इस बारे में अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : संग्रहालय सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में इन सिफारिशों की प्रतियां हमने देश के संग्रहालयों के प्रबन्धकों तथा राज्य-सरकारों को उनके विचार जानने तथा क्रियान्विति के लिये भेजी हैं । ज्यों ही राज्य सरकारों से हमें इन सिफारिशों के बारे में उनके विचारों का पता लग जायेगा, हम अपनी प्रस्थापनायें बनायेंगे ।

त्रावणकोर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी-संघ

+

†*३९६. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री पुन्नूस :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावणकोर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कइ कालेजों में विद्यार्थियों को संघ बनाने की आज्ञा नहीं है; और

(ख) इस दिशा में सरकार क्या कायवाही करना चाहती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). त्रावणकोर विश्वविद्यालय के साथ सम्बन्धित सभी कालिजों में एक प्रकार या दूसरी प्रकार से विद्यार्थियों के संघ विद्यमान हैं और किसी कालिज में विद्यार्थियों को उनके अपनी संस्थायें बनाने से ही रोका गया है । किन्तु सभी "कालिज संघ" का रूप धारण नहीं कर सके हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार को पता है कि पिछले कई वर्षों से कई कालिजों में जहां कालिज संघ बनाये जाने की अनुमति नहीं है विद्यार्थी वहां संघ स्थापित करने के लिये प्रदर्शनादि कर रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कुछ समय पहले त्रावणकोर विश्वविद्यालय ने निर्णय किया था कि कालिज संघों के बजाये श्रेणी संथायें तथा विषय-संथायें बनाना अधिक अच्छा होगा

†मूल अंग्रेजी में ।

और अधिक कालिजों में विषय तथा श्रेणी संथायें ही हैं। यह सच है कि बहुत से कालिजों में कालिज संघ नहीं हैं और हम केरल सरकार को यह सलाह दे रहे हैं कि वह विश्वविद्यालय को, कालिज-संघों को प्रोत्साहित करने की सलाह दे ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार को पता है कि विद्यार्थी संघों ने वहां सम्प्रदायिक संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले कुछ कालिजों में लिये जाने वाले अनिवार्य दान के विरुद्ध रोक्ष प्रकट किया था इसलिये ऐसे कालिज अपने विद्यार्थियों को संघ बनाने की आज्ञा नहीं दे रहे ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे इस अनिवार्य दान का पता नहीं है। मैं इस बात की जांच करूंगा कि क्या कालिज संघों के न बनने का यह कारण रहा है। जैसा कि मैंने कहा है हमने राज्य सरकार को विश्वविद्यालय को कालिजों में संघ प्रोत्साहित करने के लिये कहा है ।

†**श्री वें० प० नायर** : विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की इस सिफारिश को कि त्रावणकोर-कोचीन के कालिजों में कालेज संघ विद्यार्थियों द्वारा स्थापित किये जायें—क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने पहले ही माननीय सदस्य को आश्वासन दे दिया है कि सरकार विश्वविद्यालय को कालेज संघ प्रोत्साहित करने की सलाह दे रही है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या उप-कुलपति ने सभी कालेजों में एक परिपत्र भेजा है कि कालेज संघों को मान्यता न दी जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : त्रावणकोर विश्वविद्यालय ने कुछ समय पहले एक संकल्प स्वीकार किया था कि कालिज संघों के स्थान पर विषय तथा श्रेणी संथायें अच्छी सिद्ध होंगी ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या सरकार का यह विचार है कि श्रेणी तथा विषय संथायें कालिज संघों के स्थान पर चल सकती हैं जहां विद्यार्थी आकर मामलों पर विचार कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह उत्तर दे दिया है कि इस मामले में स्थानीय सरकार को सलाह दी जा रही है ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या सरकार यह कहने को तैयार है कि संघों को प्रोत्साहित किया जाये ताकि कालिजों को सरकार से अनुदान तथा दूसरी सहायता मिल सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भी दूसरे रूप में वैसा ही प्रश्न है। मंत्री ने उत्तर दे दिया है कि स्थानीय सरकार को सलाह दे दी गई है । अगला प्रश्न ।

†**श्री मैथ्यू** : क्या यह सच है कि कई कालिजों में विद्यार्थी संघों को ग़लत कामों में लगाया जाता है जैसे कि हड़तालें कराने, धरना देने, अध्ययन में बाधा डालने तथा प्रिंसिपल और अध्यापकों का विरोध करने आदि में ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह भी सच है। वास्तव में बहुत से कालिज संघों ने बहुत अनुत्तर-दायी तरीके से काम किया और उन्होंने एक प्रकार की समानान्तर सरकार बनाने का प्रयत्न किया जो बहुत अवांछनीय बात थी ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या सरकार को पता है कि ऐसी बातें इसलिये होती हैं कि कुछ प्रोफैसर योग्य नहीं होने और विद्यार्थियों को ग़लत मार्ग पर चलाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब मैंने अगले प्रश्न के लिये कह दिया है माननीय मंत्री को उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

भिखारी

†*३९७. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भिखारियों के सर्वेक्षण कराये जाने का विचार है;

(ख) क्या किसी राज्य या नगर में भिखारियों का सर्वेक्षण हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

मैं यह भी बता दूं कि भिखारियों तथा आवारों की संख्या १९५१ की जनगणना में दी गई है ।

†**श्री हेम राज** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भिखारी समाज के लिये एक खतरा है और देश की दौलत लूट रहे हैं क्या सरकार उन्हें कुछ लाभप्रद काम देने के लिये कुछ कार्यवाही करेगी ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न पर राज्य सरकारें कार्यवाही कर सकती हैं । मैं माननीय सदस्य को यह बता सकता हूं कि भिखारियों की संख्या कम होती जा रही है ।

†**लाला अचिंत राम** : क्या सरकार ने विकलांग भिखारियों के लिये अब तक कोई आश्रम या गृह आरम्भ किये हैं ?

†**श्री दातार** : मैं समझता हूं कि कुछ राज्यों में ऐसी संस्थायें हैं । किन्तु उन्हें मैं एकदम जानकारी नहीं दे सकता ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : क्या सरकार को पता है कि भारत की राजधानी में गलियों में कुष्ट रोग वाले भिखारी घूमते हैं और सरकार ने उन्हें दूर रखने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री दातार** : ऐसे भिखारी हैं और राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग उन्हें पृथक् रखने की कार्यवाही करता है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार ने बेगर्ज (भिखारियों) के घर बनाने के लिये जहां-जहां रुपये दिये हैं, वहां की स्थानीय सरकारें उनको बनाने के विषय में बहुत ढील कर रही हैं--जैसे कि ऋषिकेश में ?

†**श्री दातार** : दिल्ली में एक भिखारी गृह है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा है यह राज्य का विषय है और स्वास्थ्य विभाग उस ओर ध्यान देंगे । दिल्ली के संघीय क्षेत्र में स्थिति क्या है ? क्या भिखारियों को पृथक् किया गया है या नहीं ?

†**श्री दातार** : उस प्रयोजन के लिये मैं जानकारी मंगवा रहा हूं और जब प्राप्त हो जायेगी तो सभा-पटल पर रख दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी म

नोटों के कागज का कारखाना

†*३९८. { श्री राम कृष्ण :
श्री कामत :

क्या वित्त मंत्री २८ जुलाई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नोट बनाने का कागज तैयार करने के कारखाने बनाये जाने का प्रश्न अब किस स्तर पर है ?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मामले पर अभी विचार हो रहा है ।

†**श्री राम कृष्ण** : इस मामले को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

†**श्री अ० चं० गुह** : यह बताना बड़ा कठिन है क्योंकि हमें इस प्रकार का प्रविधिक कारखाना स्थापित करने के बारे में निर्णय करने से पूर्व कई बातों पर विचार करना पड़ता है ।

सीमाओं का सीमांकन

†*३९९. { श्री वीरस्वामी :
श्री का० सु० राव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्य की सरकारों ने भारत सरकार से सीमांत विवादों को निबटाने के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त करने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार विवादों का निबटारा करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार की नीति यह है कि ऐसे मामलों के अतिरिक्त, जिन में सम्बन्धित दल सीमा विवाद का सहमति द्वारा निबटारा कर लेते हैं, अन्य मामलों का निबटारा उपयुक्त प्रादेशिक परिषद् अथवा सम्बन्धित परिषदों द्वारा किया जाना चाहिये ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या सरकार को गत अक्तूबर में तामिल अरासू कजगम द्वारा मद्रास राज्य में किये गये उस आन्दोलन के बारे में विदित है जिसमें मांग की गई थी कि भारत के प्रधान मंत्री न मद्रास की जनता को जो वचन दिया था उसके अनुसार एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाये, और यदि हां, तो वह मांग अब तक क्यों पूरी नहीं की गई है ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि ऐसी मांगें की गई हैं, परन्तु, मैंने जो उत्तर दिया है उसमें भारत सरकार की अन्तिम नीति बता दी गई है ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री ने तामिलनाड की जनता को यह आश्वासन दिया था कि मद्रास और आंध्र के बीच के विवादों को निबटाने के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त किया जायेगा ।

†**श्री दातार** : जब आंध्र विधेयक पर विचार किया जा रहा था तो यह प्रश्न उठाया गया था और यह कहा गया था कि यदि दोनों दल जहां तक कि सीमा सम्बन्धी विवादों का सम्बन्ध था किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे, तो सरकार इस विषय पर विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या यह सच है कि राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक पर हुई चर्चा के समय इस कारण आंध्र और मद्रास के बीच के सीमा सम्बन्धी प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस पर अलग से विचार किया जायेगा ? इस निर्णय का कि इस प्रश्न पर प्रादेशिक परिषद् विचार करेगी उक्त आश्वासन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

†**श्री दातार** : राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन, प्रादेशिक परिषदें स्थापित कर दी गई हैं। अब सभी सीमा सम्बन्धी विवादों पर विचार करना प्रादेशिक परिषदों का काम है। इसीलिये मैंने कहा है कि जहां तक मद्रास और आंध्र के इस विवाद का प्रश्न है, इस पर भी प्रादेशिक परिषद द्वारा विचार किया जा सकता है ।

प्रतिरक्षा विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारी

†*४००. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किरकी के युद्धोपकरण कारखाने के छंटनी किये गये कर्मचारी रेलवे के भर्ती करने वाले दल के समक्ष उस समय नहीं आये जब कि वह किरकी गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री महावीर त्यागी)** : (क) और (ख). जी, हां। कारखाने के कुछ कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण, और हड़ताल करने वालों द्वारा भारी धरना दिये जाने के कारण, छंटनी किये गये कोई भी कर्मचारी २१ सितम्बर, १९५६ से ८ दिन तक रेलवे के भर्ती करने वाले दल के समक्ष नहीं आ सके। तो भी रेलवे का भर्ती करने वाला दल किरकी युद्धोपकरण कारखाने के छंटनी किये गये ८०९ कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने में सफल हुआ है।

हिन्दू धार्मिक संस्थायें

*४०१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वित्त** मंत्री ६ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू धार्मिक संस्थाओं व मठ-मंदिरों की आय का उचित उपयोग करने और उनका विकास करने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में अंतिम निर्णय करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) : इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य नहीं है कि इस मामले पर बहुत लम्बे अर्से से विचार हो रहा है। क्या कारण है कि इसमें इतनी देरी हो रही है ?

†**श्री म० च० शाह** : सभी राज्यों का परामर्श करना होता है और फिर उन्हें विधि सम्बन्धी स्थिति को भी देखना होता है। इन सब प्रश्नों की जांच करने के लिये एक कार्यकारिणी समिति नियुक्त की गई है। उसे विधि मंत्रालय से परामर्श करना है और बहुत से जटिल प्रश्न उठाये गये हैं। उन सभी प्रश्नों का निबटारा किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने, बद्रीनाथ टेम्पिल (मन्दिर) या इसी तरह की बहुत सी हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के लिये पहले से कानून बनाये हुए हैं ? क्या यह जो सारे देश के लिये कानून बनेगा इससे यह कानून समाप्त हो जायेंगे या उन्हीं के आधार पर एक नया कानून बनाया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री म० च० शाह : राज्यों से परामर्श किया जायेगा और फिर सारे भारत के लिये कोई एक रूप विधान बनाया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जो सुधार किया जाने वाला है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ? इन मंदिरों की जो सरप्लस (अतिरेक) आय होगी उसे देश के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा या मंदिरों का प्रबन्ध भी सुधारा जायेगा ?

†श्री म० च० शाह : इन सभी निधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करना और यह देखना कि उनका प्रयोग लाभदायक कार्यों में हो ।

पौण्ड-पावना

+
*४०२. { श्री हेम राज :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या वित्त मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २०१२ और २०१३ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पौण्ड-पावने की कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा तब से क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जो रही है ?

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

†श्री कासलीवाल : यह निश्चित है कि समाचारपत्रों में ये समाचार प्रकाशित हो रहे हैं कि हमारे पौण्ड-पावने में बहुत कमी हो गई है। क्या उस पर भी विचार किया जा रहा है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वस्तुत: जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है पौण्ड-पावने में कमी हो गई है। हम इस कमी का स्पष्टीकरण दे सकते हैं; परन्तु तो भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि हमारे पास एक ऐसी योजना है जिसके लिये विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी मात्रा प्रयोग में लाई जानी है और जिसका व्यवहार्यत: इस समय उपबन्ध नहीं है, इस समूचे मामले का पुनर्विलोकन किया जा रहा है ।

†श्री का० प्र० त्रिपाठी : क्या यह कमी उपभोक्ता वस्तुओं अथवा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के कारण अथवा किसी अन्य विशेष कारण से हुई है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह कमी उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के कारण नहीं हुई है ।

त्रिपुरा में माल का आयात

+
†*४०४. { श्री बीरेन दत्त :
श्री दशरथ देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के व्यापारियों को कलकत्ता और भारतीय क्षेत्रों से पूर्वी पाकिस्तान होकर माल आयात करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) त्रिपुरा की सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इन कठिनाइयों के कारण त्रिपुरा में सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). पहले अखौरा के लिये माल लेने के लिये पाकिस्तान रेलवे द्वारा इन्कार किये जाने और फिर पाकिस्तान रेलवे पर माल के अपर्याप्त डिब्बे रखने के कारण कठिनाइयां पैदा हुई थीं। इन कठिनाइयों की ओर पूर्वी पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया गया है और उसने प्रतिदिन दस मालडिब्बे देने के लिये सहमति प्रकट की है। उससे त्रिपुरा में चावल और अन्य अत्यावश्यक वस्तुयें ले जाने के लिये और भी मालडिब्बे नियत करने के लिये आग्रह किया जा रहा है।

(ग) केवल पूजा त्योहार के समय मूल्यों में एक अस्थायी वृद्धि हुई थी जिस पर विमान द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं का सम्भरण करके नियंत्रण किया गया था।

†**श्री बीरेन दत्त** : क्या त्रिपुरा सरकार ने अत्यावश्यक वस्तुओं के सम्भरण के लिये कुछ सस्ते मूल्य की दुकानें खोली हैं ?

†**श्री दातार** : वहां कुछ उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं।

गांधी-दर्शन

*४०९. { **श्री खू० चं० सोधिया** : +
श्री झुलन सिंह :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी-दर्शन और विचारधारा को स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के अभिप्राय से जो उप-समिति नियुक्त की गयी थी उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या थीं; और

(ख) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५]**

†**श्री खू० चं० सोधिया** : इस विवरण में जो १५ बातें दी गई हैं उनमें से किसी एक के भी खत्म होने की बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार गांधी जी के साहित्य को स्कूल और कालिजों में कब रख सकेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसके मुताल्लिक कहना यह है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठायी और उस कमेटी ने इन सारे मामलों पर विचार करने के लिये एक सब-कमेटी (उप-समिति) बिठायी थी। चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये गवर्नमेंट सब-कमेटी की सिफारिशों पर जल्दी ही कार्रवाई कर रही है। अब शीघ्र ही जनरल कमेटी की मीटिंग बुलायी जायेगी और जो सिफारिशें की गयी हैं उन पर विचार किया जायेगा और अमल किया जायेगा।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : इसमें कुल कितना समय लग जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिन पर सब-कमेटी को विचार करना था। अब उसकी सिफारिशें आ गयी हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनरल मीटिंग जल्दी ही बुलायी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राघवैया** : क्या भगवत् गीता का अध्ययन गांधी दर्शन के अध्ययन का एक अंग है। यदि हां, तो यह हमारे राज्य के धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ-साथ यह कैसे चल सकता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसका भगवत् गीता के अध्ययन से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह समिति शिक्षा संस्थाओं में गांधी जी के उपदेशों के पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी ।

†**श्री कासलीवाल** : सन् १९५३ में, विश्व तनाव को कम करने के लिये भारत में एक गांधी गोष्ठी हुई थी, और तत्पश्चात् हमें बताया गया था कि यूरोप में किसी स्थान पर एक और गोष्ठी आयोजित किये जाने की संभावना थी । क्या सरकार ने अब यूरोप में किसी स्थान पर ऐसी कोई गोष्ठी आयोजित करने की ओर ध्यान दिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह एक भिन्न प्रश्न है; इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पुस्तकों के उपहार

†*४०५. **श्री रा० प्रा० गर्ग** : क्या **शिक्षा** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों ने अब तक सरकार को पुस्तकों के उपहार दिये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पूर्वी जर्मनी, आस्ट्रेलिया, अमरीका, इंगलैंड और अर्जेंटाईना ने पुस्तकों के उपहार भेजे हैं ।

कैन्टीन भंडार विभाग

†*४०७. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेवा के कैन्टीन भंडार विभाग को कोई संविहित मान्यता दी गई है;

(ख) उक्त विभाग द्वारा अर्जित किये गये लाभ पर उससे आयकर की कितनी राशि वसूल की गई है; और

(ग) यह वसूली कब की गई थी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में न्यायपालिका

†*४०८. **श्री बीरन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अगरतला विधि जीवी सन्था, त्रिपूरा की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अगरतला में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय को जारी रखने का विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार उस एक व्यक्ति के न्यायालय को तीन व्यक्तियों का न्यायालय बनाने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) अगरतला में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय को समाप्त करने की कोई प्रस्थापना नहीं है और वह पहले की तरह काम करता रहेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती

†*४०९. **श्री कामत** :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की इस सिफारिश को कार्यान्वित करने का विचार करती है कि प्रत्येक राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश करने वाले नये पदाधिकारियों में से पचास प्रतिशत तक राज्य से बाहर के व्यक्ति होने चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). विभिन्न राज्य पदालियों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आवंटन करते समय जहां तक व्यवहार्य होता है बाहर के ५० प्रतिशत व्यक्ति रखने के सिद्धांत का पहले से ही पालन किया जा रहा है । भारतीय पुलिस सेवा में नये प्रवेश करने वालों में से कम से कम ५० प्रतिशत को राज्य के बाहर से भर्ती करने के सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को तभी लागू किया जा सकता है जबकि भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमों, १९५४ के नियम ८ के अधीन एक सामान्य अथवा विशेष आदेश जारी किया जाये । ऐसे आदेश के जारी किये जाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है ।

उत्कल विश्वविद्यालय योजना

†*४१०. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिदर्शक आयोग ने उत्कल विश्वविद्यालय की योजना की परीक्षा कर ली है और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अल्प बचत

†*४११. **श्री इस्लामुद्दीन** :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रजी में

(क) देश में राष्ट्रीय विकास के लिये अल्प बचत को और भी अधिक बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं;

(ख) क्या अल्प बचत को प्रोत्साहित करने के लिये कारखानों में "आन्तरिक अभिकरण योजना" चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) अल्प बचत को लोकप्रिय बनाने का आन्दोलन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । इस आन्दोलन को और अधिक व्यापक बनाने के लिये हाल ही में जो महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की गई हैं, उनमें केन्द्रीय और राज्य मंत्रणा समितियों की स्थापना, राष्ट्रीय बचत संगठन का विस्तार, नये प्रकार के विनियोजनों को चालू करना और प्राधिकृत अभिकरण योजना का विस्तार करना भी है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]** ।

हीरा उद्योग

†*४१२. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरा उद्योग को विकसित करने के लिये एक संविहित स्वायत्त शासी निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी इस मामले की परीक्षा की जा रही है ।

अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती

†*४१३. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में कर्मचारियों की भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहृत प्रणाली में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जिस एक मसले विशेष पर विचार किया जा रहा है वह यह है कि क्या उम्मीदवारों के चुनाव में मौखिक परीक्षा निर्णायक होनी चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, जिन विषयों के सम्बन्ध म विचार किया जा रहा है उनमें से एक यह भी है कि अभी इस समय मौखिक परीक्षा म अर्हता प्राप्त करन के लिये जितन न्यूनतम अंक विहित किये गये हैं, उन्हें जारी रखा जाये, या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कुछ इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त होने के कारण कि कुछ उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त किये गये थे लेकिन मौखिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने लायक अंक न पाने पर उनको अनर्हत घोषित कर दिया गया था। गृह-कार्य मंत्री ने इस सभा के आय-व्ययक सत्र के अपने भाषण में कहा था कि यह विषय विचारणीय था। उसी के अनुसार इस पर विचार किया जा रहा है।

इण्डिया आफिस पुस्तकालय

†*४१५. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री १३ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन स्थित इण्डिया आफिस पुस्तकालय के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ कोई समझौता करने में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : कोई नहीं।

पश्चिम बंगाल में तेल

†*४१६. { **श्री क० कु० बसु** :
श्री बंसल :

क्या **प्राकृतिक-संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पाये जाने वाले तेल का वाणिज्यिक अनुसंधान कब आरम्भ किया जाने को है; और

(ख) यह अनुसंधान किन अभिकरणों के द्वारा किया जायेगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). भारत सरकार और स्टैण्डर्ड वैकुअम ऑयल कम्पनी का सम्मिलित उपक्रम---इण्डो-स्टैनबैक पैट्रोलियम प्रोजैक्ट (परियोजना) इस समय पश्चिमी बंगाल के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में तेल के लिये वाणिज्यिक अनुसंधान कर रहा है।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वेतन श्रेणियां

†*४१७. **श्री मात्तन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार न अब विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पुनरीक्षित वेतन श्रेणियों को कार्यान्वित कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि राज्य में विभागों के प्रधानों का अधिकतम वेतन केवल १,००० रुपये है, इसलिये इस प्रस्ताव का तुरन्त प्रभाव सभी सरकारों सेवाओं पर पड़ता है। इसलिये, इस विषय के सभी पक्षों पर तथा इस प्रस्ताव के समूचे वित्तीय प्रभाव पर बड़ी सावधानी से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

दिल्ली के अध्यापकों का वेतनक्रम

*४१८. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ अगस्त, १९५६ क तारांकित प्रश्न संख्या १६०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम का पुनरीक्षण करने की सिफारिश को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : संशोधित वेतन मान देने के लिये सभी सरकारी स्कूलों को आज्ञायें पहले ही जारी की जा चुकी हैं।

मुद्रा बाजार

†*४१९. **श्री ग० ध० सोमानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि व्यापारिक व्यस्तता के मौसिम से पहले मुद्रा बाजार में बहुत ही अधिक वित्तीय तंगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिन परिस्थिति को आसान बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां।

(ख) यह तो नित्य-प्रति के मुद्रा-प्रबन्ध से सम्बन्धित एक विषय है, और इसके बारे में पहले से कोई वक्तव्य देना सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय खनिज मंत्रणा बोर्ड

†*४२०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **प्राकृतिक, संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज मंत्रणा बोर्ड की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि अजमेर, कलकत्ता, नागपुर और बंगलौर में समय-समय पर उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में खनिज पदार्थों के अनुसंधान और खनन कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने के लिये क्षेत्रीय मंत्रणा बोर्ड की स्थापना की जाये;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना कब की जायेगी; और

(ग) प्रत्येक क्षेत्रीय बोर्ड का क्षेत्राधिकार क्या रहेगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सारे देश के लिये उत्तरी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी चार क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करने का विचार। नामजदगियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही एक घोषणा की जायेगी जिससे कि य परिषदें नये वर्ष में अपना कार्य आरम्भ कर सकें।

जैट लड़ाकू और बमवर्षक विमान

†*४२२. **श्री भागवत झा आज़ाद** :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैट लड़ाकू और बमवर्षक विमानों के क्रय के लिये ब्रिटिश व्यावसायिक संस्थाओं के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसे लड़ाकू और बमवर्षक विमानों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में इसी प्रकार के जैट विमानों के निर्माण के प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) से (ग). एक ब्रिटिश व्यावसायिक संस्था के साथ, अनुज्ञप्ति प्राप्त करके, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में 'ग्नैट' लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिये एक करार किया गया है। आरम्भ में इस प्रकार के कुछ विमान इस व्यासायिक संस्था से सीधे ही खरीदे जायेंगे। उनका बताना लोकहित में नहीं होगा।

अखिल भारतीय औद्योगिक प्रबन्ध सेवा

†*४२३. **श्री गिडवानी** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बहादुर सिंह :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री राम कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य द्वारा प्रबन्धित या अपने स्वामित्व में लिये गये औद्योगिक उपक्रमों के कार्य-संचालन के लिये अखिल भारतीय सेवा में कितने व्यक्ति भर्ती किये जायेंगे;

(ख) उनकी अर्हतायें क्या होंगी;

(ग) उनका चुनाव किस प्रकार किया जायेगा; और

(घ) उनके वेतन क्या होंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क), (ख) और (घ). अभी इस योजना पर विचार किया जा रहा है। अन्तिम निर्णय किये जाते ही, इन बातों से सम्बन्धित सूचना दे दी जायेगी।

(ग) यह भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के जरिये से की जायेगी।

अंधे व्यक्तियों की संख्या का सर्वेक्षण

†*४२४. **श्री दी० चं० शर्मा** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८२३ क उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अंधे व्यक्तियों की संख्या के प्रस्तावित नमूना सर्वेक्षण के सम्बन्ध में अब तक क्या अग्रेतर प्रगति की गई है; और

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). प्रश्नावलियां तैयार करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। चुने हुए क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

नासिक स्थित करैन्सी नोट छापने का प्रैस

†*४२५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक स्थिति करैन्सी नोट छापने वाले प्रैस ने १९५५–५६ में विदेशों के लिये करैन्सी नोटों का मुद्रण किया था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने देशों ने ऐसे आर्डर दिये थे ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बीमा निगम कर्मचारियों के वेतन

†*४२६. **श्री बंसल :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकरण से पहले बीमा समवायों द्वारा अदा किये गये कुल वेतन बिल की तुलना में बीमा निगम द्वारा अदा किये जाने वाले वेतन बिल की राशि के काफी अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण की तिथि के बाद से इसमें कितनी अतिरिक्त राशि सम्मिलित की गई है ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) जी, हां; जहां तक हम अभी इसे देख पाये हैं ।

(ख) कर्मचारियों के वेतनों के नई वेतन श्रेणियों के अनुसार निर्धारित किये जाने पर ही ठीक-ठीक अतिरिक्त लागत का पता लग सकेगा ।

कोलार स्वर्ण खानें

†*४२७. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री साधन गुप्त :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर की स्वर्ण खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कोलार स्वर्ण खानों के अंशधारियों को क्या प्रतिकर दिये जाने का निर्णय किया गया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) १६४ लाख रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में ।

अफीम

†*४२८. **श्री खू० चं० सोधिया** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफीम के अवैध व्यापार की रोक-थाम के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक किन-किन राज्य सरकारों से परामर्श किया है और इस व्यापार का अन्त करने के लिये सरकार कौन-कौन से नये उपाय काम में ला रही है;

(ख) अफीम तथा अन्य नशीली जड़ी-बूटियों के अवैध व्यापार को आंकने के लिये क्या सरकार ने कभी कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के व्यापार का अनुमित वार्षिक मूल्य कितना है और किन-किन क्षेत्रों में यह व्यापार चल रहा है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) पेप्सू और पंजाब में अफीम के अवैध व्यापार की रोक थाम के लिये १९५५ और १९५६ में इन राज्यों की सरकारों से बातचीत की गयी थी। सितम्बर, १९५६ में एक सम्मेलन भी किया गया, जिसमें और बातों के साथ-साथ इसके उपायों पर भी विचार किया गया। इस सम्मेलन में १७ राज्यों की सरकारों ने भाग लिया। सम्मेलन में अफीम की खेती, लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) प्राप्त व्यापारियों द्वारा उसकी बिक्री और चोरी छिपे अफीम ले जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने से सम्बद्ध रोकथाम के उपायों को और कड़ा करने के बारे में कई निर्णय किये गये।

(ख) इस सम्बन्ध में विशेष रूप से कोई जांच नहीं करायी गई। इस समय भारत सरकार में मादक-द्रव्य आयुक्त (नारकोटिक्स कमिश्नर) और राज्य सरकारों के इस मामले से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न विभाग इस सम्बन्ध में सतर्क हैं और जो भी समस्यायें पैदा होती हैं उनके बारे में उचित कार्रवाई करते हैं।

(ग) ठीक-ठीक अनुमान सम्भव नहीं है और इसके कारण भी स्पष्ट हैं। फिर भी सभा की मेज़ पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें बताया गया है कि १९५५ और उससे पहले के दो वर्षों में कितनी-कितनी मात्रा में औषधियां पकड़ी गयीं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६७]**

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल

†*४२९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसी कुल कितनी संस्थायें हैं जो राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के छात्र सैनिकों को प्रशिक्षण दे रही हैं और प्रत्येक राज्य में क्रमशः कितने-कितने छात्र सैनिक हैं; और

(ख) उन्हें सरकार की ओर स कितनी सहायता अनुदान और सहायता मिलती है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६८]**

(ख) राष्ट्रीय सेनाछात्र दल एककों को बनाने और चलाने का सारा व्यय नियमतः पूर्ण रूप से राज्य और केन्द्र की सरकारों को वहन करना पड़ता है। उन कुछ स्कूलों के मामलों में, जो राष्ट्रीय सेनाछात्र दल एकक स्थापित करना चाहते हैं और जिनके लिये अन्यथा कोई एकक आवंटित नहीं किये गये हैं, यदि वे राज्य के भाग का व्यय उठाने के लिये सहमत हैं तो आवश्यक संख्या में एकक आवंटित कर दिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आधुनिक विचारों पर पुस्तकें

†*४३०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री ४ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरिद्र कृषकों और श्रमिकों को सस्ते मूल्यों पर आधुनिक विचारों की पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी अब एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, विशेषत: दरिद्र कृषकों और श्रमिकों को आधुनिक विचारों की पुस्तकें कम मूल्य पर उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार करने की कोई प्रस्थापना नहीं है। तो भी, कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालयों ने अपने-अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित जानकारी का प्रसार करने के लिये साहित्य तैयार किया है और वे उस सहित्य को अभिरुचि रखने वालों को मुफ्त अथवा सस्ते मूल्य पर देते हैं ।

केरल का खनिज सर्वेक्षण

†*४३१. **श्री वें० प० नायर :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार निकट भविष्य में केरल राज्य का एक विस्तृत खनिज सर्वेक्षण करेगी;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से सर्वेक्षण आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) उक्त सर्वेक्षण के लिये कितने प्रविधिक कर्मचारी नियुक्त करने का विचार है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). हां श्रीमान्। १ नवम्बर से आरम्भ होने वाली १९५६-५७ की शरद ऋत में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित अनुसन्धानों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६९]**

(ग) बीस। कर्मचारियों की संख्या यदि आवश्यकता हुई तो बाद में बढ़ा दी जायेगी।

अल्प बचत

†*४३२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में अल्प बचत योजना विनियोजन के अन्तर्गत कुल कितनी धन राशि एकत्र हुई; और

(ख) इसी कालावधि में दस वर्षीय राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्रों में कुल कितनी राशि एकत्र की गई ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) ६७·९३ करोड़ रुपये (शुद्ध)।

(ख) ९ करोड़ रुपये (शुद्ध)।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में तेल

†*४३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल विशेषज्ञों के उस दल ने जिसने कि पंजाब का वायुचुम्बकीय सर्वेक्षण किया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां तेल निक्षेपों के होने की क्या संभावनायें हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

सहायक छात्रसेना दल

†*४३४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य सहित सभी राज्यों में सहायक छात्रसेना दलों की गतिविधियों का विस्तार करने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) १९५६–५७ में जम्मू और काश्मीर में कितने सहायक छात्रसेना दल प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) १९५६–५७ में सभी राज्यों के लिये प्रशिक्षार्थियों का कुल लक्ष्य क्या है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, हां ।

(ख) अध्यापकों के लिये एक प्रशिक्षण शिविर अक्तूबर, १९५६ में आयोजित किया गया था । प्रशिक्षित अध्यापक अपने-अपने स्कूलों में सहायक छात्रसेना दलों के छात्र सैनिकों को प्रशिक्षण देंगे ।

(ग) ९,००,००० छात्र सैनिक ।

छावनी बोर्ड

†*४३५. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये विभिन्न छावनी बोर्डों से विकास योजनायें मांगी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या फिरोजपुर, जालन्धर और अम्बाला छावनी बोर्डों ने भी अपनी प्रस्थापनायें भेजी हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या योजनाओं के ब्यौरे और उन के सम्बन्ध में किये गये निर्णयों को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समूची कालावधि के लिये तीनों छावनी बोर्डों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं और उन पर आने वाली अनुमानित लागत को दिखाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७०**] अब तक जिन योजनाओं को

†मूल अंग्रेजी में

मंजूर किया गया है और उन पर १९५६–५७ में जितनी धन राशियां व्यय करने का विचार है, यह सूचना भी इस विवरण में दी गई है।

कीमतों का संतुलन

*४३६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार किसानों के प्रतिदिन के इस्तेमाल की वस्तुओं, जैसे नमक, मिट्टी का तेल, कपड़े आदि की कीमतों का खाद्यान्नों के मूल्यों से संतुलन बनाये रखने के लिये कोई योजना बनाने वाली है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जी नहीं, ऐसी योजना तब तक संभव नहीं जब तक वितरण की सब प्रणालियों पर सरकार का पूरा अधिकार न हो। मैं नहीं कह सकता कि देश, सरकार द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई किये जाने का समर्थन करेगा या नहीं।

केरल में ग्रेफाइट और सोनामक्खी

†*४३६-क. **श्री वें० प० नायर :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ग्रेफाइट और सोनामक्खी की उपलब्धि के विषय में कोई ब्योरेवार अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार १९५६–५७ के क्षेत्र कार्य मौसम में इन संसाधनों का एक विस्तृत सर्वेक्षण करेगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). केरल राज्य के ग्रेफाइट निक्षेपों के सम्बन्ध में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा केवल प्रारम्भिक अनुसंधान किये गये हैं। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा १९५६–५७ में विशेषत: केरल के ग्रेफाइट निक्षेपों के सम्बन्ध में व्योरेवार मानचित्र तैयार किये जाने की प्रस्थापना है।

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने सोनामक्खी की उपलब्धि के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अनुसंधान कार्य कर लिया है। व्योरेवार मानचित्र तैयार हो जाने के पश्चात् केरल में उपलब्ध सोनामक्खी का व्योरेवार अनुसंधान आरम्भ किया जायेगा।

केरल कर्मचारीवृन्द

†२९६. **श्री वें० प० नायर :**
श्री पुन्नूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों में ऐसे आकस्मिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी ५ वर्ष से अधिक की निरन्तर सेवा है;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों को आकस्मिक सेवा से नियमित सेवा में ले लेने के प्रश्न की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है; और

(घ) आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् क्या लाभ दिये जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ३१०७

(ख) और (ग). इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि का लाभ मिलता है । चंदे की दर कर्मचारी और सरकार के लिये प्रति रुपया ६ पाई है ।

केरल में जिला मुख्यालय भवन

†२९७. **श्री वें० प० नायर :**
श्री पुन्नूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के जिला मुख्यालय में कुल कितने सरकारी कर्मचारी काम करेंगे;

(ख) उनमें अघोषित पदाधिकारियों की संख्या कितनी हैं;

(ग) कितने अघोषित पदाधिकारियों को सरकारी क्वार्टर मिलेंगे; और

(घ) ऐसे सरकारी भवनों के लिये किराया लेने सम्बन्धी प्रस्थापनायें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) त्रिचूर, कोट्टायम और क्विलोंन के जिला मुख्यालयों में २५९१ । अन्य के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) २४५३ ।

(ग) बनाये जाने वाले २५३ क्वार्टरों में से १८४ अघोषित पदाधिकारियों के आवास के लिये हैं । वर्तमान क्वार्टरों के सम्बन्ध में जानकारी अभी मिलनी है ।

(घ) अन्तिम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों से क्वार्टरों के लिये कोई किराया नहीं लिया जाता है । अन्य अघोषित पदाधिकारियों से सामान्यत: वेतन का १० प्रतिशत किराये के रूप में लिया जाता है । नये बनने वाले भवनों के सम्बन्ध में किराये की दर के बारे में कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

केरल के आबकारी विभाग में वेतन-क्रम

†२९८. **वें० प० नायर :**
श्री पुन्नूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७३९ के उत्तर के सम्बन्ध में, (१) केरल सेवा और (२) केन्द्रीय सरकार की सेवा के आबकारी विभाग के अघोषित पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों को पृथक्-पृथक् दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों के लिये आवास स्थान

†२९९. { **श्री वें० प० नायर :**
श्री पुन्नूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे अघोषित सरकारी कर्मचारियों का, जिन के पास सरकारी आवास स्थान न्यूनतम किराये पर है, श्रेणीवार ब्योरा क्या है; और

(ख) यह रियायत किन स्थानों पर दी जाती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अब तक उपलब्ध जानकारी को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७२]** और अधिक जानकारी एकत्र की जा रही है और एक पूर्ण विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

भारत में विदेशी

†३००. **श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में (राज्यवार) कितने विदेशी हैं;

(ख) उनकी वृत्ति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७३]**

(ख) कारोबार, धर्मप्रचार, कार्य, अध्ययन, चिकित्सा तथा सामाजिक कार्य, और पर्यटन।

राज्यों में संगीत नाटक अकादमियां

†३०१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों में अब तक प्रादेशिक संगीत नाटक अकादमियां स्थापित की गई हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : १-११-५६ को राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व आसाम, बिहार, हैदराबाद, मद्रास, मैसूर, मध्य भारत, उड़ीसा, राजस्थान, सौराष्ट्र, और कुर्ग राज्यों में प्रादेशिक संगीत नाटक अकादमियां काम कर रही थीं।

बैंकर प्रशिक्षण कालिज

†३०२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री ४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में (राज्यवार) स्थापित किये जाने वाले बैंकर प्रशिक्षण कालिजों की संख्या के सम्बन्ध में तब से कोई निश्चय किया गया है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : अभी इस समय यह बताना संभव नहीं है कि क्या अगली पंचवर्षीय योजना में और अधिक बैंकर प्रशिक्षण कालिजों को स्थापित किया जायेगा। भारत के रक्षित बैंक द्वारा समय-समय पर स्थिति का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

धातु विज्ञान का प्रशिक्षण

†३०३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा धातु विज्ञान के प्रशिक्षण के लिये अब तक कितने विद्यार्थियों को सोवियत रूस भेजा गया है; और

(ख) १९५६–५७ में कितने विद्यार्थियों को भेजा जाना है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) भारत सरकार द्वारा अभी तक धातु विज्ञान के प्रशिक्षण के लिये कोई विद्यार्थी सोवियत रूस में नहीं भेजा गया है, किन्तु ८० स्नातक इंजीनियरों को, जो भिलाई इस्पात परियोजना के प्रस्तावित पदाधिकारी हैं, इस्पात कार्यों सम्बन्धी विभिन्न विभागों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये रूस भेजा गया है ।

(ख) कोई नहीं ।

संगीत नाटक अकादमी

†३०४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संगीत नाटक अकादमी ने अब तक, राज्यवार, कितनी संस्थाओं को मान्यता प्रदान की है और उनके नाम क्या हैं ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । [देखिये संख्या एस/५०८/५६]**

संगीत नाटक अकादमी

†३०५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा १९५६–५७ में अब तक विभिन्न संस्थाओं को कितनी राशि के अनुदान दिये गये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : संगीत नाटक अकादमी ने १९५६–५७ में अभी तक किसी भी संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया है ।

खानाबदोश आदिम जातियां

†३०६. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की खानाबदोश आदिम जातियों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी खानाबदोश आदिम जातियों के (राज्यवार) क्या नाम हैं और उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उनके कल्याण के लिये क्या कार्य किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों का कल्याण मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । राज्य सरकारों की दूसरे पिछड़े वर्गों की सूचियों में जिन खानाबदोश आदिम जातियों को सम्मिलित किया गया है, वे दूसरे पिछड़े वर्गों के कल्याण के हेतु उनकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रियों को भत्तों का भुगतान करने सम्बन्धी नियम

†३०७. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६५१ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों को विदेश यात्रा के अवसर पर दिये जाने वाले भत्तों, यात्रा भत्ते और दूसरे भत्तों से सम्बन्धित नियमों और विनियमों की एक प्रति पुस्तकालय में कब रखी जाने को है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मंत्रियों के यात्रा तथा अन्य भत्ते इस समय मूल तथा अनुपूरक नियमों में किये गये विभिन्न उपबन्धों और समय-समय पर जारी किये गये दूसरे आदेशों द्वारा विनियमित किये जाते हैं। अब इन नियमों और आदेशों को एकीकृत किया जा रहा है और उसकी एक प्रति सभा-पटल पर तथा पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

विस्फोटक पदार्थ

†३०८. **श्री बंसल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९५६ में गुड़गांव से दिल्ली छावनी भेजा गया एक बक्स जिसमें कुछ भयंकर विस्फोटक पदार्थ थे, रास्ते में चुरा लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विस्फोटक पदार्थों का पता लग गया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, नहीं। भयानक विस्फोटक गोला बारूद के ४ राउंडों का एक बक्स, जबकि १८-९-५६ को उसे गुड़गांव से दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन पर लादने के लिये ले जाया जा रहा था, पालम के पास गाड़ी से सड़क पर गिर गया था।

(ख) इसके थोड़ी देर बाद ही भारतीय विमान सेवा की पुलिस को यह बक्स मिल गया था और वह पालम स्थित विमान सेवा के अधिकारियों से गोला बारूद डिपो गुड़गांव द्वारा ले लिया गया था।

जीवन बीमा निगम

†३०९. **श्री साधन गुप्त** :
श्री वें० प० नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जीवन बीमा निगम के निरीक्षक पदाधिकारियों क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये वेतन-क्रम और सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं ;

(ख) उनके निर्धारित करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ; और

(ग) क्या प्रभावित होने वाले तथा किस प्रकार होने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया था ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). (१) भूतपूर्व बीमा समवायों में प्रचलित वेतन-क्रमों, (२) बड़े नगरों के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर कार्यालय खोलने के बारे में निगम की नवीन व्यवस्था, और (३) इसी प्रकार के अन्य सरकारी उपक्रमों के वेतन-क्रमों को दृष्टि में रखते हुए बनाये गये अस्थायी वेतन-क्रमों के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के पदाधिकारियों और निगम के सभापति द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई थी। इन चर्चाओं में जो दृष्टिकोण प्रकट किये गये थे और समय-समय पर कर्मचारियों की संस्थाओं द्वारा दिये गये ज्ञापनों

†मूल अंग्रेजी में

में जो दृष्टिकोण व्यक्त किये गये थे, उन पर भी यथोचित विचार किया गया था। निगम द्वारा घोषित किये गये अन्तिम वेतन-क्रम आदि बहुत ध्यानपूर्वक निर्धारित किये गये हैं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के विचारों को ध्यान में रखा गया है।

बीमा क्षेत्र कर्मचारी

†३१०. **श्री साधन गुप्त** :
श्री ल० ना० मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा सेवायुक्त क्षेत्र कर्मचारियों के वेतन-क्रमों और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है;

(ग) निर्णय करने से पूर्व क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी; और

(घ) क्या तथा किस प्रकार निर्णय करने से पूर्व प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया था ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). क्षेत्र-कर्मचारियों को निरीक्षकों के चार क्रमों में श्रेणीबद्ध किया गया है—परिवीक्षाधीन निरीक्षक, कनिष्ठ श्रेणी के निरीक्षक, वरिष्ठ श्रेणी के निरीक्षक तथा प्रवर श्रेणी के निरीक्षक। वर्तमान कर्मचारियों को अपनी योग्यता दर्शाने के लिये उचित अवसर देने के हेतु, श्रेणीकरण के कार्यों को अक्तूबर, १९५७ तक के लिये निलम्बित कर दिया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवस्थाओं में अपने कार्य के आधार पर जांचे जाने का अवसर दिया जाये।

विशेष पुलिस संस्थापन

†३११. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में जुलाई से अक्तूबर, १९५६ तक विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा दर्ज किये गये कितने मामलों में न्यायालयों ने दण्ड दिया;

(ख) इन मामलों में किन श्रेणियों के लोग अन्तर्ग्रस्त थे;

(ग) उन पर किस प्रकार के अपराधों के लिये अभियोग चलाये गये थे; और

(घ) क्या कुछ सरकारी कर्मचारी घूस लेने के अपराध में लिप्त थे, और यदि हां, तो वे किन विभागों से सम्बन्धित थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). जुलाई से अक्तूबर, १९५६ तक की अवधि में पंजाब राज्य में विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा दर्ज किये गये दो मामलों में दण्ड दिया गया था इन में दो सरकारी कर्मचारी यथा स्टेशन मास्टर, जुलाना तथा मुरादाबाद का एक माल लादने वाला फायर मैन तथा एक गैर-सरकारी दुकानदार लिप्त थे। इन व्यक्तियों पर प्रत्येक के सामने दिये गये अपराधों के लिये मामला चलाया गया था :

(१) स्टेशन मास्टर	घूस लेना और अभिलेखों में जालसाजी करना (भारतीय दण्ड संहिता की धारायें १६१ और ४७७-क);

†मूल अंग्रेजी में

(२) माल लादने वाला फायरमैन	षड्यंत्र, धोखा और दुरुत्साहन (भारतीय दण्ड संहिता की धारायें १२०–ख/ ४२०, ४२०/ १०९ तथा ४२०/११६),
(३) दुकानदार	षड्यंत्र, धोखा और एक ऐसे जाली दस्तावेज को जिसके बारे में मालूम था कि वह जाली है, सत्य कह कर काम में लाना। (भारतीय दण्ड संहिता की धारायें १२०–ख/४२०, ४२०, ४२०/ ५११ और ४७१/५११)।

आर्मी इंस्ट्रक्शन्स (इंडिया)

†३१२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्मी इंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) भारत सरकार के प्रतिरक्षा मंत्रालय का एक साप्ताहिक प्रकाशन है;

(ख) क्या इसमें केवल वही आदेश होते हैं, जिन्हें भारतीय सेना के लिये बनाने का भारत सरकार को अधिकार है; और

(ग) क्या उक्त प्रकाशन में प्रकाशित आदेश हमारे वर्तमान संविधान के लागू होने से पूर्व विधि के समान थे, जिनकी अब भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ (१०) में वर्तमान विधि के रूप में परिभाषा की गई है;

(घ) क्या वायसराय कमीशन प्राप्त पदाधिकारी की पदोन्नति रोकने से सम्बन्धित विधि भारतीय सनिक विधि संहिता, १९४२ के पृष्ठ १५१ पर दी गई है; और

(ङ) क्या वायसराय कमीशन प्राप्त पदाधिकारी की पदोन्नति रोकने के बारे में कोई और विधि थी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां। सैनिक अनुदेश प्रति सप्ताह जारी किये जाते हैं, वे केवल शासकीय उपयोग के लिये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी नहीं, भारतीय सैनिक विधि संहिता १९३७ के १९४२ के पुनःमुद्रण के पृष्ठ संख्या १५१ पर केवल कुछ दण्डों के बारे में टिप्पणियां दी हुई हैं जिनमें पदोन्नति के लिये वरिष्ठता या सेना जब्त करने का उपबन्ध सम्मिलित हैं और इस दंड को भारतीय सेना अधिनियम, १९११ के अन्तर्गत संक्षिप्त निर्णय के द्वारा दिया जा सकता है।

(ङ) जी, हां। भारतीय सेना अधिनियम, १९११ की धारा ४३।

राष्ट्रीय राइफल संथा

†३१३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की राष्ट्रीय राइफिल संथा ने दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अपने विस्तार के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) 'क' तथा 'ख' श्रेणी के रेंजों का निर्माण, सदस्यों को शस्त्रास्त्रों, गोला बारूद तथा उपकरणों का संभरण करने के लिये एक विक्रय विभाग खोला जाना; राइफल क्लबों का विकास, राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम, केन्द्रीय राइफल-पिस्तौल प्रशिक्षण स्कूल ।

केरल में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों में साक्षरता

†३१४. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री पुन्नूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में अनुसूचित जातियों की साक्षरता की तुलना में केरल की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में साक्षरता की प्रतिशतता क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : सन् १९५२ की जनगणना में सामान्य जनता के लिये, केवल शिक्षा सम्बन्धी प्रमापों और व्यवसाय सम्बन्धी वर्गों के अनुसार साक्षरता का अनुप्रस्थ रूप से सारणीकरण किया गया था । १० प्रतिशत जनसंख्या के सम्बन्ध में साक्षरता का आयु-वर्गों के द्वारा भी अनुप्रस्थ रूप से सारणीकरण किया गया था । परन्तु किसी जाति विशेष या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अन्य पिछड़े हुये वर्गों और गैर-पिछड़े हुए वर्गों जैसे विशेष वर्गों के अनुसार साक्षरता सम्बन्धी कोई अनुप्रस्थ सारणीकरण नहीं किया गया था । इसलिये केरल राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों में साक्षरता की प्रतिशतता ज्ञात नहीं है ।

ओरियेन्टल बैंक आफ इंडिया लि०

†३१५. **श्री का० सु० राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के थोडूपुज़ा में स्थिति ओरियेन्टल बैंक आफ इंडिया को बैंक व्यापार करने के लिये दिया गया लाइसैंस क्यों रद्द कर दिया गया है; और

(ख) क्या निक्षेपकों एवं अंशधारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) लाइसैंस रद्द करने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि इस बैंक को कभी कोई लाइसैंस मिला ही न था । रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस बैंक को लाइसैंस देने से इन्कार कर दिया था क्योंकि यह बैंक-समवाय अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (३) के खंड (२) तथा (ख) की आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सका था ।

(ख) यह स्वयं बैंक के विनिश्चय पर निर्भर होगा कि वह लाइसैंस न मिलने पर बैंक-व्यापार न करने वाला समवाय का रूप लेता है या स्वेच्छापूर्वक परिसमापन करता है ।

समवाय अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत अंशधारियों को अधिकार दिया गया है कि वे बैंक के खातों की जांच-पड़ताल करायें प्रबन्धकों की बैठक बुलायें या उसका विघटन करें । अतः अंशधारी ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं जो वे आवश्यक समझें, और इसमें उनके हितों को सुरक्षित करने के लिये बैंक का परिसमापन करना भी सम्मिलित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निम्न श्रेणी के क्लर्क[1]

†३१६. **श्री वेलायुधन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निम्न श्रेणी के क्लर्कों के संघ द्वारा की गई मांगें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने किन-किन मदों को स्वीकार नहीं किया है; और

(ग) क्या उन्हें अधिक समय तक काम करने का भत्ता समय पर उनके वेतन के साथ ही दे दिया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). निम्न श्रेणी के क्लर्कों के संघ की मुख्य मांगों का सम्बन्ध उनके वेतनक्रम, भाग न लेने वाले कार्यालयों में निम्न श्रेणी के क्लर्कों को दो अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां देने और केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क-सेवा योजना के कुछ उपबन्धों में रूपभेद करने से हैं। वेतनक्रम के पुनरीक्षण सम्बन्धी मांग के बारे में यह विनिश्चय किया गया है कि १ अप्रैल, १९५६ से सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों में तथा १ अगस्त, १९५६ से भाग न लेने वाले कार्यालयों में ३ निम्न श्रेणी के क्लर्कों के लिये ५५–३–८५–दक्षतावरोध–४–१२५–५–१३० रुपये के वेतन-क्रम को पुनरीक्षित करके ६०–३–८१–दक्षतावरोध–५–१२५–५–१३० रुपये कर दिया जाये। भाग न लेने वाले कार्यालयों में क्लर्कों को दो अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां देने के बारे में श्री भीखा भाई तथा डा० रामा राव के प्रश्न संख्या ५२१ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो ३० नवम्बर, १९५४ को सभा में दिया गया था। स्थिति अब भी वही है जिसका उल्लेख उसमें किया गया था। केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क-सेवा योजना के कुछ उपबन्धों में रूपभेद करने के बारे में, संघ से प्राप्त हुए अभिवेदन में मुख्यतया इन क्लर्कों को पदोन्नति देकर उच्च श्रेणी के क्लर्क और केन्द्रीय सचिवालय-सेवा में सहायक (असिस्टैंट) की श्रेणी में रखने, उच्च श्रेणी में उनके स्थायी बनाये जाने के लिये उनकी ज्येष्ठता निर्धारित करने, अतिरिक्त वेतन वृद्धि के योग्य बनाने के लिये टाइप की निर्धारित गति ४० शब्द प्रति मिनट कम करने तथा निम्न श्रेणी के वेतनक्रम में स्थायी बनने के लिये कुछ वर्गों के क्लर्कों को टाइप की परीक्षा से छूट देने का उल्लेख है। इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करने में सरकार की असमर्थता के लिये खेद प्रकट करते हुए आदेश जारी किये जा चुके हैं और संघ को भेज दिये गये हैं।

(ग) इस समय क्लर्कों को अधिक समय तक काम करने का कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। इस प्रकार समय पर वेतन के साथ इसके भुगतान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

सहायक पदाली[2]

†३१७. **श्री वेलायुधन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक पदाली की संख्या में वृद्धि हो रही रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा की जा रही है या पदोन्नति द्वारा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी ४ (असिस्टैन्ट) की प्राधिकृत स्थायी संख्या पुनर्विलोकन के बाद १ जनवरी, १९५६ से ३,००० निर्धारित की गई थी। और अधिक वृद्धि का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्गठन तथा अधिक भर्ती) योजना के अनुसार सेवा की प्रारम्भिक रचना के बाद रिक्त होने वाले स्थानों में से ७५% संघ और सेवा आयोग द्वारा की

†मूल अंग्रेजी में

१. Lower Division Clerks.

२. Assistants Cadre.

जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती से तथा ७५ प्रतिशत क्लर्कों को पदोन्नति देकर भरे जायेंगे ।

उत्पादन विभाग में भ्रष्टाचार

†३१८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के वर्ष में अब तक केन्द्रीय उत्पादन विभाग के पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) अब तक कितनी शिकायतों की जांच और अन्तिम निश्चय किया गया है; और

(ग) इन शिकायतों के परिणामस्वरूप कितने पदाधिकारियों को दण्ड दिया गया है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) ४९३ ।

(ख) २२१ ।

(ग) २४ ।

पंजाब में लोक कल्याण-कार्य विस्तार परियोजनायें

†३१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में केन्द्रीय सामाजिक लोक कल्याण बोर्ड ने पंजाब में कहां-कहां लोक-कल्याण-कार्य विस्तार परियोजनायें चालू की हैं;

(ख) इसी अवधि में राज्य में इन परियोजनाओं पर कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) इन परियोजनाओं में वस्तुतः की गई कार्यवाही तथा कल्याण कार्य की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) रोहतक, लुधियाना, अम्बाला, कुल्लू, गुरदासपुर और होशियारपुर के ज़िले ।

(ख) वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) स्त्रियों के लिये सामाजिक तथा शिल्पिक प्रशिक्षण प्रसूति तथा शिशु कल्याण सेवायें, बालबाड़ी तथा मेलों और उत्सवों का आयोजन ।

लाल किला

३२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में लाल किले के संधारण पर कितना व्यय किया गया है; और

(ख) १९५६–५७ में कितना धन व्यय होगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क)

वर्ष	व्यय हुआ धन
१९५३–५४ ...	१२,७५३/६/० रु०
१९५४–५५ ...	१०,२८८/९/० रु०
१९५५–५६	११,५७७/११/६ रु०

(ख) १६,६०० रुपये जिनमें से ५,३०० रुपये साधारण संधारण पर और शेष कुछ विशेष प्रकार की मरम्मत के कामों पर व्यय होंगे ।

---

†मूल अंग्रजी में

सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध

†**३२१. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रपति तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिये सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्धों के नियमों का पुनरीक्षण होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : राष्ट्रपति तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिये सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्धों के अनुदेश निरन्तर विचाराधीन व पुनरीक्षणाधीन रहते हैं।

गूजर सम्प्रदाय

†**३२२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रहने वाले गूजर समुदाय के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) चालू वर्ष में सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने हाल में ही गूजरों के कल्याण के लिये कुछ विशिष्ट योजनाओं का प्रस्ताव किया है। इन योजनाओं में इन लोगों को जमीन पर बसाने और उनके आवास एवं शिक्षा के लिये, चरागाहों और ढोर-अभिजनन में सुधार करने के लिये और घी व मक्खन के विपणन पर विशेष जोर देते हुए बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों के गठन के लिये उपबन्ध किया गया है। आजकल योजनायें भारत सरकार के विचाराधीन हैं और अन्तिम रूप से अनुमोदित होते ही कार्यान्वित की जायेंगी।

नावीय संग्रहालय[1]

†**३२३. श्री० दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३१ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक नावीय संग्रहालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां, ।

(ख) नाविक प्राधिकारी एक ऐसा संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

भूतत्वीय छानबीन

३२४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें उन भूतत्वीय जांच पड़ताल के ब्योरों का उल्लेख हो जो १९५६–५७ में पंजाब में की जायेंगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : १९५६–५७ में भारतीय भूतत्वीय परिमाप द्वारा पंजाब में की जाने वाली प्रस्तावित भूतत्वीय छानबीन का ब्योरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७४]**

---

†मूल अंग्रजी में

१. Nautical Museum.

पंजाबी भाषा और साहित्य

†३२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाबी भाषा और साहित्य के विकास के लिये सहित्य अकादमी[1] ने अभी तक क्या उपाय किये हैं;

(ख) क्या अब तक अकादमी द्वारा या उसकी सहायता से पंजाबी भाषा की कोई पुस्तक किसी अन्य भाषा में तथा किसी अन्य भाषा की कोई पुस्तक पंजाबी भाषा में अनुवादित, मुद्रित और प्रकाशित हुई है;

(ग) यदि हां, तो अनुवाद-कार्य में कौन-कौन व्यक्ति लगे हुए हैं; और

(क) इस उद्देश्य के लिये कितना धन नियत है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७५]**

प्राथमिक शिक्षा के लिये उपकर

†३२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री ८ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० के उत्तर के सम्बन्ध में उन शेष राज्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने अब तक अपने-अपने राज्य-क्षेत्र में नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा आरम्भ करने के लिये कर और उपकर लगाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : दिल्ली और मनीपुर (पुनर्गठन से पहिले के) राज्यों ने प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है ।

पंजाब में बुनियादी शिक्षा

†३२७. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुनियादी शिक्षा के विस्तार के लिये पंजाब राज्य को अब तक कितने धन का अनुदान दिया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७६]**

अनुसूचित जाति आदि के लिय छात्रवृतियां

†३२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ की अवधि में मैट्रिक परीक्षा उपरान्त छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) इसी अवधि में पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) :

(१) **अनुसूचित जातियां**

पुरुष विद्यार्थी	१४२९
महिला विद्यार्थी	१०
जोड़ :	१४३९

†मूल अंग्रेजी में

[1].Academy of Letters.

(२) **अनुसूचित आदिम जाति**

पुरुष विद्यार्थी	१८
महिला विद्यार्थी	शून्य
जोड़ :	१८

(ख) **पंजाब राज्य के अन्य पिछड़े हुए वर्ग**

(१) पुरुष विद्यार्थी	१७७
(२) महिला विद्यार्थी	४
जोड़ :	१८१

कैनेडा से सहायता

†३२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री २७, अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में कैनेडा द्वारा भारत की जो सहायता की जायेगी, क्या उसके सम्बन्ध में कैनेडा सरकार से अब कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी राशि वंटित किये जाने की आशा है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) कैनेडा की संसद् ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता के निमित ढाई करोड़ डालर पूंजी का देना स्वीकार किया है । अभी देशवार वंटन नहीं किया गया है । कैनेडा की संसद् ने भारत में आण्विक रीएक्टर परियोजना के लिये ७५ लाख डालर के विशिष्ट बंटवारे की भी स्वीकृत दी है ।

(ख) मद्रास राज्य में कुंडाह परियोजना के लिये ७० लाख डालर की रकम पहिले से ही पृथक् रक्षित की गई है, भारत के लिये अतिरिक्त बंटवारे तथा जिन विशिष्ट परियोजनाओं के लिये इन निधियों का उपयोग किया जायेगा इन बातों पर अभी बातचीत की जा रही है ।

पंजाब के शिविर-क्षेत्र

†३३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में अतिरिक्त शिविर-क्षेत्रों के निबटारे के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : पंजाब में पांच शिविर-क्षेत्रों को प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में फालतू घोषित किया गया था । राज्य सरकार इन्हें खरीदना चाहती थी । ५-१०-५६ को भूमि की बाजार की पूरी कीमत तथा उस पर बनी प्रतिरक्षा आस्तियों के खर्च की अदायगी करने पर राज्य सरकार को चार शिविर-क्षेत्रों के स्थायी अन्य-संक्रामण का प्रस्ताव किया गया था । पांचवें शिविर-क्षेत्र के सम्बन्ध बाजार की कीमत स्थानीय अधिकारियों से मालूम की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

पिछले अगस्त के बाद से बटाला के एक और शिविर-क्षेत्र को छोड़ देने का प्रस्ताव किया गया है और भूमि की वर्तमान बाजार की कीमत और उस पर बनी सम्पत्ति आदि की कीमत की अदायगी पर पंजाब सरकार को समस्त शिविर-क्षेत्र हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया गया है।

मद्य-निषेध आदेश का अतिक्रमण

†३३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में अब तक दिल्ली में मद्य-निषेध आदेश का अतिक्रमण करने पर कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : दिल्ली में कोई मद्य-निषेध अधिनियम लागू नहीं किया गया है। चालू वर्ष में आंशिक मद्य-निषेध लागू किये जाने की दिशा में कुछ प्रगामी निर्बन्धक कार्यवाहियां की गई थीं, इन निर्बन्धनों का अतिक्रमण किये जाने पर, उत्पादन अधिनियम के अधीन अन्य उत्पादन अपराधों तथा अभियोजनों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही की भांति ही कार्यवाही की जाती है। अप्रैल से अक्तूबर, १९५६ तक इस प्रकार के कुल ४३७ मामलों के सम्बन्ध में अभियोजन चलाये गये थे।

डा० हारालू

†३३२. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री कामत :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ७ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० हारालू की मृत्यु के सम्बन्ध में क्या संक्षेपण गवाही की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां।

(ख) अभियुक्त व्यक्तियों पर एक सामान्य सेना-न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया है। उस न्यायालय की कार्यवाही इस समय आसाम के जनरल आफीसर कमांडिंग के विचाराधीन है।

ईरान के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

†३३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ईरान के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा १९५५–५६ में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७७]**

श्री गैरी डेविस

३३४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपने को विश्व नागरिक बताने वाले श्री गैरी डेविस के भारत में रहने के लिये उनके 'विसा' की अवधि गत ४ अक्तूबर, १९५६ को ही समाप्त हो गयी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने उसे बढ़ाने के लिये कोई आवेदनपत्र दिया है; और

(ग) यदि प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर "नहीं" में है तो वे भारत में कैसे रह रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) उन्हें भारत में छः महीने और रहने की आज्ञा दी गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाल-गृह

†**३३५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में केन्द्रीय सरकार से कितने बाल-गृहों को सहायता प्राप्त हुई थी और १९५६–५७ में कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने बाल-गृह चलाये जाते हैं, वे कहां-कहां पर स्थित हैं और इन संस्थाओं में बालकों की संख्या कितनी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) १९५५–५६ में भारत सरकार ने अपचारी बालकों के गृहों को कोई सहायता नहीं दी थी । १९५६–५७ में कितनी सहायता दी जायेगी, इस बात का अभी फैसला नहीं किया गया है ।

(ख) दिल्ली में एक गृह चलाया जा रहा है जिसमें १०० बालक हैं ।

सैनिक लिपिकों का सेवामुक्त किया जाना

†**३३६. श्रीमती रेणु चक्रवती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना की सैन्य सामान टुकड़ी के सैनिक (जो मैट्रिक पास नहीं हैं) लिपिकों को ९ से १५ वर्ष की सेवा के बाद सेवामुक्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है; और

(ग) क्या वे विभिन्न प्रशासन केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और क्या उन्हें अर्ह वर्गों की भांति वेतन तथा भत्ते लेने के लिये स्थायी रूप से वर्गीकृत किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) तथा (ख). सेना की सैन्य सामान टुकड़ी के कुछ सैनिक लिपिकों को जिनकी भर्ती के समय शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम निर्धारित अर्हता अर्थात् मैट्रिकुलेशन (या इसके बराबर) नहीं थी, उन्हें सेवामुक्त किया जा रहा है । इन लिपिकों को १९४७ और १९५० के बीच भर्ती किया गया था और परिणामतः उनकी सेवा की अवधि किसी भी मामले में १० वर्ष से अधिक नहीं है ।

(ग) प्रशिक्षित सैनिक बनने के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों में रेजीमेंट सम्बन्धी तथा विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना पूर्व-अपेक्ष्य है । इस प्रकार के प्रशिक्षण से कोई व्यक्ति जो मैट्रिक नहीं है, मैट्रिक पास व्यक्तियों की दर से वेतन पाने का हकदार नहीं हो जाता है और इस अभिकरण पर आधारित कोई वर्गीकरण कि कोई व्यक्ति मैट्रिक पास था, जबकि वह वस्तुतः नहीं था, इसलिये अनियमित था ।

राजस्थान में स्वयंसेवक संस्थाओं को सहायता

†**३३७. श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३, १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में राजस्थान में, विशेषतया बीकानेर में, शिक्षा-सम्बन्धी कार्य कर रहीं स्वयंसेवक संस्थाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य में जिन संस्थाओं की सिफारिश की गई है उनके नाम क्या हैं;

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा उपरोक्त भाग (ख) के अनुसार जिन संस्थाओं की सिफारिश की गई थी उनमें से ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें सहायता दी गई थी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) १९५२–५३ से १९५५–५६ तक के वर्षों में राजस्थान में शिक्षा सम्बन्धी कार्य कर रहीं स्वयंसेवक संस्थाओं को निम्न वित्तीय सहायता दी गई थी :

	१९५२–५३ रुपये	१९५३–५४ रुपये	१९५४–५५ रुपये	१९५५–५६ रुपये
राजस्थान (बीकानेर को छोड़कर)...	१,३८,७५१	१,९९,२६७	४,५१,२९६	५,६०,८६७
बीकानेर...	१३,२००	—	१,११,२५६	१,८८,२३४
जोड़:	१,५१,९५१	१,९९,२६७	५,६२,५५२	७,४९,१०१

(ख) तथा (ग) :

वित्तीय सहायता के लिये राजस्थान सरकार द्वारा जिन संस्थाओं की सिफारिश की गई थी	**क्या उन्हें वित्तीय सहायता दी गई थी या नहीं**
१. गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर ...	हां
२. महिला आश्रम, भीलवाड़ा... ...	हां
३. विद्या भवन संस्था, उदयपुर ...	हां
४. राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर	हां
५. वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, जयपुर	हां
६. गुरुकुल, चित्तौड़...	हां
७. चोपासानी हाई स्कूल, जोधपुर	हां
८. बाल निकेतन, जोधपुर ...	हां
९. ग्रामोत्थान विद्यापीठ, सांगरिया	हां
१०. राजस्थान स्काउट्स एण्ड गाईड्स एसोसियेशन, जयपुर	हां
११. हैप्पी स्कूल, अलवर	हां
१२. माडर्न हाई स्कूल, जोधपुर	नहीं
१३. बीकानेर के गंगाशहर में शिक्षा सम्बन्धी तथा व्यवसायिक पथ-निर्देशन विभाग	नहीं
१४. एम० जी० डी० गर्ल्स पब्लिक स्कूल, जयपुर	हां
१५. बिरला इंजीनियरिंग कालिज, पिलानी	हां

रूस से आये विद्यार्थी

†३३८. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों में सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रूस के कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन विश्वविद्यालयों में वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) वे किस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जहां तक भारत सरकार को मालूम है ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

छावनी बोर्ड

†३३९. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाला, डिक्शई तथा अमृतसर में स्थित छावनियों से सम्बन्धित विकास योजनाओं के सम्बन्ध में क्या कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में प्रत्येक के सम्बन्ध में जो निर्णय किये गये हैं क्या उनकी प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** । (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अम्बाला, डिक्शई तथा अमृतसर छावनियों से सम्बन्धित विभिन्न विकास योजनाओं के सम्बन्ध में स्थिति बताई गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७८]**

आदिम जातियों के लिये कल्याण-कार्य

†३४०. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५–५६ में पश्चिमी बंगाल और विशेषकर मिदनापुर के आदिम जातीय लोगों की भलाई के कामों के लिये निर्धारित राशि का बहुत-सा भाग खर्च नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल की अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये १९५५–५६ के लिये १६ लाख रुपये की जो केन्द्रीय अनुदान सहायता की राशि निर्धारित की गयी थी, उसमें से केवल २ लाख २० हजार रुपये ही इस वर्ष के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा खर्च न किये जा सके । इसका कारण यह है कि स्वीकृत योजनाओं में से कुछ एक योजनाओं को पूर्णरूपेण कार्यान्वित नहीं किया गया है । राज्य सरकार के पास जिलावार व्यय के जो आंकड़े हैं, उनसे यह प्रकट नहीं होता कि मिदनापुर जिले के लिये निर्धारित राशि में से बहुत-सा धन खर्च न हो सकने के कारण वापिस हो गया है ।

भूमि-कर का संग्रह

†३४१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के भूतपूर्व त्रावणकोर-कोचीन क्षेत्र में 'जेन्मीकरोम कुदियान' से 'जेन्मीकरोम' के अतिरिक्त मूल भूमि-कर भी किसी तिथि से लेना प्रारम्भ कर दिया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस निर्णय के सम्बन्ध में 'जेन्मीकरोम कुदियान' को किस प्रकार से और किस वर्ष सूचित किया गया था; ; और

(ग) उपरोक्त कितने प्रतिशत कुदियानों को अभी तक व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ११२१ मलयालम संवत् से (जोकि ईसवीं संवत् के अनुसार १९४५ है) ।

(ख) ११२१ की भूमि-कर उद्घोषणा, जिसके अधीन सर्वप्रथम मूल भूमि-कर लगाया गया था, सरकारी गजेट में प्रकाशित की गई थी ।

(ग) मांग-नोटिस उन सभी काश्तकारों को जारी किये गये हैं, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक कर अदा नहीं किया था ।

भारत संहिता

†३४२. **श्री श० व० ल० नरसिंहम्** : क्या **विधि** मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 'भारत संहिता' के प्रकाशन में विलम्ब हो जाने के क्या कारण हैं ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : इसके प्रकाशन में अब कोई देर नहीं है । प्रस्तावित आठ अंकों में से चार अंक तो पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं, और शेष अंकों के भी १९५७ में ही प्रकाशित हो जाने की आशा है ।

मालारी पर खुदाई का काम

†३४३. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री ७ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में मालारी नामक स्थान पर पुरातत्व विभाग द्वारा की गयी खुदाई के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). केन्द्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा मालारी में अभी तक कोई भी खुदाई नहीं की गयी है । राज्य सरकार ने, जिसे कि यह कहा गया था कि वह मालारी के खण्डहरों के बारे में सविस्तार वृत्तांत भेजे, यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय पुरातत्व विभाग का कोई पदाधिकारी वहां पर जाये और जांच करे । शरद ऋतु में गिरी बर्फ के सफा हो जाने के बाद उस स्थान की जांच की जायेगी ।

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद्

†३४४. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा-सम्बन्धी अखिल भारतीय माध्यमिक परिषद् का जुलाई, १९५६ में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें मुख्य रूप से क्या-क्या सिफारिश की गयी थीं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार द्वारा उन्हें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७९**]

दिल्ली में अपराध

†३४५. { **सरदार इकबाल सिंह**
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में दिल्ली राज्य में निम्न प्रकार के कितने अपराध हुए थे (१) हत्या, (२) डाका, (३) अपहरण, (४) बालापहरण तथा (५) बलात्कार ।

(ख) इस प्रकार के कितने प्रतिशत अपराधों का कुछ भी पता नहीं चला है; और

(ग) भाग (क) में उक्त अपराधों में से ऐसे कितने मामले हैं जिनके अभियुक्तों को विमुक्त कर दिया गया है और पुलिस की कटुआलोचना की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** :

(क) (१) हत्या ४२
(२) डाके १
(३) अपहरण २५
(४) बालापहरण १३१
(५) बलात्कार ११७

(ख) (१) हत्या १४·२८ प्रतिशत
(२) डाके शून्य
(३) अपहरण १२ प्रतिशत
(४) बालापहरण २४·४ प्रतिशत
(५) बलात्कार ३·४ प्रतिशत

(ग) विमुक्त कर दिये गये अभियुक्तों की संख्या निम्नलिखित है :

(१) हत्या १२
(२) डाका —
(३) अपहरण ४
(४) बालापहरण २७
(५) बलात्कार ३९

किसी भी मामले में पुलिस के विरुद्ध कोई आलोचना या टिप्पणी नहीं की गयी है ।

[सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३८९–४१०

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३८५	अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण	३८९–९२
३८६	जीवन बीमा निगम (विभागीय पदाधिकारी)	३९२
४२१	जीवन बीमा निगम ...	४९२–९५
३८७	दक्षिणी उच्च प्रौद्योगिकीय संस्था	३९५–९६
३८८	दिल्ली के लिये मद्य-निषेध बोर्ड	३९६–९७
३८९	अन्दमान तथा निकोबर द्वीप समूह ...	३९७
३९०	"काश्मीर प्लेबिसाइट फ्रन्ट" की गतिविधियां	३९७–९८
३९१	भारत-पाकिस्तान बैंकिंग करार	३९८–४००
३९२	केन्द्रीय प्रबन्ध संस्था	४००
३९३	कोयला खानों का सर्वेक्षण	४००–०१
३९४	अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रदर्शन	४०१–०२
३९५	संग्रहालय सर्वेक्षण विशेषज्ञ समिति	४०२–०३
३९६	त्रावनकोर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी संघ	४०३–०५
३९७	भिखारी	४०५
३९८	नोटों के कागज का कारखाना	४०६
३९९	सीमाओं का सीमांकन	४०६–०७
४००	प्रतिरक्षा विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारी	४०७
४०१	हिन्दू धार्मिक संस्थायें	४०७–०८
४०२	पौण्ड-पावना	४०८
४०४	त्रिपुरा में माल का आयात ...	४०८–०९
४०६	गांधी दर्शन	४०९–१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४१०–३८

तारांकित प्रश्न संख्या		
४०५	पुस्तकों के उपहार	४१०
४०७	कैंटीन भंडार विभाग	४१०
४०८	त्रिपुरा में न्यायपालिका	४१०–११

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
४०६	अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती ...	४११
४१०	उत्कल विश्वविद्यालय योजना	४३१
४११	अल्प बचत ...	४११–१२
४१२	हीरा उद्योग	४१२
४१३	अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती	४१२–१३
४१५	इंडिया आफिस पुस्तकालय ...	४१३
४१६	पश्चिम बंगाल में तेल	४१३
४१७	विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वेतन श्रेणियां	४१३
४१८	दिल्ली के अध्यापकों का वेतन-क्रम	४१३–१४
४१९	मुद्रा बाजार ...	४१४
४२०	केन्द्रीय खनिज मंत्रणा बोर्ड ...	४१४
४२२	जैट लड़ाकू और बमवर्षक विमान ...	४१४–१५
४२३	अखिल भारतीय औद्योगिक प्रबन्ध सेवा	४१५
४२४	अंधे व्यक्तियों की संख्या का सर्वेक्षण ...	४१५–१६
४२५	नासिक स्थित करैन्सी नोट छापने का प्रैस	४१६
४२६	बीमा निगम कर्मचारियों के वेतन	४१६
४२७	कोलार स्वर्ण खानें ...	४१६
४२८	अफीम ...	४१७
४२९	राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल ...	४१७
४३०	आधुनिक विचारों पर पुस्तकें	४१८
४३१	केरल का खनिज सर्वेक्षण	४१८
४३२	अल्प बचत	४१८
४३३	पंजाब में तेल ...	४१९
४३४	सहायक छात्र-सेना दल	४१९
४३५	छावनी बोर्ड ...	४१९–२०
४३६	कीमतों का सन्तुलन	४२०
४३६-क	केरल में ग्रेफाइट और सोना मक्खी	४२०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२९६	केरल कर्मचारीवृन्द	४२०–२१
२९७	केरल में जिला मुख्यालय भवन ...	४२१
२९८	केरल के आबकारी विभाग में वेतन-क्रम	४८१
२९९	कर्मचारियों के लिये आवास स्थान	४२२
३००	भारत में विदेशी	४२२
३०१	राज्यों म संगीत नाटक अकादमियां ...	४२२
३०२	बैंकर प्रशिक्षण कालिज ...	४२२
३०३	धातु विज्ञान का प्रशिक्षण	४२३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या—क्रमशः	विषय	
३०४	संगीत नाटक अकादमी	४२३
३०५	संगीत नाटक अकादमी	४२३
३०६	खानाबदोश आदिम जातियां	४२३
३०७	मंत्रियों को भत्तों का भुगतान करने सम्बन्धी नियम	४२४
३०८	विस्फोटक पदार्थ	४२४
३०९	जीवन बीमा निगम	४२४–२५
३१०	बीमा क्षेत्र कर्मचारी ...	४२५
३११	विशेष पुलिस संस्थापन	४२५–२६
३१२	आर्मी इंस्ट्रक्शन्स (इंडिया)	४२६
३१३	राष्ट्रीय राइफल संस्था	४२६–२७
३१४	केरल में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों में साक्षरता	४२७
३१५	ओरियन्टल बैंक आफ इंडिया लि०	४२७
३१६	निम्न श्रेणी के क्लर्क	४२८
३१७	सहायक पदाली	४२८–२९
३१८	उत्पादन विभाग में भ्रष्टाचार ...	४२९
३१९	पंजाब में लोक-कल्याण कार्य विस्तार परियोजनायें	४२९
३२०	लाल किला	४२९
३२१	सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध	४३०
३२२	गूजर सम्प्रदाय	४३०
३२३	नावीय संग्रहालय	४३०
३२४	भूतत्वीय छानबीन ...	४३०
३२५	पंजाबी भाषा और साहित्य	४३१
३२६	प्राथमिक शिक्षा के लिये उपकर	४३१
३२७	पंजाब में बुनियादी शिक्षा	४३१
३२८	अनुसूचित जाति आदि के लिये छात्र-वृत्तियां ...	४३१–३२
३२९	कैनेडा से सहायता	४३२
३३०	पंजाब के शिविर-क्षेत्र ...	४३२–३३
३३१	मद्य-निषेध आदेश का अतिक्रमण	४३३
३३२	डा० हारालू ...	४३३
३३३	ईरान के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध ...	४३३
३३४	श्री गैरी डेविस	४३३–३४
३३५	बाल-गृह ...	४३४
३३६	सैनिक लिपिकों का सेवामुक्त किया जाना	४३४
३३७	राजस्थान में स्वयंसेवक संस्थाओं को सहायता ...	४३४–३५
३३८	रूस से आये विद्यार्थी	४३५–३६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या—क्रमशः	विषय	पृष्ठ
३३९	छावनी बोर्ड	४३६
३४०	आदिम जातियों के लिये कल्याण कार्य	४३६
३४१	भूमि-कर का संग्रह	४३६–३७
३४२	भारत संहिता	४३७
३४३	मालारी पर खुदाई का काम	४३७
३४४	माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद्	४३७–३८
३४५	दिल्ली में अपराध	४३८

M9LSD—190—3-2-58 —GIPF

खण्ड ९ — अंक ९
२६ नवम्बर, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
मद्रास-ट्यूटीकोरिन रेल दुर्घटना ...	३९३–९९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३९९–४००
राज्य-सभा से सन्देश ...	४००
कार्य-मंत्रणा समिति—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन	४००
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव ...	४०१–१५
पंडित ठाकुर दास भार्गव ...	४०१–०४
श्री गिडवानी	४०४–०६
श्री म० कु० मैत्र	४०६–०७
श्री नन्द लाल शर्मा	४०७–०९
सेठ अचल सिंह	४०९–१०
श्री ब० कु० दास	४१०–११
श्री ज० कृ० भोंसले	४११–१४
खण्ड २ से ३५, अनुसूची तथा खण्ड १	४१४–१५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	४१५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव ...	४१५–४४
श्री मेहर चन्द खन्ना	४१५–१९, ४३९–४४
पंडित ठाकुर दास भार्गव	४१९–२५
श्री बर्मन	४२५
श्री मुहीउद्दीन	४२५–२६
श्री मूलचन्द दुबे	४२६–२७
श्री गिडवानी	४२७–२८
लाला अचिन्त राम	४२८–३०
श्री नि० बि० चौधरी ...	४३०–३१
पण्डित च० ना० मालवीय...	४३१
श्री काजमी	४३१–३३
श्री राधा रमण	४३३–३६
श्री दी० चं० शर्मा	४३६–३७
श्री वि० घ० देशपांडे	४३७–३९
श्री मेहर चन्द खन्ना	४३९–४४
दैनिक संक्षेपिका	४४५–४६

विषय-सूची

[भाग २, वाद-विवाद, खण्ड ६—अंक १ से १५—१४ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १६५६]

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १६५६ — **पृष्ठ**

श्री भवानी सिंह का देहावसान — १

स्थगन प्रस्ताव—

हंगरी क बारे में पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार का दृष्टिकोण — १–२

उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता न दिये जाने का आरोप ... ... — २

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल — ३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... — ४–७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — ७

सदस्यों का त्यागपत्र ... — ७

विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
के बारे में अधिसूचना

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना — ८

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव — ८–२८
खण्ड १ से १६ ... ... — २६–२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — २८

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — २८–४४
खण्ड १ से ५८ और अनुसूची ... — ३६–४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ४४

दैनिक संक्षेपिका — ४५–४८

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १६५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र — ४६

कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ... ... — ४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... — ४६

दो सदस्यों का नामनिर्देशन ... — ४६

भाग "ग" राज्य (विधि) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — ५०–५५
खण्ड २ से ४ और खण्ड १ ... — ५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ५५

पृष्ठ

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ५५–८०
खण्ड २ और १ ... ... ८०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८०
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ८१–९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन ९६
दैनिक संक्षेपिका ९७

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता का निधन ९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ९९–१०१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में वक्तव्य ... १०१–०५
जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप के बारे में प्रश्न १०५
कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन १०६
प्रवर समितियों द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि—
(१) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक १०६
(२) बाल विधेयक १०६
(३) स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १०६
अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... १०७
राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १०७
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक १०७–१७
खण्ड २ से ७ और १ १०७–१०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ११०
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ११८–२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन १२१
नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों के बारे में संकल्प १२१–३४
सभा का कार्य १११, ११७–१८, १३४–३५
दैनिक संक्षेपिका १४४–४६

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	१४७–४८
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत—	
साक्ष्य सभा-पटल पर रख दिये गये ...	१४९
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका ...	१४९
सभा का कार्य ... — — ... ... —	१४९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव	१५०–८५
दैनिक संक्षेपिका	१८६–८७

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८९–९०
बाट तथा माप मान विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९०
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९१
संयुक्त समिति के समक्ष दी गयी साक्षी	१९१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ...	... १९१–२२९
दैनिक संक्षेपिका	२३१–३२

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	... २३३, २५५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन	२३३
स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२३३
रेलवे समय-सारिणियों तथा गाइडों सम्बन्धी याचिका	२३४
केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	२३४
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३५
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव ...	२३६–५१
खण्ड २ से ९, अनुसूची तथा खण्ड १	२४८–५०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५०

पृष्ठ

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५१–५८
खण्ड २ तथा १ ... ... २५५–५७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २५७

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५८–८३
खण्ड २ से ४६, अनुसूची तथा खण्ड १ ... २७२–८२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २८२

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८३–८५

दैनिक संक्षेपिका २८६–८७

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८९–३२२
खण्ड २ और १ ... ३२२
पारित करने का प्रस्ताव ३२२

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३२३–३६
खण्ड २ से ७ और १ ... ३३५–३६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३६

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक— ,
विचार के लिये प्रस्ताव ३३७–३८

दैनिक संक्षेपिका ३३९

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४१
राज्य-सभा से सन्देश ३४१–४२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३४२

कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ३४२
सभा का कार्य ३४२
विदेशियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३

पृष्ठ

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३
भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३–४४
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३४४–५६
खण्ड २ से ५ और खण्ड १ ... ३५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३५६–६४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–
तिरेसठवां प्रतिवेदन ३६४
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०७ का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ३६५
भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक (धारा ३ आदि का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ... ३६५
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—
(धारा ६ का संशोधन)—पुरःस्थापित किया गया ३६६
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६६–८९
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३८९–९०
दैनिक संक्षेपिका ३९१–९२

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना ... ३९३–९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३९९–४००
राज्य-सभा से सन्देश ... ४००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ४००
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४०१–१५
खण्ड २ से ३५, अनुसूची तथा खण्ड १ ... ४१४–१५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१५
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४१५–४४
दैनिक संक्षेपिका ४४५–४६

पृष्ठ

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४७–४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मनीपुर से एक सदस्य का राज्य-सभा के लिये निर्वाचन ४४८–४९

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक ४४९–६१

खण्ड २ से १६ और १ ... ... ४४९–६१

पारित करने का प्रस्ताव ... ४६१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४६१–७९

खण्ड २ से ८ और १ ... ... ४७५–७९

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४७९

मद्रास-तूतीकोरिन रेल दुर्घटना पर चर्चा ४७९–९६

दैनिक संक्षेपिका ... ४९७–९८

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रिवेन्द्रम् में केरल उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना के बारे में आन्दोलन ४९९–५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ... ५०१

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५०१–३७

दैनिक संक्षेपिका ५३८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६

भारतीय डाक तथा तार अधिनियम और नियमों के बारे में याचिका ५३९

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५३९–५७

खण्ड २ से १०२ और खण्ड १ ... ५४६–५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५५७

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५५८–८३

दैनिक संक्षेपिका ५८४

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ५८५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८६

पृष्ठ

लोक-लेखा समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५८६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

बाल विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६
प्रवर समिति के सामने दिया गया साक्ष्य ५८६–८७

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५८७

सभा का कार्य ५८७–८८

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ५८८–६१२
खण्ड २ से २५ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ६०२–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौसठवां प्रतिवेदन ६१२–१३

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६१३–२८

राजनैतिक पीड़ितों के बालकों के लिये छात्रवृत्तियों के बारे में संकल्प ६२८–२९

आर्थिक स्थिति और कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें ६२९–३६

वित्त (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित ६३६–३७

वित्त (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित ६३७

दैनिक संक्षेपिका ६३८–३९

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
रामलीला मैदान में पटाखे का विस्फोट ६४१–४२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६४२–४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ६४३
राज्य-सभा से सन्देश ६४३

हिन्दू दत्तकग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

पृष्ठ

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन ६४३–४४

सभा का कार्यक्रम ६४४

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ६४४

राष्ट्रपति की केरल सम्बन्धी उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ६४४–८०

दैनिक संक्षेपिका ... ६८१–८२

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६८३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठाहरवां प्रतिवेदन ६८३–८८

समिति के लिये चुनाव—
भारतीय टैक्नोलाजीकल संस्था, खड़गपुर ६८८

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ६८९–७१७

कार्य मंत्रणा समिति—
चवालीसवां प्रतिवेदन ७१७

केरल के खनिज संसाधन सम्बन्धी आध घंटे की चर्चा ७१७–२२

दैनिक संक्षेपिका ७२३

M44LSD—190—26-3-58—GIPF.

लोक-सभा

सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

---

१२ मध्याह्न

स्थगन प्रस्ताव

मद्रास-ट्यूटीकोरिन रेल दुर्घटना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अरियालुर रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में श्री वल्लाथरास से स्थगन-प्रस्ताव की सूचना मिली है। माननीय मंत्री ने कहा था कि वह इस सम्बन्ध में एक विस्तृत वक्तव्य देना चाहते हैं अतः मैं उनसे इसके लिये प्रार्थना करता हूं।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : इस मार्ग के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यदि इस दिशा में शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो और भी दुर्घटनायें हो सकती हैं। यदि सरकार का समाधान, हो जाये तो उन्हें कम से कम एक सप्ताह के लिये रेलों का आना-जाना बन्द कर देना चाहिये। समाचार मिले हैं कि यदि बाढ़ें जारी रहीं तो कावेरी पुल के दोनों किनारों को हानि पहुंचने की संभावना है वहां मिट्टी ढीली और कमजोर है तथा किसी समय भी बैठ सकती है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि आपने अभी-अभी रेलवे मंत्री से कहा है और वह इन तथ्यों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे रहे हैं। आपकी अनुमति से, रेलवे मंत्री के भाषण के पश्चात् मैं कुछ शब्द कहूंगा। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं अभी हाल में ही कुछ कह दूं। इसे चाहे स्थगन प्रस्ताव कहा जाये अथवा कोई अन्य प्रस्ताव इस विषय पर पूर्ण चर्चा करने में सरकार बाधा उपस्थित नहीं करेगी। आप इसके लिये कोई समय निर्धारित कर दीजिये ताकि प्रत्येक सदस्य इस पर अपनी सम्मति प्रकट कर सके। जैसा विरोधी सदस्य ने बताया है, अन्य सदस्य भी कुछ कहना चाहेंगे। कुछ भी हो, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिये। स्वाभाविक है कि सभा इस विषय पर गम्भीररूप में चिन्तित है और यह तय करना सर्वथा आपका काम है कि चर्चा स्थगन प्रस्ताव के रूप में हो अथवा अन्य रूप में। प्रयोजन यह है कि इस विषय पर सभा में पूरी चर्चा की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : दक्षिण रेलवे में अरियालुर रेलवे स्टेशन के निकट २३ नवम्बर को प्रातःकाल हुई गम्भीर दुर्घटना से सभा को अत्यधिक आघात पहुंचा है और इससे चिन्तित हो गई है। यह मैं जानता हूं। इसी महीने में शुक्रवार, २३ तारीख को मैंने सभा के समक्ष दुर्घटना के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया था।

अब मैं दुर्घटना के सम्बन्ध में विस्तृत ब्योरा दे रहा हूं :

इस दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त ६०३ डाउन एक्सप्रेस मद्रास इग्मोर से २२ नवम्बर, १९५६ को २१-५० पर रवाना हुई, और अरियालुर स्टेशन पर ८४ मिनिट देर से पहुंची। देर से पहुंचने का मुख्य कारण यह था कि इस भाग में गाड़ी संभल-संभल कर चल रही थी। सावधानीपूर्वक चलने के परिणामस्वरूप माथुर और सेंदुराय स्टेशनों के बीच ब्लाक सेक्शन में गाड़ी २९ मिनिट पीछे रह गई। अरियालुर में ३ मिनिट ठहरने के पश्चात् वह ५ बज कर २१ मिनट पर रवाना हुई। पुल संख्या २५२ को सही सलामत पार करने के पश्चात् ५ बज कर ३० मिनट पर इंजन तथा उसके पीछे वाले ७ डिब्बे उलट गये और उस खाई में गिर पड़े जो दीवार के पीछे वाले दाहिने ओर के पुश्ते में भूमि के कटाव द्वारा बन गई थी। गिरने वाले डिब्बों में चार तृतीय श्रेणी के थे, दो अपर श्रेणी के और एक लगेज तथा ब्रेक-वान का मिला-जुला पार्सल डिब्बा था। आठवां डिब्बा पटरी से उतर गया था तथा अन्तिम चार डिब्बे पटरियों पर टिके रहे।

यह बताते हुए अतीव वेदना होती है कि इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतकों की संख्या १४४ तक पहुंच गई है। इसमें वे दो व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जिनकी मृत्यु ११७ घायलों में से हुई थी। ये घायल व्यक्ति त्रिचनापल्ली ले जाये गये और उन्हें वहां असैनिक तथा सैनिक अस्पतालों में भरती कर दिया गया। आज सवेरे तक ३३ घायल व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है।

विशेष चिकित्सा सहायता गाड़ियों द्वारा त्रिचनापल्ली और वल्लीपुरम् से चिकित्सा सहायता भेजी गई जो इस स्थान पर ९ बज कर ४५ मिनट और १० बज कर ५ मिनट पर पहुंची। इसी बीच दुर्घटना स्थल पर ६-७ स्थानीय डाक्टर भी आ गये थे और उन्होंने घायलों की प्राथमिक चिकित्सा आरम्भ कर दी थी। घायलों को लेकर जाने वाली चिकित्सा सहायता गाड़ी उक्त स्थान से त्रिचनापल्ली के लिये साढ़े दस बजे रवाना हुई किन्तु दुर्भाग्यवश गाड़ी को पुलम्बोदी में रुकना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता जलमग्न था और गाड़ियों के आने-जाने के लिये सुरक्षित नहीं था। अतः घायलों को एम्बुलेंस तथा लारियों की मदद से त्रिचनापल्ली अस्पताल ले जाया गया।

मृत व्यक्तियों की पहचान एवं उनकी अन्त्येष्टि क्रिया के लिये डालमियापुरम् सीमेंट फैक्टरी भेज दिया गया। अभी तक ८३ लाशें पहचानी जा चुकी हैं और उन्हें उनके सम्बन्धियों को सौंप दिया है।

दक्षिण रेलवे द्वारा सब स्टेशन मास्टरों को अनुदेश दे दिये गये हैं कि मृत तथा घायल व्यक्तियों के सम्बन्धियों को दुर्घटना स्थल और अस्पताल तक जाने के लिये पूरी सुविधायें दी जायें। रेलों के आवागमन में रुकावट होने से इन सम्बन्धियों को त्रिचनापल्ली से लाने के लिये सवारी का प्रबन्ध कर दिया गया है।

मलबे को साफ करने का कार्य प्रगति पर है। दो अथवा तीन मृतक व्यक्तियों को अभी निकालना बाकी है।

पुल संख्या २५२ में, जिसे १९२८ में बनाया गया था, यह ६२'—३" लम्बाई ८ मेहराब वाला एक प्लेट गर्डर पुल है। इस की नींव दो स्क्रूवाले रम्भाकार चट्टों पर बनी है। इस दुर्घटना के पूर्व इस पर बाढ़ का उच्चतम स्तर रेल की पटरी के नीचे ९ फुट था। पिछले २८ वर्षों में इस प्रकार का कोई

---

†मूल अंग्रेजी में।

रेकार्ड नहीं है कि इस पुल अथवा उस के समीपवर्ती भाग में आवश्यक मरम्मत की गई हो। दीवार के आस-पास पत्थर लगाये गये हैं और उसकी ओर जाने वाले बांध में भी पत्थर गाड़े गये हैं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मालूम हुआ है कि त्रिची के पास की दीवार में एक दरार पड़ गई थी जिसमें पुल पर सुरक्षापूर्वक पार कर लेने के पश्चात् इंजन तथा सात डिब्बे गिर पड़े। यह दरार थोड़े समय में ही पैदा हुई होगी क्योंकि अर्धरात्रि के पश्चात् चार गाड़ियां इस पर से गुजर चुकी थीं। अन्तिम गाड़ी ३ बज कर ९ मिनिट पर इस पर से निकली थी और इंजन ड्राइवर ने इसमें किसी प्रकार की असामान्यता नहीं देखी और न इस सम्बन्ध में कुछ रिपोर्ट ही दी।

दुर्घटना के परिणामस्वरूप ध्वस्त त्रिची के निकट दीवार के एक भाग को छोड़ कर सम्पूर्ण पुल यथावत् एवं सुरक्षित है।

यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि क्या पुल तथा इसके समीपवर्ती भागों का समुचित निरीक्षण किया गया था। जो समाचार प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार यह मालूम हुआ है कि निरीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा था। विस्तृत ब्योरे के अनुसार असिस्टैंट इंजीनियर ने इस भाग पर ९ नवम्बर, १९५६ को ट्राली द्वारा निरीक्षण किया था और पी० डब्ल्यू० आई० ने तो २२ नवम्बर को इस शाखा का निरीक्षण किया था। इस शाखा में वर्षा सम्बन्धी गश्त जारी थी और उस स्थान पर गश्त करने वाले व्यक्ति के अनुसार वह रात्रि में चार बार पुल पर से निकल चुका था और जब अन्तिम बार वह प्रातः चार बजे इस स्थान पर से निकला था तो उसके कथनानुसार पानी गार्डरों के तल से एक फुट नीचे था। इसके पश्चात् भी वह अपने गश्त कार्य पर लगा रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद ही नदी में अत्यधिक पानी बढ़ गया।

जहां तक दक्षिण रेलवे में बाढ़ आदि से बचने के लिये सुरक्षा उपायों का सम्बन्ध है, जहां आजकल वर्षा भी हो रही है, जनरल मैनेजर वर्तमान व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण कर रहे हैं और उनका विश्वास है कि अतिरिक्त व्यय की पर्वाह किये बगैर बचाव सम्बन्धी प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की जायेगी और कमजोर पुलों तथा बांधों पर सुरक्षात्मक कार्यवाही बढ़ा दी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार गश्त के क्षेत्र घटा दिये जायेंगे। इंसपैक्टरों और इंजीनियरों को अनुदेश दिये गये हैं कि वह विशेष रूप से रात को गश्त के कार्य की भली प्रकार जांच करें और यह देखें कि वह अपने कर्तव्य को पूर्णरूपेण और भली प्रकार समझ कर उनके अनुसार काम करें।

मैं दुर्घटना के कारण के बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि जब हम शीघ्र ही एक उच्च शक्ति युक्त जांच करना चाहते हैं तो किसी प्रकार का सन्देह करना उचित नहीं होगा। जैसा सभा को भली प्रकार मालूम है कि संविहित उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार का रेलवे निरीक्षक इसकी जांच करेगा। किन्तु हमने निर्णय किया है कि, इस मामले में संविहित जांच के अतिरिक्त हमें न्यायिक जांच का आदेश भी देना चाहिये। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री हिमांशु कुमार बसु को इसकी जांच के लिये नियुक्त किया गया है। मैंने बंगाल सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है और मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने उच्च न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त कर अपनी स्वीकृति प्रेषित कर दी है। उनके साथ दो टेक्नीकल असेसर भी रहेंगे जिनमें से एक वह इंजीनियर भी होगा जो रेलवे से सम्बन्धित न हो। मुझे आशा है कि यह जांच १ दिसम्बर से प्रारम्भ हो सकेगी।

इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने की दृष्टि से रेलवें बोर्ड भारतीय रेलों के पुल तथा उनके जलागम क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है और इन पुलों के ऊपर से निकल गई बाढ़ों के इतिहास की जांच की जा रही है। वर्षाकाल तथा बाढ़ों के समय मार्ग की देखरेख सम्बन्धी प्रक्रिया की उपयुक्तता के परीक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

सभा को मालूम है कि भूतपूर्व निजाम राज्य रेलवे के पुलों की जांच के लिये तीन इंजीनीयरों की एक कमेटी बना दी गई है। समिति से यह भी कहा गया है कि वह पुलों की डिजायन की जांच करें और जलमार्ग तथा विशेष रूप से पिछले वर्षों में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बढ़े हुए जलमार्ग के उपबन्धों की आवश्यकता पर ध्यान दें। रेलवे मार्गों की ओर जाने वाले बांधों की सुरक्षा की उपयुक्तता तथा मार्ग की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सिंचाई कार्यों की जांच करने के लिये भी उनसे कहा गया है। मानसून और बाढ़ों के समय मार्ग की देख-रेख और पुलों के निरीक्षण सम्बन्धी नियमों और विनियमों की भी वह जांच करेंगे। उनके इन निष्कर्षों से रेलवे बोर्ड द्वारा की जाने वाली आमूलभूत जांच में सहायता मिलेगी। जो भी सिफारिशें स्वीकार की जायेंगी उन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा और आवश्यक निधियों की व्यवस्था की जायेगी।

घायल व्यक्तियों की पीड़ा और दुःख को कम करने के लिये सिविल तथा रेलवे अस्पताल अधिकारियों द्वारा भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। त्रिचनापल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने एक सहायता निधि आरम्भ की है। इस निधि की व्यवस्था वही करेंगे तथा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति और उन पर आश्रित व्यक्तियों को शीघ्र सहायता देने के लिये इसका उपयोग किया जायेगा। प्रतिकर दावों के निर्धारण के लिये नगर व्यवहार न्यायालय, मद्रास के न्यायाधीश श्री वी० रत्नम मुदलियार नियुक्त किये जा रहे हैं और बहुत शीघ्र वह यह कार्य आरम्भ करेंगे।

वस्तुतः दुघटना अत्यन्त गंभीर है और मैं पूर्ण उत्तरदायित्व के प्रति सजग हूं। जो जाँच की जा रही है उससे उसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगेगा और दुर्घटनाओं से बचने के लिये सुझाव प्रस्तुत किया जायेंगे। हम उनकी सिफारिशों की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : परसों अथवा दो या तीन दिन पहले, जब से इस दुर्घटना के सम्बन्ध में समाचार प्राप्त होने लगा तो हम सबको कुछ धक्का सा महसूस हुआ तथा हम कुछ सटपटा से गये। अपने प्रियजनों की मृत्यु के कारण जिन व्यक्तियों को दुःख उठाना पड़ा है हम उनके प्रति केवल सहानुभुति और शोक संवेदनायें प्रेषित करते हैं। यद्यपि यह कार्य अर्थहीन सा है किन्तु हम इससे अधिक क्या कर सकते हैं। किन्तु इस घटना का सम्बन्ध केवल उन्हीं व्यक्तियों से नहीं है जिन्हें दुःख उठाना पड़ा है प्रत्युत इस सभा के सदस्यों तथा वह सम्पूर्ण विशाल समुदाय जिसे दारुण कष्ट का अनुभव हुआ है उनसे भी इसका सम्बन्ध है। और मेरा विश्वास है--वस्तुतः मुझे ज्ञात है--कि इसमें सबसे अधिक संतप्त व्यक्ति स्वयं रेलवे मंत्री हैं क्योंकि यह उनके मंत्रालय का उत्तरदायित्व है--रेलों का संचालन तथा सम्बन्धित स्थल पर घटित सब बातें। वह निजी रूप में इनके लिये उत्तरदायी नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किस पर है। इंजीनियर इस कार्य के लिये विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। उनका यह कार्य है कि इस प्रकार की घटनाएं न हों और दुर्घटनाओं के प्रति पूर्ण सुरक्षात्मक उपाय किये जायें। स्वाभाविक है कि इस स्थिति में किसी व्यक्ति विशेष पर असामान्य उत्तरदायित्व नहीं थोपा जा सकता है किन्तु इस सम्बन्ध में मुझे सन्देह नहीं है कि इस दुर्घटना के विषय में तथा इस प्रकार की दुर्घटनाओं के पुनः होने से रोकने के लिये प्रत्येक सम्भव जांच--विस्तृत जांच की जानी चाहिये। इस प्रकार की जांच में निधि का सीमित होना कोई अर्थ नहीं रखता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें सहस्रों देशवासियों के प्राणों का प्रश्न है। इस प्रश्न से भी गुरुतर एक और प्रश्न इसमें है--वह है इससे व्यक्तियों के मन में आशंका की भावना।

प्रकृति की परिवर्तनशीलता के परिणामस्वरूप विपदायें आती रहती हैं। हम भूकम्प को नहीं थाम सकते हैं और अनेक बार बाढ़ों में हानि हो जाती है। इस बार बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा अन्यत्र बाढ़ों से सैंकड़ों गांव बह गये। किन्तु हम इन प्राकृतिक विपदाओं के समक्ष पराजय स्वीकार नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में।

करते हैं, हम उनका सामना करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु उस दुर्घटना का आगमन अचानक ही है। अनेक प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सकता है कि सभी सामान्य अथवा विशेष परवाह की गई थी। किन्तु फिर भी दुर्घटना हो गई। किन्तु मेरा अनुभव है कि इस प्रकार के विषय में कोई भी बहाना युक्तिसंगत नहीं है। मेरा विश्वास है कि सबसे अधिक द्रवीभूत हमें इस तथ्य ने किया है कि इस प्रकार की दुर्घटना, लगभग उसी क्षेत्र में उसके आसपास ही अल्पावधि में अथवा एक या दो वर्षों में तीन बार घटी है। इससे अधिक प्रबल चेतावनी और क्या हो सकती है। जैसा मैंने कहा—रेलों के मंत्रालय में इस प्रकार का प्रत्येक सम्भव कार्य किया जाये कि जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना जागे मैंने अभी-अभी उल्लेख किया था कि सरकार इस विषय में, सीमित अथवा व्यापक किसी भी प्रकार की चर्चा का स्वागत करेगी। चर्चा किसी भी समय अथवा किसी भी ऐसे रूप में हो सकती है जिसे आप और सभा निश्चय करेगी।

इस देश में जो भी होता है उसका अन्तोगत्वा उत्तरदायित्व निश्चय ही भारत सरकार पर है। हम इस उत्तरदायित्व को टालना नहीं चाहते हैं। यह सच है कि हम अनेक बातों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और अनेक बातों पर ऐसा नहीं किया जा सकता है किन्तु यह सरकार का उत्तरदायित्व है हम इसे पूर्णरूपेण स्वीकार करते हैं। रेलवे में जो भी होता है उसका उत्तरदायित्व मुख्यतः रेलवे मंत्री पर है य द्यपि भारत सरकार के अन्य सदस्य भी उसके लिये संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

यह मेरे लिये सौभाग्य और गर्व की बात है कि मैं इस देश का प्रधान मंत्री अनेक वर्षों से हूं और मेरे सहयोगी वह व्यक्ति—पुरुष और महिलायें—रहे हैं जो उच्च गुणों से सम्पन्न, सर्वगुण सम्पन्न—यद्यपि हम सब पूर्ण नहीं हैं—और वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्ष स्वदेश की सेवा में लगाये हैं—जिन्होंने अनेक वर्षों तक इस कठिन कार्य का बोझ अपने कंधों पर उठाया है। भारत का शासन एक महान कार्य है और दुष्कर भी है तथा उत्तरदायित्व और बोझ निरन्तर बढ़ते ही जाते हैं। इस भार को वहन करने तथा कार्यों के लिये मेरा उत्तरदायित्व असामान्य है किन्तु कोई भी व्यक्ति—जिसमें स्वयं मैं भी शामिल हूं—यह कह सकता है कि वह इस दुष्कर कार्य को स्वयं अकेला कर सकता है। अन्य मंत्रियों ने मुझे साहाय्य प्रदान किया है तथा मैं अपने सब सहयोगियों का आभारी हूं जिन्होंने सौहार्द एवं सद्भावना के साथ मिल-जुल कर काम किया है। हमने परस्पर सहयोगपूर्वक ही काम नहीं किया है किन्तु सदैव ही दल के रूप में और सहयोग की भावना के साथ काम करने की इच्छा रही है। हमें इसमें सफलता मिली है। हमने कुछ भी सफलतायें प्राप्त की हों यह कहना दूसरों का कार्य है कि हम सफल रहे हैं अथवा असफल। किन्तु मेरा विचार है कि यह कहना सच है तथा अत्यन्त विनम्रतापूर्वक मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता की सेवा के लिये हमने सदैव भरसक प्रयत्न किये हैं भले ही हमारी चूकें और गलतियां कितनी भी रही हों। मैं इस विषय का उल्लेख करता हूं केवल इसलिये कि पिछले कुछ दिनों से मैं और मेरे सहयोगी—रेलवे मंत्री—इस दुर्घटना पर मानसिक रूप से अत्यन्त भाराक्रांत रहे हैं। भारत सरकार के अन्य मंत्रियों की ओर मैंने निर्देश कर दिया है। रेलवे मंत्री के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि वह सरकार के मंत्री के रूप में ही नहीं अपितु उसके बाहर भी उनके साथ बने रहने का दीर्घकाल तक मुझे सौभाग्य और गर्व प्राप्त हुआ है तथा उनसे अच्छे व्यक्ति कदाचित ही मिल सकें। वह साधु स्वभाव के, सच्चे, सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले, कर्तव्यपरायण और अध्यवसायी व्यक्ति हैं। इससे अच्छे व्यक्ति मिलना असंभव है। वह अन्तरात्मा के स्वर के प्रति सजग हैं। उनके सुपुर्द किये गये कार्य में जब भी गलती हुई है उन्हें इससे अपरिमित दुःख हुआ है। पिछले अवसर पर जब महबूब नगर में दुर्घटना हुई थी उन्हें अत्यधिक दुःख हुआ, वह मेरे पास आये और मुझे लिखा कि चूंकि यह उनका उत्तरदायित्व है वह त्यागपत्र देना चाहते हैं। यद्यपि इस कार्य के लिये प्रत्यक्ष रूप से वह उत्तरदायी नहीं थे तथापि यह उनका उत्तरदायित्व है और सांविधानिक औचित्य की दृष्टि से एक रूप में यह ठीक था कि वह त्यागपत्र दें। मैं इस बात में उनसे सहमत था कि इस कारण त्यागपत्र देना उचित और सही है। किन्तु इस बात में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं उनसे सहमत नहीं था, कि त्यागपत्र स्वीकार करना मेरे लिये उचित अथवा सही होगा। यह बात मैंने उनसे कह दी यद्यपि वह इससे संतुष्ट नहीं थे। अब इस दुर्घटना का समाचार मिलते ही वह मेरे पास आये और त्यागपत्र देने लगे। पिछली रात मुझे उनका एक पत्र मिला था जिसे मैं सभा के समक्ष पढ़ देना चाहता हूं।

"प्रिय पंडित जी,

खेद है कि मुझे फिर यह पत्र आपको लिखना पड़ा है। आप जानते हैं कि एक और भीषण रेलवे दुर्घटना हो गई है। यह विचित्र संयोग है कि हाल की यह दुर्घटना भी लगभग पहले जैसी परिस्थितियों में हुई है। इस बात से मुझे बड़ी वेदना हुई है कि महबूबनगर दुर्घटना के पश्चात इतना शीघ्र एक और भयंकर दुर्घटना हो। पूर्व दुर्घटना की अपेक्षा इसमें मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है और चूंकि मलवा अभी पूरी तरह साफ नहीं किया जा सका है, मैं नहीं कह सकता कि मृत व्यक्तियों की संख्या कहाँ तक पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों की संख्या अलग है जो बुरी तरह घायल हुए हैं। पार्लियामेंट के सदस्यों और जनता के इस दुःखद और हृदयद्रावक दुर्घटना से जितनी वेदना हुई है उससे मैं अवगत हूं।

पिछली बार जब मैंने त्यागपत्र दिया था तो आपने उसे उदारतापूर्वक अस्वीकृत कर दिया था और अब मैं आपको पुनः कष्ट नहीं देना चाहता हूं। किन्तु मेरा विचार है कि यदि मैं अपना वर्तमान पद चुपचाप त्याग दूं तो यह मेरे और सरकार दोनों के लिये अच्छा होगा। इससे लोगों का द्वंद्व पर्याप्त अंश तक शान्त हो सकेगा। मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर विचार करेंगे।"

यह पत्र मिलने पर मैंने पिछली रात उनसे बातचीत की तथा उनमें एक विकट मानसिक परेशानी और बोझ की झलक देखी। इसके बाद मैंने इस पर फिर विचार किया और इस परिणाम पर पहुंचा कि त्यागपत्र स्वीकार करना ही उचित होगा.....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अथवा यदि मैं इसे सही ढंग से कहूं तो मेरे लिये यह उचित होगा कि राष्ट्रपति को मंत्री का त्यागपत्र स्वीकार करने का परामर्श दे दूं। यह इसलिये नहीं कि मैं उन्हें उत्तरदायी समझता हूं--जो स्पष्ट रूप में ऐसा नहीं है--उनके कार्य की प्रशंसा मैं पहले कर चुका हूं--जो भी कार्य हमने साथ-साथ किया है। मैं उनके प्रति सम्मान की गहरी भावना रखता हूं और मुझे विश्वास है कि एक अथवा दूसरे रूप में हम भविष्य में सहयोगी बने रहेंगे--किन्तु मेरा विचार है कि संवैधानिक औचित्य के वृहद दृष्टिकोण से हमें इस विषय में एक आदर्श स्थापित करना चाहिये। वह यह है कि किसी भी व्यक्ति को यह विचार नहीं करना चाहिये कि चाहे कुछ भी क्यों न हो हम उससे असम्बद्ध रह कर अपना काम चालू रख सकते हैं। हम इससे प्रभावित होते हैं। यह एक अत्यन्त दुर्घर्ष निर्णय था, किन्तु पिछली रात्रि की सीमित घड़ियों में मैंने यह निर्णय कर लिया और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा को इससे सूचित कर देने का निश्चय कर लिया। किन्तु मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि जब तक और प्रबन्ध नहीं हो जाता वह अपना कार्य चालू रखें।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री के वक्तव्य को दृष्टिगत करते हुए कि सबके लिये सुविधाजनक एक तिथि नियत कर दी जाये मैं ऐसा करूंगा तथा इसके लिये एक तिथि निश्चित करूंगा जिससे चर्चा सुविधायुक्त ढंग से हो सके।

†**श्री वल्लाथरास** : सभा के सदस्य अत्यन्त अडिग हैं तथा स्वयं मेरे अनेक सम्बन्धी भी इसमें मारे गये हैं मैं एक मिनिट के लिये भी इस प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित नहीं करना चाहता हूं। स्वयं मैंने

---

†मूल अंग्रेजी में।

पुलों को देखा है और जब तक महत्वपूर्ण और आवश्यक उपाय नहीं किये जाते भविष्य में और भी दुर्घटनायें हो सकती हैं ।

मृतकों की संख्या १४१ ही नहीं है किन्तु "इण्डियन एक्सप्रेस" के अनुसार २०० व्यक्ति अभी भी मलवे के नीचे दबे हुए हैं । मेरी अत्यन्त विनम्र प्रार्थना है कि इस पर चर्चा की जाये । कितने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुर्घटना में मरे हैं । उत्कृष्ट गायक, उत्कृष्ट शासक, उत्कृष्ट न्यायाधीश और राजनीतिज्ञों ने इनमें प्राण गंवाये हैं । सब यह जानने के लिये उत्सुक हैं कि संतप्त व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये क्या किया गया है । सरकार ने इस विषय पर चर्चा के लिये स्वीकृति दे दी है तो अच्छा यह है कि चर्चा आज ही की जाये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि मेरी बात का अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका । मैं इस बात के लिये पूर्णतः तैयार हूं कि उस विषय पर अभी इसी क्षण चर्चा की जाये । सरकार इसके लिये अधीर है । मैंने अभी-अभी कहा था कि उसके लिये उचित समय नियत कर दिया जाये और यदि आज संध्या को ही समय तय किया गया तो हम इसके लिये तैयार हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे कल अथवा परसों के लिये नियत करता हूं । तब तक इस सम्बन्ध में और जानकारी उपलब्ध हो जायेगी । मैं स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस निर्णय के लिये आपको धन्यवाद । मेरा निवेदन है कि इस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये सभा सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सम्मान प्रकट करने की दृष्टि से मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह एक मिनट तक मौन खड़े रहें ।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विधि आयोग के प्रतिवेदन

†**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : मैं निम्नलिखित पत्रों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) विधि आयोग द्वारा ३१ अक्तूबर, १९५६ तक किये गये कार्य का विवरण

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस---४१३/५६]

(२) विधि आयोग का प्रथम प्रतिवेदन (जिह्म में राज्य का दायित्व)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस---४८९/५६]

(३) विधि आयोग का दूसरा प्रतिवेदन (बिक्री कर के सम्बन्ध में संसदीय विधान)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस---४९०/५६]

(४) विधि आयोग का तीसरा प्रतिवेदन (परिसीमन अधिनियम १९०८)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस-४९१/ ५६]

(५) विधि आयोग का चौथा प्रतिवेदन (इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर उच्च न्यायालय की बैंचें बैठने चाहियें

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस---४९२/५६]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पुनर्गठित राज्य (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिमजातियां (जनसंख्या का निर्धारण) नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १८/१८/५६-प्रकाशन २---(ख) दिनांक २३ अक्तूबर, १९५६ में प्रकाशित, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा १२९ की उपधारा (२) और बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम १९५६ की धारा ५२ के अन्तर्गत पुनर्गठित राज्य (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां) (जनसंख्या का निर्धारण) नियम, १९५६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस---४९४/५६]

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित दो संदेशों की सूचना देनी है :

(१) "राज्य-सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम १२५ के अनुसरण में मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा अपनी २२ नवम्बर, १९५६ की बैठक में, लोक-सभा द्वारा १५ नवम्बर, १९५६ की बैठक में पारित किये गये संघ राज्य क्षेत्र (विधि) संशोधन विधेयक, १९५६ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।"

(२) "राज्य-सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों की नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा अपनी २२ नवम्बर, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १४ नवम्बर, १९५६ को पारित किये गये मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम अधिकारी) विधेयक, १९५६ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।"

कार्य मंत्रणा समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

†**संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा २३ नवम्बर, १९५६ को सभा के समक्ष उपस्थित किये गये कार्य मंत्रणा समिति के तैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : लोक-सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ८९ (१) के अन्तर्गत अपेक्षित, श्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से मैं सड़क परिवहन निगम (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ की संख्या ८) द्वारा शीघ्र विधान बनाने के कारणों की व्याख्या करते हुए एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८०]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—समाप्त

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री ज० कृ० भोंसले द्वारा २३ नवम्बर, १९५६ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे चर्चा करेगी कि :

> "फरीदाबाद नगर में व्यापार और उद्योग को चलाने तथा उसको बढ़ाने के प्रयोजन से वहां बसे हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता करने के लिये एक व्यापार निगम की स्थापना और विनियमन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब स्पीकर साहब, फरीदाबाद डेवेलपमेंट कारपोरेशन (विकास निगम) के बारे में मैंने कुछ बातें चन्द रोज पहले अर्ज की थीं । मैंने उस वक्त अर्ज किया था कि मुझे दो-चार बातें और कहनी हैं । इस सिलसिले में मैं उन अशखास (लोगों) का कुछ थोड़ा सा जिक्र कर चुका हूं, जो कि बोर्ड के एम्प्लाईज (कर्मचारी) हैं । मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे मामले में जब कभी कोई कारपोरेशन बनती है या कोई नई संस्था वजूद (अस्तित्व) में आती है, तो उसके मुताल्लिक बिल में आमतौर पर यह लिखा जाता है कि जो पहले के मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहें और हकूक सब के सब कायम रखे जायेंगे मैंने २३ नवम्बर को भी अर्ज किया था कि बोर्ड के एम्प्लाईज का मामला अब भी गवर्नमेंट के सामने पैंडिंग (विचाराधीन) पड़ा हुआ है और उसके मुताल्लिक एक बड़ी भारी फाइल बनी हुई है, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि उनके हकूक क्या हैं और क्या वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं, वगैरह । मुझे यह मालूम है कि बोर्ड के एम्प्लाईज यह जद्दो-जहद करते रहे हैं कि उनके हकूक गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के हकूक के बराबर माने जायें । इस बिल में मैं यह पाता हूं कि बोर्ड के सारे एसेट्स (परिसम्पत) और लायबिलिटीज (दायिता) इस कारपोरेशन को मिल गये हैं और कारपोरेशन को बोर्ड का सक्सेसर (उत्तराधिकारी) बनाया गया है । यह बिल्कुल वाजिब है । मैं आनरेबुल मिनिस्टर साहब की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेहरबानी फरमा कर वह एक एश्योरेंस (आश्वासन) दें कि बोर्ड के कितने एम्प्लाईज हैं, उनकी तनख्वाहों, उनके हकूक, स्टैंडिंग (सेवा काल) और स्टेट्स (पद) में बमुकाबिल पहिले के कोई फर्क नहीं पड़ेगा । स्टेट बैंक से मुताल्लिक बिल में ऐसा ही प्राविजन (उपबन्ध) मौजूद था और इसी तरह से, जहां तक मुझे बाद है, जो नई इन्शोरेंस कारपोरेशन (बीमानिगम) बनी, उसके लिये जो बिल लाया गया, उसमें भी ऐसे प्राविजन मौजूद थे, कि पुराने एम्प्लाईज के हकूक कायम रहेंगे । मैं यह चाहता हूं कि जब कि यह कारपोरेशन एक सरकारी कारपोरेशन के तौर पर कायम की जा रही है, तो उस सूरत में उन एम्प्लाईज के हकूक बिल्कुल ऐसे ही होने चाहियें, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के हैं । मैं चाहूंगा कि चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया इस कारपोरेशन को बना रही है, इसलिये उन एम्प्लाईज के हकूक गवर्नमेंट आफ इंडिया के सर्वेन्ट्स के हकूक के मुताबिक हों और इस सिलसिले में उनको एश्योरेंस दी जाय ।

कुछ अरसा हुआ, बोर्ड ने कुछ इंडस्ट्रीज (उद्योगों) को प्राइवेट आदमियों को ट्रांस्फर (स्थानान्तरित) कर दिया और वे वर्कमैन (कामगर) भी, जो कि उन इंडस्ट्रीज में काम करते थे ट्रांस्फर हो गये । उनके हकूक भी कायम रखे जायें । लेकिन उन इंडस्ट्रीज में कुछ क्लार्क्स थे और कुछ ऐसे काम करने वाले थे, जो कानूनन वर्कमैन की डेफीनीशन (परिभाषा) में आते हैं, लेकिन उन प्राइवेट लोगों ने, जिनको गवर्नमट ने इंडस्ट्रीज ट्रांस्फर (हस्तान्तरित) कर दी थीं, उन क्लार्क्स और दूसरे आदमियों को हटा दिया और उनको वर्कमैन करार नहीं दिया । वे बेचारे बहुत दुखी थे और उन्होंने बहुत जद्दो-जहद की, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे वर्कमैन, जो हाथ से काम करते हैं और जिन को क्लैरिकल या कोई दूसरा काम करना

---

†मूल अंग्रजी में ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

होता है, जब कानूनन कोई फर्क नहीं है, तो कोई वजह नहीं है कि उन अशखास के हकूक का ख्याल न किया जाये। यह मामला ऐसा है, जिसके बारे में मैंने कोई अमेंडमेंट (संशोधन) तो नहीं दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आनरेबुल मिनिस्टर साहब इसको बिल्कुल सिम्पथैटिकली (सहानुभूतिपूर्वक) देखेंगे और अशखास का पूरा ख्याल जरूर रखेंगे जो कि बोर्ड के मातहत है और हमको यह एश्योरेंस देंगे कि उनको रिट्रैंच (छंटनी) नहीं किया जायेगा। आपका काम तो रिहैबिलिटेशन (बसाने) करने का है। अगर आप ही रिटेंचमेंट करने चलेंगे तो उनका कौन वली वारिस होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो एश्योरेंस देने के लिए मैंने ज़ोर दिया है उसको मिनिस्टर साहब देंगे।

दूसरी बात जो मैंने अर्ज की थी उसके बारे में मैं थोड़ा-सा और अर्ज करना चाहता हूं। वह यह कि जब आपने इसको एक कारपोरेशन बनाया है और इसका काम रखा है रिहैबिलिटेशन करना और लोगों को काम देना और उनको दूसरी एमेनिटीज (सुविधायें) देना, तो सवाल यह पैदा होता है कि आप इस काम को किस तरह करें।

जहां तक हाउसिंग (गृह-व्यवस्था) का सवाल है वहां पर आपने ५,१५८ मकानात तामीर कराये जिनमें से ४,५०० मकानात आपने लोगों को दे दिये। अभी ६०० मकानात वहां पर खड़े हुए हैं जो कि किसी को नहीं दिये गये हैं। मुझ को बतलाया गया है, मैं नहीं जानता कि यह कहां तक दुरुस्त है, कि पिछली जन्म अष्टमी को आनरेबल मिनिस्टर साहब और हमारे कांग्रेस के प्रेसीडेंट साहब वहां तशरीफ ले गये थे और वहां पर एक जलसा हुआ था और उस जलसे में आनरेबल मिनिस्टर साहब ने लोगों को कहा था कि यह जो बाकी मकानात हैं उनको भी हम लोगों को देंगे। मुझे मालूम नहीं कि यह कहां तक दुरुस्त है, लेकिन मैंने अब सुना है कि यह डिकलेअर (घोषित) किया गया है कि उन मकानात को आक्शन किया जायेगा। मैं अर्ज करता हूं कि अगर आनरेबल मिनिस्टर साहब एश्योरेंस दे चुके हैं तो उन मकानात को आक्शन (नीलाम) न किया जाये और जिस तरह से पहले गवर्नमेंट ने क्लेम्स के बदले लोगों को मकानात दिये थे उसी तरह से और लोगों को दिये जायें क्योंकि आपको तो उन लोगों को बसाना है और बसाने का यह बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा ऐसा करने से आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो एश्योरेंस दिया है वह भी पूरा हो जायेगा।

इसी तरह से वहां पर कुछ जमीनें पड़ी हुई हैं जिन पर मकानात बन सकते हैं। वहां पर जो लोग बसाये गये हैं उनके बहुत से रिश्तेदार भी वहां आ गये हैं और उनके साथ बस गये हैं और वह मकानात उन सबके वास्ते काफी नहीं हैं। उनको इस वजह से तंगी है। इसलिये अगर वे बिल्डिंग साइट्स (गृह निर्माण के लिये जमीनें) उनको दे दी जायें तो वे अपने मकान बना सकते हैं। अगर ऐसा किया जाये तो निहायत मुनासिब होगा और आपका मतलब भी पूरा हो जायेगा। आपके करोड़ों रुपये की इमारतें डिस्प्लेस्ड परसन्स (विस्थापित व्यक्तियों) को दी हैं और इस तरह से गवर्नमेंट ने उनके साथ बहुत जेनेरासिटी (सहानुभूति) दिखायी है। मैं चाहता हूं कि वह जेनेरासिटी कायम रहे और जो लोग वहां बसे हुए हैं उनको यह कंसेशन दिया जाये ताकि वे मकानात बना सकें और रह सकें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसी तरह से दुकानों के बारे में भी मुझे अर्ज करना है कि दुकानों की हालत बहुत खराब है। चार सौ या पांच सौ लकड़ी के खोखे बने हुए हैं जो कि अब पुराने हो गये हैं। अब वक्त आ गया है कि उनको हटा कर बिल्ट शाप्स (बनी हुई दूकानें) लोगों को दी जायें।

इसी के साथ-साथ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर जो एक हौजरी फैक्टरी इस सिलसिले में बनायी गयी थी जबकि आपने कोआपरेटिव इंडस्ट्रीज (सहकारी उद्योग) मैसर्स चट्टोपाध्याय के साथ शुरू की थी, वह फैक्टरी फेल हो गयी और सारा रुपया जो आपका लगा था वह लोगों के

काम में न आ सका और ज़ाया हो गया। अब मैं चाहता हूं कि वहां पर कोटेज इंजस्ट्रीज़ (घरेलू उद्योग) कायम की जायें ताकि लोगों को पक्का काम मिले और देश का भी भला हो। मुझे मालूम है कि थोड़ा अर्सा हुआ कि भोंसले साहब जापान तशरीफ ले गये थे और वहां से इंडस्ट्रीज़ के बारे में स्टडी (अध्ययन) करके आये थे और उन्होंने इस काम के लिये मिनिस्ट्री से कुछ रुपया भी अलाहिदा लिया है। यह काम मुनासिब किया गया है। इस वक्त जब कि फरीदाबाद का दूसरा ही कायापलट होकर जिस्म बन रहा है वहां पर काटेज इंडस्ट्रीज़ कायम की जायें। अगर वहां पर अम्बर चर्खा का सेंटर (केन्द्र) बन सके तो वह भी कायम किया जाये ताकि लोगों को काम मिल सके। या जैसी मोदी नगर में स्पिनिंग (कताई) मिल है उसी तरह की कोई मिल वहां कायम की जाये। उसको गवर्नमेंट खुद कायम करे और आहिस्ता-आहिस्ता उसको कोआपरेटिव बेसिस (सहकारी आधार) पर ले आवे और लोगों को उसका हिस्सेदार बना दे। अगर ऐसा हो तो और भी ज्यादा मुनासिब होगा।

इस मामले में न तो मुझे बहुत ज्यादा तजर्बा है और इसलिये मैं और ज्यादा सजेशन (सुझाव) भी नहीं रखना चाहता। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि ऐसा न हो कि वहां पर जो काम हो उसकी क्रीम तो कैपीटलिस्ट (पूंजीपति) लोग ले जाये और जो वहां के लोग हैं उनको मजदूर बनाये रखें। यह मुनासिब नहीं होगा। गवर्नमेंट खुद कोआपरेटिव बेसिस पर फैक्टरी बनावे। देश में इस तरह के कारखाने और जगह कायम किये गये हैं। उसी बेसिस पर अगर वहां भी फैक्टरी बनायी जाय तो जिन लोगों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं उनको फायदा पहुंचेगा।

मैं एक चीज के बारे में और खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। वहां के लोगों को काम देने की जो भी कोशिश आपसे हो सकती थी वह आपने की है। उसके करने में आपने दरेग़ नहीं किया। मुझे मालूम है कि आप वहां से मजदूरों को लारी से यहां लाते हैं। लेकिन मैं आपसे अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो किस्सा है वह बहुत दुःखदायी है। आपको ३७ रुपया एक लारी पर खर्च बैठता है जिसमें १८ मजदूर आते और जाते हैं। इस तरह से आप एक मजदूर पर दो रुपया रोज खर्च करते हैं। लेकिन उनको वहां जो मजदूरी मिलती है वह डेढ़ रुपया रोज होती है और कभी वह भी नहीं मिलती। ऐसी हालत में अगर उन मजदूरों को वहां रखकर डेढ़ रुपया रोज दे दिया जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने डेसपरेशन (मजबूरी) में उनको काम देने की हर तरह की कोशिश की। लेकिन ऐसा करने में एक मजदूर पर आपका दो रुपया खर्चा होता है और उस मजदूर को या तो वहां डेढ़ रुपया रोज मिलता है या कभी वह बेकार भी चला जाता है। गो कि इस मामले में मैं आपकी तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता, लेकिन यह नेशनल मनी (राष्ट्रीय धन) का वेस्ट (बर्बादी) है। इसलिये मैं अदब से अर्ज करूंगा कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाये कि जिसके अन्दर यह सूरत पैदा न हो और इस तरह रुपया जाया न हो।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं। मुझ तक यह शिकायत पहुंची है कि वहां पर जो अस्पताल हैं उनमें ग़रीब आदमियों को इंजेक्शन और दवा मिलने का ठीक इन्तिजाम नहीं है। जो गवर्नमेंट के आफिसर्स हैं और जो बड़े-बड़े आदमी हैं उनको दवा ठीक से मिल जाती है लेकिन ग़रीब आदमियों को नहीं मिलती। यह शिकायत कोई खास फरीदाबाद की ही नहीं है। यह शिकायत सब जगह है। लेकिन चूंकि आप फरीदाबाद को एक माडल टाउन (आदर्श नगरी) बनाना चाहते हैं इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि वहां पर इस चीज़ का भी पूरी तरह लिहाज रखा जाये।

मैंने बहुत से सजेशन दे दिये हैं। मैं नहीं जानता कि इनमें से कितनों को माना जायेगा। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने फरीदाबाद को चुना। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जो चीजें इस बिल में लिखी हैं मुझे उनका कोई खास क्रिटिसिज्म (आलोचना) नहीं करना है। मैं यह एश्योरेंस

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जरूर चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, कि बहुत से लोग जो कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में क्लर्क वगैरह थे और जो कि अभी तक भागते फिरते हैं उनका भी कोई इन्तिजाम हो जायेगा। अगर ऐसा हो सके तो बहुत बेहतर होगा।

श्री गिडवानी (थाना) : मैं इस बिल की ताईद (समर्थन) करता हूं जो कि फरीदाबाद में कारपोरेशन बनाने के लिये, वहां की तरक्की करने के लिये, वहां इंडस्ट्रीज़ (उद्योग) बढ़ाने के लिये और वहां के लोगों को रोजगार देने के लिये लाया गया है। इस टाउन को बने करीब नौ साल हो चुके और वहां की जनसंख्या, जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा, २३ हजार है। यानी वहां पर साढ़े चार हज़ार परिवार हैं। अगर मैं गलती नहीं करता तो इन आठ-नौ बरसों में इन पर सरकार ने ७ करोड़ रुपया खर्च किया है। इसमें से साढ़े तीन करोड़ तो लोन (ऋण) है और २८ लाख की गवर्नमेंट हर साल ग्रांट (अनुदान) देती है। इसमें यह कहा गया है कि यह ग्रांट तीन साल और भी चलेगी। पीछे इसको कम किया जायेगा। अगर इन सारे फैमिलीज़ (परिवारों) को यह सात-आठ करोड़ रूपया एक साथ दे दिया जाता तो न मालूम फी फैमिली क्या हिसाब लगता, लेकिन मैं समझता हूं कि हर फैमिली को हज़ारों की तादाद में रुपया मिलता और उससे वे अच्छी तरह से बस जाते। अब भी अगर उनको सारा रुपया दे दिया जाये तो वह अच्छी तरह से बस जायें। अभी यह बतलाया गया है कि हर साल साढ़े पांच लाख रुपया सबसिडी (आर्थिक सहायता) के तौर पर खर्च होता है। यह रुपया लोगों को फरीदाबाद से दिल्ली लाने ले जाने के ट्रांसपोर्ट (परिवहन) पर खर्च होता है।

एक आदमी को वहां फरीदाबाद से यहां पर लाने में उन्होंने बतलाया कि शायद २ रुपये लगते हैं। मुझे पता नहीं है कि वे कहां तक ठीक हैं और दो रुपये पड़ते या १ या डेढ़ रुपये पड़ते हैं.....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप हिसाब बैठा लीजिये। ३७ रुपये पर (प्रति) लारी पड़ते हैं जिसमें १८ आदमी आते हैं।

श्री गिडवानी : ठीक है। अब आप ही बतलाइये कि इतना रुपया उनको यहां लाने पर खर्च किया जाता है और अक्सर उनको काम भी नहीं मिलता है और वे शाम को खाली फ़रीदाबाद को लौट जाते हैं।

मुझे अफसोस है कि पिछली दफा मैंने जो इस सम्बन्ध में लोक-सभा में सवाल उठाया था उसके बारे में बाहर काफी चर्चा हुई और मुझे गलत ढंग से बाहर पेश किया गया। जो कुछ बाहर मेरे बारे में कहा गया और जो असर फरीदाबाद के लोगों पर डाला गया, उसका मैं जिक्र यहां नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे अफसोस जरूर है कि जब कोई आदमी कुछ कहना चाहता है आज के जमाने में जिसको कि जम्हूरियत (प्रजातंत्र) का जमाना कहा जाता है और जिस डेमोक्रेसी (प्रजातंत्र) की एक सुन्दर मिसाल आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कायम की कि गलती जिसकी न भी हो लेकिन अगर गलती भी समझी जाय तो भी मंत्रियों और वजीरों को बुरा नहीं मानना चाहिये। मैंने उस दफा इस बात की नुक्ताचीनी की थी कि टेंडर्स नहीं मंगाये जाते या रुपया फिजूल खर्च होता है या जो खर्च होता है वह इस तरीके से खर्च नहीं होना चाहिये, इसके लिये यह कहते फिरना कि मैं रेफ्यूजीज़ (विस्थापित व्यक्तियों) के खिलाफ हूं क्योंकि मैं दूसरे सूबे का हूं, इस तरह की चर्चा करना कितना मेरे साथ अन्याय है। इस समय मैं उसकी बाबत ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन सबसिडी फरीदाबाद के लोगों को दी जाती है तो मैं जरूर पूछंगा कि फरीदाबाद के अलावा और इतने सारे रेफ्यूजी टाउनशिप्स (विस्थापितों की बस्तियां) हैं जैसे कि पटियाले के करीब राजपुरा है उसके हालात से मैं ज्यादा वाकिफ नहीं हूं लेकिन बम्बई से ४० मील दूर कायम रेफ्यूजी टाउनशिप की बात बतलाऊं जहां कि मेरे सूबे सिन्ध के करीब १ लाख लोग बसते हैं। वहां पर १० हज़ार आदमी रोज़ आते हैं और हमारे मिनिस्टर साहब आज से दो महीने पहले खुद वहां पर गये थे और उन्होंने खुद तब फरमाया था कि वाकई

यहां के रहने वालों का बड़ा बुरा हाल है। वहां पर एक लाख की बस्ती है। लोगों की तंदुरुस्ती ठीक नहीं रहती। वहां के लोगों के दवादारू और इलाज के लिये अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो पुराना मिलिटरी का अस्पताल है वही चल रहा है, टी० बी० अस्पताल भी नजदीक है और एक टी० बी० फैक्टरी सा लगता है। वहां पर अभी तक काफी इंडस्ट्रीज़ कायम नहीं की गई हैं, नई-नई इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट (प्रारम्भ) करने की कोशिश हो रही है लेकिन वाकया यह है कि अभी तक बहुत कम इंडस्ट्रीज़ वहां पर चल पाई हैं। वहां के लोगों को कोई सबसिडी नहीं मिलती है। फरीदाबाद में हमारे ग़रीब और मुसीबतज़दा भाई बसते हैं, उनको मदद मिले और सबसिडी मिले यह अच्छी बात है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर पांच हजार फैम्लीज पर ७-८ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, मुझे ठीक नहीं मालूम कि कितना ख़र्च हुआ है लेकिन उन्होंने ही हमें शायद ऐसा बतलाया था.....

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर) : मैं जानना चाहता हूं कि यह फरीदाबाद निगम को आर्थिक सहायता देने के विरुद्ध तर्क है अथवा क्या यह विषय विचाराधीन है?

श्री गिडवानी : मैंने तो यही कहा है कि जहां इतना ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है तो यह देखना चाहिये कि वाकई वह ठीक तौर पर खर्च हो रहा है कि नहीं। अगर फरीदाबाद के लोगों को सबसिडी दी जाती है तो ठीक है अच्छी बात है जरूर दी जाये, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता लेकिन जैसा कि हमारे भाई लाला अचिन्त राम ने कहा कि अगर पांच हज़ार फैमिलीज पर इतना खर्च होने के बाद भी वे नहीं बस सके तो आप खुद समझ सकते हैं कि दूसरी रेफ्यूजीज कालोनीज में क्या हालत होगी और हमारा कहना है कि उधर भी सरकार की तवज्जह होनी चाहिये, यही मेरे कहने का मतलब था कि वहां के लोगों की हालत की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और खुद हमारे मिनिस्टर श्री मेहर चन्द खन्ना ने वहां की खराब हालत को देखा और उसके बाद उन्होंने कुछ अफसरान भी वहां भेजे थे, अब पता नहीं कि उन्होंने क्या तजवीजें रखी हैं और उन पर क्या अमल हो रहा है। मैं अपने मित्र श्री नंदलाल शर्मा को बतलाना चाहता हूं कि यह जो रुपया की इमदाद हमारे बदकिस्मत भाइयों को मिल रही है उसकी कीमत ही क्या है उन लोगों के सामने जिन्होंने कि अपना सब कुछ बर्बाद करवा दिया। मेरे कहने का मतलब यही था कि इसी तरह की नजर हमारी दूसरे कैम्पों पर भी होनी चाहिये लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जो खर्चा होता है उसकी पाई-पाई ठीक ढंग पर खर्च हो और उसके लिये टेंडर्स जरूर मंगाये जायें और उसके ठेके ठीक से दिये जायें। जो खर्चा हो चुका वह तो हो चुका और जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बतलाया और मैं समझता हूं कि उसमें शायद मिनिस्टर साहब का कोई कसूर नहीं था कि जो एक कोआपरेटिव यूनियन बनाई गई थी उसमें गालिबन २४ करोड़ रुपया या ४८ करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, इसके बारे में सही जानकारी मंत्री महोदय दे सकेंगे। मैंने सुना है कि बाकी जो सामान है उसको चूहे खा गये हैं। सरकार को यह कहने को तो हो जाता है कि उसने इतने करोड़ रुपये हम रेफ्यूजीज पर खर्च कर दिये हैं लेकिन दरअसल उनका सही उपयोग नहीं होता है और रुपया बर्बाद जाता है और इसीलिये हम चाहते हैं कि जो भी रुपया दिया जाय वह इमान्दारी से खर्च किया जाय और साथ ही किफायत से और ठीक ढंग से रेफ्यूजीज़ पर खर्च करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बतलाया कि वहां पर बहुत से ऐसे छोटे-छोटे मुलाजिम क्लर्क लगे हैं जोकि हालांकि रिटायर्ड हो गये हैं और जिनको पेंशन मिलती हैं लेकिन उनको तनख्वाह भी मिलती है। इसके अलावा वहां पर ऐसे भी मुलाजिम रखे गये हैं जोकि न तो एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज (काम दिलाऊ दफ्तरों) की मार्फत आये हैं और न ही जिनकी नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन (लोक सेवा आयोग) के द्वारा हुई है। अब वहां पर अगर इस तरह नियुक्तियां होती हैं और लोगों को पेंशन भी मिलती है और तनख्वाहें भी मिलती हैं तो सरकार को उधर दृष्टि करनी चाहिये और इस खराबी को दूर कर देना चाहिये। जो पक्के मुलाजिम हैं और जिन्होंने कि वर्षों काम किया है उनको हर

[श्री गिडवानी]

किस्म की सहूलियत देनी चाहिये और उनकी मुर्कारेरी (नियुक्ति) पक्क तरीके से करनी चाहिये लेकिन जो ऐसे ही मुकर्रर किये गये हैं जिनकी कि मियाद वैसे ही खत्म होने वाली है या जो रिटायर्ड हैं और जिनको पेंशन भी मिलती है और तनख्वाह भी मिलती है, तो दोनों तरफ से उनको नहीं मिलना चाहिये । जो न्याय और कानूनी तौर पर सही हो उसके मुताबिक हमें काम करना चाहिये ।

तीसरी चीज मैं इंजस्ट्रीज की बाबत में यह कहना चाहता हूं कि दो-तीन किस्म की इंडस्ट्रीज चल सकती हैं । जहां तक बड़ी इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की इस बात को मानता हूं कि शायद बड़ी इंडस्ट्रीज सरकार के लिये काफी तादाद में खोलना मुश्किल है लेकिन जैसा कि उन्होंने सरकार को यह सुझाव दिया कि उसको स्माल स्केल इंडस्ट्रीज (छोटे पैमाने के उद्योग) की तरफ ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये और उनको पापुलराइज़ (लोकप्रिय) करना चाहिये ताकि इस तरह के छोटे-छोटे धंधे चल सकें और वे लोग हमेशा के लिये रोजगार पा सकें और अपना गुजर-बसर कर सकें ।

मैं इस मौके पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता फिर भी मैं मिनिस्टर साहब से यही कहूंगा कि मैं चाहता हूं कि उन दुखी और मुसीबतज़दा भाइयों को आराम पहुंचाने और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिये जितने भी रुपये की जरूरत हो उसको सर्फ करने में न हिचकें, यह तो सही है कि वह लातादाद रुपया नहीं खर्च कर सकते और वे उतना ही खर्च करेंगे जितना कि उनकी जेब में होगा लेकिन वह हमेशा उन लोगों के साथ हमदर्दी का रवैया बनाये रखें ।

चूंकि इस बिल की सीमा महदूद (सीमित) है, मैं बहुत बातों में नहीं जाना चाहता । ताहम मैं इस मौके पर उल्हासनगर में जो एक कांफ्रेंस हुई थी और जिसमें कि बहुत से रेजोलूशंस (संकल्प) पास हुए थे और आपको वे प्रस्ताव भेजे गये थे और बतलाया गया था कि वहां की हालत बड़ी दर्दनाक है और उसके लिये आपने कुछ अफसरान को भी भेजा था लेकिन अभी तक जैसा काम होना चाहिये था नहीं हो पाया है और मैं चाहता हूं कि उधर मिनिस्टर साहब फौरन ध्यान दें । वहां पर बिजली पहुंचाने के बारे में भोंसले साहब ने बड़ी कोशिश की और बड़ी रियायतें भी दी थीं लेकिन अभी तक वह काम नहीं हो पाया है । मेरी शिकायत यह है कि इस तरह के इमदादी कामों में इतनी ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिये और जब हम ऐसे कामों में वर्षों लगते देखते हैं तो यही कहना पड़ता है : "ता तिरयाक अजइराक आवर्दा शवद भारगुजीद्ह मुर्दाशिवद", जिसका कि मतलब यह हुआ कि जब तक दवा आये तब तक मरने वाला मर जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिये और तेजी और जल्दी से हमदर्दी के साथ यह काम होना चाहिये । मैं और ज्यादा न कह कर इस बिल का समर्थन करता हूं ।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । सरकार ने पहले जो फरीदाबाद बोर्ड बनाया था वह न तो कोई अभियोग चला सकता था और न उस पर कोई अभियोग चलाया जा सकता था । समझ में नहीं आता कि यह त्रुटि कैसे रह गई है ।

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : वह पिछले निकाय का उल्लेख कर रहे हैं ।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : रुपया तो खर्च किया जा चुका है ।

†**श्री म० कु० मैत्र** : इस प्रकार के और निगम बनाये जायें क्योंकि शरणार्थियों की समस्या आज भी उतनी ही विषम है जितनी कि पहले थी । इस फरीदाबाद निगम विधेयक का स्वागत करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके साथ-साथ सदन के सम्मुख पूर्वी पाकिस्तान के ६० लाख शरणार्थियों के लिये भी इसी प्रकार का एक निगम विधेयक लाया जाना चाहिये था । आपको विदित है कि आजकल शरणार्थी बस्तियों का प्रबन्ध किस प्रकार होता है । शरणार्थी बार-बार आकलैन्ड हाउस ऋण के लिये जाते हैं और बिना कुछ पाये वापस लौट आते हैं । सहायता के लिये वे वहां पहुंचते हैं और उनकी

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अर्जियां अस्वीकृत कर दी जाती हैं। यदि उन बस्तियों में भी इसी प्रकार के निगम स्थापित कर दिये जायें तो शरणार्थियों की दशा में बहुत सुधार हो जायेगा तथा वे उद्योगों का सहारा लेकर अपने को पुनर्वासित कर सकेंगे ।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि निगम एक स्वायत्तशासी निकाय होगा। किन्तु खंड ४ को पढ़ने से प्रतीत होता है कि उसमें स्वायत्तता नाम की कोई चीज ही नहीं है। सरकार निगम के सदस्यों की नियुक्ति करेगी। यह नहीं कहा गया है कि यह नियुक्ति किस प्रकार की जायेगी। कदाचित सरकार कुछ शरणार्थियों को नामज़द करे, अथवा कुछ अफसरों को भेजे। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का प्रबन्ध हो सके कि शरणार्थियों के वास्तविक प्रतिनिधि चुन कर उसमें आ सकें।

फिर, विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रशासनिक अधिकारी की स्थिति वास्तव में क्या होगी। उसके अधिकारों को इतना अ-परिभाषित छोड़ दिया गया है कि सरकार को इससे समाजवादी ढांचे की स्थापना करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम बनाये जायेंगे उन्हें कौन बनायेगा ।

खंड २५ (ङ) लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति कौन करेगा। क्या निगम किन्हीं गैर-सरकारी लेखा-परीक्षकों को नियुक्त करेगा अथवा सरकार द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी। हम चाहते हैं कि यह लेखा-परीक्षा भारत के महालेखा-परीक्षक के नियंत्रण और देखभाल में हो।

हम इस बात पर भी ज़ोर देना चाहते हैं कि निगम का प्रतिवेदन संसद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये। इससे सदस्यों को यह जानने का अवसर मिलेगा कि निगम किस प्रकार कार्य कर रहा है और शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में क्या कुछ किया गया है।

मैं पंडित भार्गव के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि जो कर्मचारी बोर्ड में काम कर रहे थे उन्हें इस नये निगम में सेवायुक्त किया जाये। उनकी छंटनी नहीं की जानी चाहिये। बीमा निगम बनने के पश्चात् बीमा कर्मचारियों के वेतन कम कर दिये गये। इस उदाहरण का यहां अनुसरण नहीं किया जाना चाहिये। इन सुझावों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नंदलाल शर्मा : नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय,
देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै।
नमोऽस्तुरुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो'
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ।।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद विकास निगम के सम्बन्ध में जो विधेयक आज इस सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे पुनर्वास मंत्रालय को आज यह चिन्ता हुई है कि फरीदाबाद का प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं हो सकता और उसका प्रबन्ध ठीक किया जाना चाहिये। यह भी मैं मानता हूं कि उत्तरदायित्व जिन के कंधों पर होता है उनकी अपनी कठिनाइयां होती हैं और जो टीका-टिप्पणी करने वाले होते हैं वे बड़ी आसानी से टीका-टिप्पणी कर देते हैं। उनकी भी अपनी कठिनाइयां होती हैं जिनके कारण वे ठीक तरह से प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई वर्षों के बाद आज उनको इस बात का ध्यान आया कि वहां का प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं हो रहा है और उन्होंने फरीदाबाद डिवेलेपमेंट कारपोरेशन के नाम से यह विधेयक यहां उपस्थित किया है। यह तो भविष्य ही बतायेगा कि इस कारपोरेशन के स्थापित होने के बाद फरीदाबाद के निवासियों का कष्ट दूर हुआ है या नहीं परन्तु जैसा कि अभी गिडवानी जी ने कहा कि फरीदाबाद ही नहीं और भी कितने

[श्री नन्दलाल शर्मा]

ही टाउनशिप्स हैं जहां के निवासी दुखी हैं और उनके दुख दूर करने की भी कोशिश होनी चाहिये । मैं तो सरकार की उस नीति से ही असहमति प्रकट करता हूं जिसका अनुसरण करते हुए जहां-जहां उसने उत्पीड़ितों को बसाया वहां-वहां उसने इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा कि वहां उनके खाने-पीने का भी कोई साधन उपलब्ध होगा या नहीं । जहां-जहां भी टाउनशिप्स बसाये गये हैं उनमें प्रयत्न किया गया है कि किसी कारण से अथवा किन्हीं कारणों से कि इनको बस्तियों से दूर जाकर बसाया जाये । इसका परिणाम यह हुआ है कि इन उत्पीड़ितों के पास उतना धन नहीं है अथवा इतना बल नहीं है कि वे बार-बार नगर में आ सकें और वहां पर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर काम करके ये लोग अपनी आजीविका चला सकें । फरीबाबाद में यही समस्या आपके सामने उपस्थित हुई । वहां पर जिन लोगों को बसना था बस तो गये लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं थे और रोटी कमाने का कोई ज़रिया नहीं था । रहने के लिये उनको मकान तो दे दिये गये लेकिन अभी तक यह नहीं निश्चय हो सका कि वे लोग खायें क्या । यद्यपि वहां पर दो-चार इंडस्ट्रियल केन्द्र, औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, बाटा आदि ने भी वहां पर अपना कार्य आरम्भ किया, परन्तु इससे समस्या सुलझ न सकी और आज इस कारपोरेशन को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी ।

अभी आपने हमारे बन्धु से यह बात सुनी और मैं इस बात पर विशेष बल देता हूं कि कारपोरेशन के सम्बन्ध में यह निश्चित नहीं किया गया है कि उसमें कुछ निर्वाचन का अधिकार रहेगा या नहीं । जहां तक मुझे याद पड़ता है वोटिंग सिस्टम (मतदान प्रथा) तो चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) जिसे एग्ज़ेक्यूटिव आफिसर (कार्यकारी अधिकारी) बनाया गया है उसको वोटिंग का अधिकार तो नहीं दिया गया परन्तु जो एग्जेक्यूटिव आफिसर होगा उसके क्या-क्या अधिकार होंगे इसके बारे में यहां पर कोई भी बात निश्चित रूप में नहीं कही जा सकती है । इतना ही इसमें कहा गया है कि वह कमेटियों में भाग ले सकेगा परन्तु वोट नहीं दे सकेगा । इसके आगे क्या-क्या कार्य कर सकेगा इसके बारे में कोई निश्चित-सी बात नहीं कही गई है । मैं निवेदन करता हूं कि, जैसे यह सुझाव दिया गया है कि उत्पीड़ितों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाये, इसको मान लिया जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि इस कारपोरेशन में पार्लियामेंट को भी यदि प्रतिनिधित्व दिया जाये तो यह भी अनुचित नहीं होगा ।

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : यह प्रतिनिधि कोहाट का हो या पेशावर का ?

श्री नंद लाल शर्मा : मैं यह नहीं कहता कि कोहाट का हो या पेशावर का हो । जो भी वहां पर रहता हो और जिसका उनके साथ सम्बन्ध हो उसको ले लिया जाये ।

लाला अचिंत राम (हिसार) : दोनों ही हो जायें ।

श्री नंदलाल शर्मा : इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं कि सिद्धान्त तय हो जाना चाहिये कि संसद् का भी उसमें एक प्रतिनिधि होना चाहिये ।

एक दूसरी बात की ओर भी मैं संकेत करना चाहता हूं । अभी हमारे गिडवानी जी ने कुछ वैयक्तिक संकेत किये । मैं उन वैयक्तिक संकेतों से सहमत नहीं हूं । मैं यह कह देना चाहता हूं कि अभी तक उत्पीड़ित व्यक्तियों का विश्वास श्री खन्ना साहब से उठा नहीं है । उनको खन्ना साहब से बड़ी आशायें हैं । परन्तु एक चीज़ तो मैं कहे बिना रह नहीं सकता और वह चीज़ केवल इन्हीं के डिपार्टमैंट (विभाग) पर लागू नहीं होता बल्कि समस्त गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर लागू होती है । यह एक ऐसी बीमारी है जो सब डिपार्टमेंट्स में पाई जाती है । उत्पीड़ित बेचारे हमारे पास रोते हुए आते हैं और अपनी कहानी आकर सुनाते हैं । वे आफिसिस में जाते हैं, चक तैयार होता है फाइनल सिगनेचर (हस्ताक्षर) नहीं होते । क्लर्क किन्हीं कारणों से उसे अपने पास रख छोड़ता है और इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है । मैं चाहता हूं कि भोंसले साहब अथवा खन्ना साहब

जो भी यहां पर हो, क्योंकि इनमें से एक बाहर रहता है, वह अपने मारेल इनफ्लुएंस (नैतिक प्रभाव) से, इस प्रकार काम लें, कि इन बेचारे उत्पीड़ितों को और विशेषकर उनको जो प्रभावशाली नहीं हैं, जो पैसे वाले नहीं हैं और जिनको कोई भी व्यक्ति परेशान कर सकता है, जिनको चपरासी भी अन्दर जाने नहीं देता है और जिनके सारे काम चौपट पड़े रहते हैं, परेशानी न हो। जो पैसे वाले हैं, जिन के कोई सम्बन्धी वहां पर काम करते हैं, जो प्रभावशाली हैं उनको तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है परन्तु यही वे लोग हैं जिन को कष्ट होता है।

फरीदाबाद की पिछली परिस्थिति क्या रही है। मैं समझता हूं कि चूंकि वहां पर कठिनाइयां अनुभव की गई हैं, इसलिये कारपोरेशन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आपने स्वयं कहा है कि उस बोर्ड की कोई लीगल एंटिटी (वैधिक अस्तित्व) नहीं थी, इसलिये इस कारपोरेशन को एक लीगल परसन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। यह सब कुछ होते हुए भी मैं फिर कहता हूं कि इससे यह निश्चित रूप से पता नहीं चलता है कि आगे क्या होनेवाला है, उनके भाग्य में क्या क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। यदि आपके इस परिवर्तन से सचमुच उनके भाग्य में परिवर्तन हुआ तो मुझ से बढ़ कर कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा जो इससे प्रसन्नता अनुभव न करे।

आपने इसमें कहा है कि आप साढ़े तीन करोड़ रुपया लोन (ऋण) के रूप में बोर्ड को दे चुके हैं। इससे आगे जब मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि लगभग २८ लाख रुपया भी रिकरिंग एक्सपेंडिचर (आवर्ती व्यय) के रूप में एडवांस (पेशगी) करने का गवर्नमेंट इरादा रखती है। मैं समझता हूं कि ऐसे टाउनशिप के लिये जहां कि इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट, औद्योगिक उन्नति करने की ज्यादा सम्भावनायें हों, वहां के लिये इतना रिकरिंग ग्रांट (अनुदान) अधिक न होगा।

मैं समझता हूं कि हर उस उत्पीड़ित की जो कि भारतवर्ष में कहीं भी बसा हुआ है और उत्पीड़ित की नहीं हर उस व्यक्ति की जो इस परिस्थिति में भारतवर्ष में रह रहा है और दुखी है, उसको रोज़ी देने का उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर आता है और उसकी सहायता करना सरकार का कर्तव्य है। परन्तु यह तर्क फरीदाबाद के विरुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिये मैं हृदय से इसका समर्थन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह पुनर्वास मंत्रालय को बल दे कि वह वास्तविक सहायता उत्पीड़ितों को पहुंचाने के काबिल हो सके।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद डेवेलपमेंट कारपोरेशन स्थापित करने के उद्देश्य से जो बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। पार्टीशन (विभाजन) के पश्चात कई सालों से हमारे हज़ारों पुरुषार्थी भाई वहां रह रहे हैं। चूंकि वहां पर उनको पूरा काम-धंधा नहीं मिलता है, इसलिये सैंकड़ों पुरुषाथी दिल्ली में काम करने के लिये लाये जाते हैं। इस तरह उनको यहां लाने ले जाने में काफी खर्च होता है। इन परिस्थितियों में अगर वहां पर एक कारपोरेशन स्थापित हो जाती है, तो वह वहां पर ट्रेड (व्यापार), इंडस्ट्रीज़ (उद्योग) और बिज़िनेश (व्यवसाय) को काफी प्रोत्साहन दे सकती है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री की सेवा में रखना चाहता हूं।

मेरा पहला सुझाव यह है कि करापोरेशन को वहां पर विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की सहायता से विभिन्न कारखाने स्थापित करने चाहिये। मिसाल के तौर पर लुधियाना में लूम इंडस्ट्री (करघा उद्योग) बड़ी जबर्दस्त है। हज़ारों आदमी उससे जीविका पाते हैं और एक आदमी लगभग तीन, चार-पांच रुपये प्रति दिन कमा लेता है। वहां से इस इंडस्ट्री के दो चार जानकार आदमी लाये जायें और उनकी सहायता से को-आपरेटिव बेसिस पर लूम के कारखाने खोले जायें। उसमें सैंकड़ों आदमियों को काम मिल सकता है।

[सेठ अचल सिंह]

मेरठ के गांधी आश्रम ने कई प्रकार के काम शुरू कर रखे हैं और वह बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और हज़ारों व्यक्तियों को रोज़ी दे रखी है। अगर उसको कुछ सहायता दी जाय और उसको फरीदाबाद में अपनी एक ब्रांच (शाखा) खोलने के लिये कहा जाय और वह वहां अपना काम शुरू कर दे, तो हज़ारों स्त्री-पुरुष काम पर लग सकते हैं। खादी के सम्बन्ध के भी काम जैसे धुनना, कातना, बुनना, छपाई वगैरह तरह-तरह के काम आज मेरठ में किये जा रहे हैं, जिससे मेरठ के हज़ारों आदमियों को खाने को मिलता है ।

वहां पर लोहे की ढलाई—कास्टिंग की इंडस्ट्री भी चलाई जा सकती है। आगरा में उसके सैंकड़ों कारखानें हैं। फ़रीदाबाद में यह काम को-आपरेटिव सोसायटी स्थापित करके या दो-चार कारखाने वालों को लोन और दूसरी सहायता देकर शुरू किया जा सकता है। कुछ सहायता मिलने पर आगरा के कुछ आदमी फ़रीदाबाद आ सकते हैं और दूसरे लोगों को यह काम सिखा सकते हैं। चूंकि दिल्ली नज़दीक है और यहां पर एक बड़ी मार्केट है, इसलिये वहां पैदा किये गये माल की खपत आसानी से हो सकती है।

आज पलवल और वल्लभगढ़ इत्यादि में गल्ले की बड़ी मंडियां हैं। अगर व्यापारियों को मकान, दुकान और दूसरी फ़ैसिलिटीज़ (सुविधायें) दी जायें, तो वहां पर ग़ल्ले की एक मंडी स्थापित हो सकती है और सैंकड़ों हज़ारों आदमियों की आजीविका की समस्या हल हो सकती है ।

इस प्रकार बिज़िनेस, ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ वहां पर स्थापित हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट काफी रुपया कारपोरेशन को देने जा रही है। जब उद्योगपतियों को व व्यापारियों को कर्जा, ज़मीन, बिजली, पानी और दूसरी फ़ैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो सैंकड़ों कारखानेदार व्यापारी वहां पर आ जायेंगे और फरीदाबाद के लोगों की आजीविका की समस्या हल हो जायगी मैं समझता हूं कि फ़रीदाबाद तो एक छोटी सी बस्ती है, यह नीति अपनाने से तो बड़ी से बड़ी आबादी की आजीविका का प्रश्न हल हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय खास-खास कामों को जानने वाले आदमियों की सहायता लेंगे और उनको फ़ैसीलिटीज़ देंगे। इस प्रकार वहां की बेकारी दूर होगी और आजकल जो लाखों रुपये सालाना खर्च करने पड़ते हैं, वे बच जायेंगे और पुरुषार्थी भाई भी अपने पांव पर खड़े हो सकेंगे ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

†**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : प्रस्तावित निगम नगरपालिका निकाय तथा व्यापारी निकाय दोनों के रूप में काम करेगा। किन्तु इसका कार्य व्यापारी निकाय के रूप में अधिक होगा क्योंकि यह उपबन्ध किया गया है कि विकास निगम का दायित्व इसे चुकाना होगा और इस बड़े दायित्व का चुकाना तभी सम्भव है जब व्यापारिक कार्य अपने हाथ में ले। किन्तु हम देखते हैं कि ऐसे औद्योगिक समवाय जिनसे कि निगम को आय हो सकती थी, घाटे में चल रहे हैं जैसे कि वहां का बिजलीघर। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि निगम के लिये उपरोक्त उत्तरदायित्व का निभाना कैसे सम्भव होगा। यदि इस निगम को सफल व्यापारिक निकाय बनाना है जिससे कि यह सरकार द्वारा इसे दिये गये रुपये का भुगतान कर सके, तो उसके कार्य को लाभप्रद बनाने के लिये एक पूर्णकालीन व्यक्ति तथा ऐसे अन्य कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। यहां हम देखते हैं कि चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर ही प्रशासक है और कदाचित यह प्रशासक सामान्य प्रशासन के अनुभव वाला ही व्यक्ति होगा। हो सकता है उसे वह व्यापार सम्बन्धी अनुभव न हो जिसके द्वारा कि निगम को इतना बड़ा आर्थिक उत्तरदायित्व निभाना है ।

प्रस्ताव करते समय माननीय मंत्री ने कहा था कि आगामी वर्षों में निगम को और भी ऋण दिये जायेंगे। यदि यह रकम ५ करोड़ तक हुई तो मैं समझता हूं कि यह निगम ठीक ढंग से नहीं चल

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सकेगा। निस्संदेह विकास बोर्ड अच्छा काम कर रहा है—यद्यपि स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती किन्तु फरीदाबाद में फिर भी अच्छा काम हो रहा है। विस्थापितों को लाभप्रद काम-धंधे दिलवाना दूसरी बात है—किन्तु काम किसी हद तक अच्छा ही है।

इस दृष्टि से बोर्ड के स्थान पर संविहित निगम बनाया जाना अच्छा है। किन्तु इसके काम अधिक हैं और इसके पास रुपया कम है। इसे इसलिये ऐसी शक्तियां दी जायें जिनसे यह अपने काम ठीक ढंग से कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : सभापति महोदय, संभवतया एक या दो माननीय सदस्यों ने जिन्होंने कहा है कि हम फरीदाबाद पर अन्य उपनगरों से अधिक व्यय कर रहे हैं, इस सभा के सदस्यों पर कुछ प्रभाव डाला हो। जो उन्होंने कहा है, वह ठीक नहीं है। मैं बाद में बताऊंगा कि हम फरीदाबाद में प्रति परिवार जो व्यय कर रहे हैं वह अन्य स्थानों पर किये जा रहे व्यय से बहुत कम है। जहां तक पुनर्वास मंत्रालय का सम्बन्ध है—विस्थापितों के मामले में कोई मतभेद नहीं किया जाता—चाहे कोई सिन्ध से आये, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त से हो या पंजाब से हो या पूर्व से। सरकार के लिये सभी बराबर हैं और सरकार ऐसे तरीके से उनके पुनर्वास का प्रबन्ध करती है जो उचित है। किसी विशेष परिस्थिति तथा किसी विशेष स्थान के अनुसार व्यय कहीं कम या कहीं ज्यादा हो सकता है किन्तु जहां तक विस्थापितों का सामान्य प्रश्न है उस मामले में मतभेद नहीं किया जाता।

खेद की बात है कि मेरे मित्र श्री गिडवानी ने सभा को गलत सूचना दी कि अब तक ७ करोड़ रुपया व्यय किया गया है। वास्तव में यह उनकी गलती नहीं है। जो पुस्तक हमने निकाली उसमें कुछ शुद्धि की जानी चाहिये थी। इसे ऐसे पढ़ा जाना चाहिये था :

> "फरीदाबाद विकास बोर्ड को १ अक्तूबर, १९५२ से २८ लाख प्रतिवर्ष का एक आवर्ती अनुदान दिया जा रहा है जिससे वह नगरपालिका सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला गृहों में रहने वाली स्त्रियों को दान, काम न कर सकने योग्य लोगों के आश्रम, सहायता कैम्पों आदि पर होने वाला व्यय पूरा कर सकें जिन्हें फरीदाबाद के बेरोजगार लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार देने के लिये स्थापित किया जा सकता है।"

"प्रति वर्ष" शब्द के बाद स्थान रिक्त नहीं रहना चाहिये था।

इसलिये मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं—जैसा कि मैं ने पहले कहा था—कि अभी तक सरकार ने कुल ३७२ लाख रुपये का ऋण दिया है—और बोर्ड को ऋण के रूप में दी गई वास्तविक राशि २५२ लाख रुपये है। १२० लाख की शेष राशि इस प्रकार पूरी होती है : प्रौद्योगिक संस्था पर व्यय : ३८·५८ लाख रुपये। यहां मैं यह अवश्य कहूंगा कि सरकार के लगभग २० लाख रुपये व्यर्थ गये हैं। इसे भी तनिक बढ़ा चढ़ा कर कहा गया था। आई० सी० यू० को २४ लाख रुपये का ऋण दिया गया। इसी राशि में सरकार को ८ लाख रुपये की हानि हुई है, २४ लाख की नहीं—जैसा कि पहले कहा गया था। स्टाक का १६ लाख रुपया हिसाब में लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि जैसे-जैसे साधन बढ़ते जाते हैं उसे प्रशासक निर्माण के लिये सामान आदि पर व्यय करता रहेगा। संस्थापन के व्यय १४·६३ लाख हैं। कर्मचारियों को बोनस १६·६ लाख रुपया दिया गया। बिजली के कारखाने पर राजस्व की हानि लगभग ९·९५ लाख रुपये हुई है। यह सब मिलाकर लगभग १२० लाख रुपये होते हैं। लगभग १८ लाख रुपये की रकम हमने स्कूल, अस्पताल तथा अन्य सुविधाओं पर खर्च की है। इसलिये सरकार ने फरीदाबाद बोर्ड को कुल ऋण २३४ लाख रुपये दिया है। यह नकद आस्तियों के रूप में है और पुंज का भाग बनेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**लाला अचिंत राम** : क्या शिक्षा के लिये भी कुछ दिया गया है ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : जी हां, पृथक् रूप से। यह रकम लगभग १३ लाख रुपये है। बुनियादी शिक्षा सब जगह निश्शुल्क है। जैसा कि मैंने पहले कहा था यह २५२ लाख रुपये की राशि मकान बनाने पर व्यय की गई। ५,१५८ मकान, १३८ दुकानें, १५० 'निसन हट्स' अन्य निर्माण तथा अधिग्रहण पर सब व्यय इसी राशि के अन्तर्गत हुआ है।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या इनके लिये बोर्ड उत्तरदायी है ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : जी, हां। अब मुझे एक दूसरी बात भी कहनी है। मेरे माननीय मित्र श्री गिडवानी ने कहा है कि हम फरीदाबाद पर दूसरी बस्तियों से अधिक खर्च कर रहे हैं। इस समय फरीदाबाद में २३,००० विस्थापित व्यक्ति हैं। जैसा कि मैंने कहा हमने इन लोगों पर २३४ लाख रुपये खर्च किये हैं और स्कूलों तथा अस्पतालों को मिला कर यह रकम २५२ लाख रुपये बैठती है। इसमें से १८ लाख रुपये की राशि घटाई जानी है क्योंकि उसे स्कूल, अस्पताल तथा दफ्तर आदि बनाने पर खर्च किया गया है। इसलिये कुल राशि २३४ लाख रुपये बैठती है। अर्थात् प्रत्येक परिवार के हिसाब से ४,६८० रुपये। कुछ दूसरे उपनगरों में हमने ५,५०० तथा ५,१०० रुपये प्रति परिवार के हिसाब से व्यय किया है। इसलिये ऐसा कहना या विचार करना उचित नहीं है कि सरकार फरीदाबाद पर अन्य उपनगरों की तुलना में अधिक व्यय कर रही है।

मैं सभा को एक या दो उदाहरण और भी दे सकता हूं किन्तु हमने आंकड़े इकट्ठे नहीं किये।

मित्र श्री गिडवानी ने जो बात कही थी वह यह थी। जहां तक उल्हासनगर का सम्बन्ध है सरकार ने २ करोड़ रुपया व्यय किया है; किन्तु हमने उसमें उल्हासनगर की भूमि की कीमत शामिल नहीं की और न उन मकानों आदि की कीमत गिनी जो वहां पहले थे। उस उपनगर का क्षेत्रफल ७ वर्ग मील है।

†**श्री गिडवानी** : इसकी आबादी एक लाख है।

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : सरकारी तौर पर आबादी ९०,००० है। इन सब बातों पर विचार किया गया है और यह ठीक तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि हम यहां ज्यादा खर्च कर रहे हैं और दूसरे स्थानों पर कम। हम सारे खर्च का हिसाब करने को तैयार हैं और माननीय मित्र को सिद्ध कर देंगे कि इस मामले में मतभेद का प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है---हम वहां पर आवश्यकतानुसार रुपया लगाने को तैयार हैं। जहां रोजगार की समस्या भीषण हो वहां भी मतभेद का कोई प्रश्न नहीं उठता। फरीदाबाद के बारे में यह कहा जा सकता है कि वहां बहुत से उद्योग हैं---किन्तु उन्हें बहुत साल पहले आरम्भ किया गया था। उल्हासनगर में ऐसे लोग कम हैं जो आगे आयें और उद्योग आरम्भ करें। उस दृष्टि से मैं माननीय मित्र को विश्वास दिला देना चाहता हूं---यदि वह समझते हैं कि उल्हासनगर का ध्यान नहीं रखा गया---कि यदि वहां लोग उद्योग स्थापित करने के लिये आगे आना चाहते हैं तो हम उनकी पूर्ण सहायता करेंगे।

माननीय मित्र लाला अचिंत राम ने लाजपतनगर में बेरोजगारी की समस्या के बारे में कहा। हमारे मंत्रालय में इस प्रश्न पर विचार हो रहा है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में हम केवल उद्योगों पर ४·२२ करोड़ रुपये व्यय करेंगे, २·७५ करोड़ रुपये की लागत की योजनायें पहले से ही गत

---

†मूल अंग्रजी में।

पांच वर्षों में मंजूर की जा चुकी हैं। १२ करोड़ रुपये में से हमने ७·५ करोड़ रुपये मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये रखे हैं और ३·७२ करोड़ रुपये कुटीर उद्योगों के लिये रखे हैं। जहां तक मध्यम दर्जे के उद्योगों का सम्बन्ध है, हमारी योजनायें बहुत व्यापक हैं। हम पश्चिमी बंगाल के पूर्वी क्षेत्र तथा बम्बई राज्य, दिल्ली, फरीदाबाद और राजपुरा में जहां बेरोजगारी अधिक है, उद्योग स्थापित करेंगे। हम सदैव माननीय सदस्यों के सुझाव स्वीकार करने को तैयार रहते हैं—जहां वे समझते हों कि विस्थापित व्यक्ति अधिक हैं और बेरोजगारी भी है और उद्योग स्थापित होने चाहियें—वहां हम वैसा काम करने को तैयार हैं।

जहां तक लाजपतनगर के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं भी उसमें दिलचस्पी रखता हूं। कुटीर उद्योगों के लिये ३·७२ करोड़ रुपये हमने रखे हैं। इस वर्ष, यदि मुझे ठीक याद है—हमने १०० लाख रुपया प्रत्येक राज्य को उसके परिमाणानुसार कुटीर उद्योगों के लिये दिया है। मुझे इस मामले में व्यक्तिगत दिलचस्पी है और जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गस ने सुझाव दिया था हम जापानी टेकनिशियन लाये हैं—और हम पश्चिमी बंगाल में बांस की चीज़ें बनाने के कई उद्योग खोलने के लिये मशीनरी लाने का भी विचार कर रहे हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

लाला अचिंत राम ने यह भी कहा कि वह बाहर वालों को लाना ठीक नहीं समझते। जैसा मैंने पहले कहा था हमें अधिक प्रसन्नता होगी यदि विस्थापित लोग ये काम अपने हाथों में ले लें। जहां तक फरीदाबाद की सहकारी संस्थाओं का सम्बन्ध है उनमें हमें बहुत हानि हुई है और यदि अब भी विस्थापित व्यक्ति आगे आयें तो उनके मुकाबले में बाहर वालों को प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

लाला अचिंत राम ने यह भी कहा कि मकानों की लागत की वसूली चार साल में न की जाये। इस पर सभा में पहले चर्चा हो चुकी थी और सभा ने ही यह नियम बनाया था। मैं यहां कहना चाहता हूं कि हमारी प्रतिकर योजना चार साल की आस्तियों के भुगतान पर निर्भर है और यदि हम इस रकम को चार साल में वसूल नहीं करते तो हमें मुआवजा देने में भी देर लगेगी।

पंडित भार्गव की बात का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। उन्होंने कहा था कि हम फरीदाबाद में प्रति परिवार ५,००० रुपया व्यय कर रहे हैं। वास्तव में हम उससे कहीं कम रकम खर्च कर रहे हैं। भारतीय सहकारी संघ को २४ लाख रुपया दिया गया था—उन्होंने सोचा कि शायद वह सारा रुपया व्यर्थ ही गया। वास्तव में उसमें सरकार को ८ लाख रुपये की हानि हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि उन कर्मचारियों को आश्वासन दिया जाये कि उनके हित सुरक्षित रहेंगे। हम उन सब के मामलों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का मामला देखा जायगा। यह बात भी उसी समय समझी जा सकती है—कि रोजगार अधिक है जैसा कि डा० दास ने कहा है। उपनगर पर और रुपया व्यय करने के प्रश्न पर पूरा ध्यान देना है—इस दृष्टि से हम प्रत्येक मामले पर विचार करेंगे और उनके हितों की रक्षा करेंगे।

यह भी कहा गया कि मंत्री ने दो महीने पहले आश्वासन दिया था कि वहां विस्थापित व्यक्तियों को ६०० मकान आवंटित किये जायेंगे। मैं नहीं समझता कि यह ठीक बात है—ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया।

हम लगभग १,५०० विस्थापित व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार दिलाने के लिये ५·५ लाख रुपये व्यय कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि हमें उपदान देना चाहिये। हम तो यह तरीका छोड़ रहे हैं—यह तरीका बहुत बुरा तरीका है। मुझे विश्वास है कि विस्थापित लोग उपदान लेने के स्थान पर मजूरी लेना अधिक पसंद करेंगे। हमें इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये।

[श्री ज० कृ० भोंसले]

श्री मैत्र ने सुझाव दिया कि बंगाल के विभिन्न उपनगरों में निगम स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया जाये । निश्चय ही हम इस प्रश्न पर बंगाल राज्य सरकार की सलाह से विचार करेंगे । उन्होंने यह भी कहा कि वार्षिक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाये । हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है; उपयुक्त समय पर प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे जायेंगे ।

सेठ अचल सिंह ने कहा कि उद्योग तथा व्यापार पंजाब के दूसरे नगरों में भी प्रोत्साहित किया जाये । हम इस प्रस्थापना पर विचार करने को तैयार हैं । जहां बेरोजगारी ज्यादा हो और विस्थापितों की आबादी अधिक हो सरकार ऐसे स्थान पर उद्योग जारी करने के काम में प्रोत्साहन देगी ।

श्री ब० कु० दास का विचार है कि बिजलीघर में हानि बहुत ही हुई है । ऐसी बात नहीं है । यद्यपि हमने ८ लाख रुपये व्यय किये किन्तु लगभग ३·८० लाख रुपये वसूल हो गये हैं । उन्हें डर यह है कि यदि सरकार इस कारखाने में इस प्रकार बार-बार हानि उठाती रही तो निगम के लिये आत्मनिर्भर होना असम्भव हो जायेगा । यह एक तरह से ठीक नहीं है——अब हम वहां लगभग २३ उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं——और इन सब उद्योगों को बिजली की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं । जल संभरण में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं । जैसा मैंने परसों कहा हमने ३०,००० का घाटा पूरा कर लिया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि फरीदाबाद नगर में व्यापार और उद्योग को चलाने तथा उसको बढ़ाने के प्रयोजन से वहां बसे हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता करने के लिये एक व्यापार निगम की स्थापना और विनियमन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से १६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १७—(निगम में सम्पत्ति निहित करना)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ५, पंक्ति २६ में अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"Unless the Central Government otherwise directs in respect of any part of such property, assets or funds."

["जब तक कि केन्द्रीय सरकार ऐसी संपत्ति, आस्तियां अथवा निधियों के किसी भाग के सम्बन्ध में अन्यथा निर्देशन दे ।"]

——[श्री ज० कृ० भोंसले]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १८ से ३५ और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १——(संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति ६ में "1955" ["१९५५"] के स्थान पर "1956" ["१९५६"] रखा जाये ।

——[श्री ज० कृ० भोंसले]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में "Sixth year" ["छठवें वर्ष"] के स्थान पर "Seventh year" ["सातवां वर्ष"] रखा जाये ।

—[श्री ज० कृ० भोंसले]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री ज० कृ० भोंसले :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

निष्क्राम्य सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि निष्क्राम्य सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम १९५० को और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

निष्क्राम्य सम्पत्ति विधि एक असाधारण विधि है। विभाजन से उत्पन्न असाधारण स्थिति के कारण उसे पुर:स्थापित करना आवश्यक हो गया। हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र इस विधि का प्रवर्णन समाप्त हो जाये। हमने इस दिशा में कई कदम उठाये हैं। १९५३ में, इच्छुक निष्क्रमणार्थी सम्बन्धी उपबन्धों का निरसन किया गया और धारा ४० के आधीन बिक्री पक्की करने की प्रक्रिया सरल बना दी गयी। मई १९५४ में, निष्क्राम्य विधि के अनेक महत्वपूर्ण उपबन्ध हमारे मुस्लिम राष्ट्रजनों के हित में शिथिल किये गये। बाद में अक्तूबर, १९५४ में उस विधि के स्थान पर दूसरा आवश्यक विधान अधिनियमित किया गया। इस नये विधान के पश्चात् कोई व्यक्ति निष्क्रमणार्थी घोषित नहीं किया जा सकता और अब दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका है ।

मंत्रालय केवल इतने से संतुष्ट नहीं था। उसे यह मालूम था कि जब तक निष्क्राम्य विधियों के अन्तर्गत दायर किये गये मामले अभिरक्षक के संगठन में विभिन्न स्तरों पर पड़े रहेंगे तब तक

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

निष्क्रमणार्थी दल परिणाम के सम्बन्ध में सन्देह की दशा में रहेंगे। संदेह की यह स्थिति दूर करने के लिये यह निश्चय किया गया कि सभी लम्बित मामले बिना अधिक विलम्ब के समाप्त कर दिये जायें। उन सभी न्यायिक कार्यवाहियों को शीघ्र समाप्त कर देने से अंतिम रूप से निष्क्राम्य घोषित संपत्ति का विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने में उपयोग भी किया जा सकेगा। तदनुसार हम इन मामलों को निबटाने की गति पर बराबर ध्यान देते रहे हैं और अभिरक्षक के संगठन के पदाधिकारियों को बार-बार आग्रह किया है कि वे लम्बित मामलों को अविलम्ब समझ कर निबटारा करें। उन्हें यह भी आदेश दिया गया है कि मामलों का निबटारा करने में वे विशाल और मानव कल्याणकारी दृष्टिकोण रखें और न कि बहुत संकुचित या कानूनी। अब संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं और लंबित मामलों की संख्या मई, १९५५ में ९०,००० से घट कर सितम्बर, १९५६ में करीब २५,००० रह गयी है।

निष्क्राम्य सम्पत्ति विधि की कार्यान्विति का अभी हाल में पुनर्विलोकन करने पर हमें यह महसूस हुआ कि उसके कुछ उपबन्धों को और अधिक शिथिल बनाने का समय आ गया है। कुछ मुस्लिम संगठनों के अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय किये गये और जुलाई १९५६ में आदेश जारी किये गये। इन आदेशों को संविहित प्रभाव देने के लिये और उसे अविलम्बनीय महत्व का विषय समझते हुए सरकार ने २२ अक्तूबर, १९५६ को निष्क्राम्य संपत्ति (संशोधन) अध्यादेश प्रख्यापित किया। उसी अध्यादेश के स्थान पर अब यह विधेयक रखा गया है।

इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण उपबन्ध निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम की धारा १६ के अधीन सम्पत्तियों को वापस दिलाने के सम्बन्ध में है। सम्पत्ति वापस दिलाने के सम्बन्ध में कुल ९,००० आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। उनका जल्दी निबटारा करने के लिये सम्पूर्ण व्यवस्था में सुधार किया गया और जिलाधीश के पद के तीन विशेष पदाधिकारी मंत्रालय में उनके शीघ्र निबटारे के लिये नियुक्त किये गये हैं। ५,००० आवेदनपत्र निबटाये जा चुके हैं और १६४ लाख रुपये की सम्पत्ति वापस दिलाने के आदेश दिये जा चुके हैं। आशा है कि शेष आवेदनपत्र अगले दो महीने में निबटा दिये जायेंगे।

अभी तक प्रक्रिया यह रही है कि पुनःस्थापन प्रमाणपत्र दिये जाने के बाद उस व्यक्ति को अभिरक्षक के पास एक और आवेदनपत्र भेजना होता है और अभिरक्षक, इस बात से संतुष्ट होने पर ही कि उस सम्पत्ति पर आवेदक का अधिकार है, उसे सम्पत्ति वापस दिलाना है। यह प्रक्रिया बड़ी पेचीदी थी और इससे देर होती थी क्योंकि अभिरक्षक को दो जगह जांच करनी होती थी। अब विधेयक के खण्ड ६ के अनुसार प्रमाणपत्र दिये जाने के बाद एक अलग आवेदनपत्र ज़रूरी नहीं होगा। इससे सम्पत्ति वापस दिलाने में शीघ्रता होगी।

सम्पत्ति वापस दिलाने के सम्बन्ध में जो आंकड़े मैंने अभी बताये हैं उनमें मेवों के करीब २ हजार परिवार सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें भरतपुर और अलवर जिलों में २ लाख एकड़ खेती वाली जमीन वापस दिलायी गयी। जिन मामलों में उन्हें जमीन दी गयी, हम निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत एक सामान्य अधिसूचना जारी कर रहे हैं जिससे उन्हें निष्क्राम्य सम्पत्ति विधि के प्रवर्तन से विमुक्त कर दिया गया है। कुछ मामलों में वैकल्पिक जमीनें दी गयीं क्योंकि उनकी पहले की जमीनें दूसरों को दे दी गयी थीं और वे उन पर खेती कर रहे थे। ऐसी सम्पत्तियों को वापस प्राप्त करने के अधिकारियों को विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक के, जो सभा के समक्ष अलग से विचारार्थ उपस्थित है, उपबन्धों के अधीन, वैकल्पिक ज़मीनें या उसके बजाय नकद क्षतिपूर्ति दी जायेगी। अतः उन व्यक्तियों को यह आश्वासन मिल जायेगा कि उन्हें अपनी मूल सम्पत्ति या अन्य सम्पत्ति अथवा उसके बजाय नकद क्षतिपूर्ति अवश्य मिलेगी।

हमारा इस विधेयक में अभिरक्षकों और महाभिरक्षकों की शक्तियों के सम्बन्ध में, विशेषकर प्रतिवाद और पुनर्विलोकन के विषय में कुछ परिवर्तन करने का विचार है ताकि प्रक्रिया सरल बनायी जा सके और पीड़ित लोगों को कम असुविधा हो और साथ ही सभी को पूर्ण न्याय प्राप्त हो। अभिरक्षकों से प्रतिवाद की शक्ति और महाभिरक्षकों द्वारा मामलों के पुनर्विलोकन की शक्ति वापस ले ली जा रही है। साधारणतया अब केवल एक ही अपील होगी। जहां २ हजार रुपये तक के मूल्य की सम्पत्ति होगी, अभिरक्षक को अपील की जायगी। अधिक मूल्य की सम्पत्ति वाले मामले में और अभिरक्षक द्वारा निर्मित अपील में जहां कोई विधि की बात हो, अपील अभिरक्षक के संगठन के उच्चतम न्यायाधिकरण, अर्थात महाभिरक्षक के पास भेजी जायगी।

हमारे मुस्लिम भाइयों के हित में हमने निष्क्राम्य हित पृथक्करण अधिनियम के उपबन्धों पर भी जिसमें भारत के राष्ट्रजनों का, गैर-निष्क्रमणार्थियों के तौर पर, निष्क्राम्य सम्पत्तियों में हित है, विचार किया है। वे भी उतने ही चिन्तित हैं कि निष्क्रमणार्थियों के और उनके हितों में अन्तर स्पष्ट होना चाहिये। मई, १९५५ में ७०,००० मामलों का निबटारा करना बाकी था और फिर भी नये दावे प्राप्त हो रहे थे। अब लम्बित मामलों की संख्या ५५,००० तक नीचे लायी गयी है किन्तु अब भी वह संख्या बहुत बड़ी है और उन्हें शीघ्र निबटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। हाल में हमने प्रक्रिया काफ़ी सरल बना दी है और इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या विधि में परिवर्तन करना आवश्यक है।

उसी उद्देश्य से हमने यह निश्चय किया है कि निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम की धारा ८ (४) के अधीन नयी सूचनायें न जारी की जायें। इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों के पास अनधिकृत रूप से सम्पत्ति है जो अपने आप अभिरक्षक में निहित हो गयी थीं, उन्हें अपना कब्जा छोड़ देने के लिये न कहा जायेगा। इससे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जमीनों के हज़ारों मालिकों को, जिनमें अनेक मुस्लिम हैं, लाभ होगा।

मस्जिदों को वापस दिलाने के विषय में भी मंत्रालय ने काफी काम किया है। भरतपुर और अलवर में तथा पंजाब के अनेक नगरों में कई मस्जिदें वापस दिलायी गयी हैं। सरकार की धारणा है कि जहां तक पाकिस्तान में मन्दिरों और गुरुद्वारों का सम्बन्ध है, इस प्रकार के मामले में पाकिस्तान द्वारा कार्य की प्रतीक्षा करना ठीक न होगा। इसलिये हमने स्वतः ही कार्य किया है। आगे संशोधनकारी विधेयक में यह उपबन्ध है कि जो सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित थी और जो धार्मिक तथा पूर्ण ढंग के सार्वजनिक प्रयोजन के न्यास के लिये थी, नये न्यासीयों की नियुक्ति के बाद लौटायी जानी चाहिये। निष्क्राम्य सम्पत्ति विधि के वर्तमान उपबन्धों के अधीन, केवल असैनिक न्यायालय ही नये न्यासीयों को नियुक्त कर सकते हैं। अब केन्द्रीय सरकार उन्हें नियुक्त करेगी और इससे नये न्यासीयों की नियुक्ति में तथा अभिरक्षक में निहित सम्पत्ति उन्हें वापस दिलाने में बहुत कुछ शीघ्रता होगी।

सरकार इस बात के लिये चिन्तित है कि निष्क्राम्य सम्पत्ति विधियों के प्रवर्तन से अल्पसंख्यक जाति में असुरक्षा की भावना न फैले और वे देश में शान्तिपूर्वक रहें और अपनी सम्पत्ति के पूर्ण अधिकार का उपभोग करते रहें। मैंने जो कुछ बताया उससे यह स्पष्ट होगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यथासंभव सब कुछ किया गया है।

फिर भी, पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ बिल्कुल भिन्न प्रकार से व्यवहार किया जाता है। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने १९५३ में हमारे प्रधान मंत्री को, जब वे कराची गये थे बताया कि निष्क्राम्य सम्पत्ति विधि का प्रवर्तन निलम्बित किया जाना चाहिये। हमने दो साल पहले ही वह किया। कोई भी समझदार व्यक्ति केवल यही आशा कर सकता है कि जिस पाकिस्तान ने इस कल्पना को जन्म दिया वह तो इस विषय में अग्रणी रहता और कम से कम अपनी निष्क्राम्य सम्पत्ति विधि का निराकरण कर देता जैसा कि हमने १९५४ में किया था।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

परन्तु वर्षों बीत गये, कराची में पाकिस्तान के मंत्रियों से मेरी व्यक्तिगत चर्चा तथा बार-बार पत्र व्यवहार का कोई परिणाम नहीं हुआ। कुछ दिन पूर्व मैंने समाचारपत्रों में एक समाचार पढ़ा था कि पाकिस्तान सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि १ जनवरी, १९५७ के पश्चात् किसी सम्पत्ति तथा व्यक्ति को निष्क्रान्त घोषित नहीं किया जायेगा। पाकिस्तान द्वारा अब तक यह कार्यवाही न की गयी, यही आश्चर्य की बात है। विशेषतया इस कारण से क्योंकि विभाजन के तुरन्त बाद पंजाब, बहावलपुल, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त तथा बलोचिस्तान से लगभग सभी हिन्दू तथा सिख भारत चले आये थे तथा उनकी सम्पत्ति निष्क्रान्त घोषित कर दी गई थी। विभाजन के बाद कुछ वर्षों में, अधिक संख्या में उनके भारत में आ जाने के पश्चात् केवल थोड़ से हिन्दू सिन्ध में रह गये थे। मुझे प्रसन्नता है कि अन्त में यह निर्णय किया गया है और मुझे पूरी आशा है कि पाकिस्तान के अभिरक्षक १ जनवरी, १९५७ से पूर्व शेष हिन्दू तथा सिखों की सम्पत्तियों को उनसे नहीं छीनेंगे।

मैं इस समय एक दो मामलों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। इनसे आपको विभाजन के पश्चात् इतने अधिक अभागे व्यक्तियों की हानि की समस्या के सम्बन्ध में पाकिस्तान के व्यवहार की जानकारी होगी। पाकिस्तान के शरणार्थी मंत्रालय के सचिव ने कुछ मास पूर्व यह सुझाव दिया था कि हमारी सरकार पाकिस्तान सरकार को शरणार्थियों द्वारा प्रस्तुत दावों के निर्धारण तथा जांच के लिये सहयोग तथा सुविधा दे। हमने इसका स्वागत किया तथा पाकिस्तान को आश्वासन दिया कि हम खुशी से सहयोग देंगे। हमने सुझाव दिया था कि इसके ब्योरों पर चर्चा की जाये तथा दोनों देशों के प्रतिनिधि इसे तय कर लें। हमारी यह इच्छा है कि विस्थापित व्यक्तियों के दुःखों को कम करने के लिये जो भी हो सके वह किया जाये तथा हम अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में संतोषजनक हल पर पहुंचने के लिये तथा उनके कल्याण के सम्बन्ध में समस्याओं तथा मामलों पर चर्चा के लिये सर्वदा तैयार हैं। यद्यपि छः मास बीत चुके हैं परन्तु हमारे सहयोग के प्रस्ताव का पाकिस्तान सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया जबकि यह सुझाव कराची से आया था।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि शरणार्थियों की चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी पाकिस्तान का रवैया सहायता करने की ओर नहीं है। १९५५ में लम्बी बातचीत के पश्चात् दोनों देशों के बीच सभी प्रकार की चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक समझौता किया गया था। उस समझौते को भी संतोषजनक रूप में लागू नहीं किया गया है। विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई चल सम्पत्ति को एक देश से दूसरे देश में ले जाने से पहले दोनों देशों को कई विवरण एक दूसरे को देने थे। जब कि हम ने दोनों देशों द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार अपने समस्त विवरण तैयार कर लिये हैं पाकिस्तान विवरणों के आदान-प्रदान की तिथि को लम्बित करता जा रहा है। पाकिस्तान तथा भारत में हज़ारों विस्थापित व्यक्ति, जो अपने डाक बचत बैंक लेखों, डाक बचत प्रमाणपत्रों (पोस्टल सर्टीफिकेटों) बैंकों में जमा रुपये सामान और अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं के वापस मिलने की आशा कर रहे थे निराश हो चुके हैं। क्रियान्विति समिति जो चल सम्पत्ति समझौते को लागू होने की प्रगति पर ध्यान रखने के लिये बनाई गई थी, उसकी अब तक केवल एक बार बैठक हुई है। हमने पाकिस्तान को यह प्रस्ताव भेजा है कि सभी लम्बित विवरण, जिनके आदान-प्रदान की तिथि निकल चुकी है, क्रियान्विति समिति की अगली बैठक में दिये जाने चाहियें। दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने १७–१८ सितम्बर, १९५६ को दिल्ली में बैठक करना स्वीकार किया था परन्तु यह पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पर स्थगित कर दी गई है। पाकिस्तान ने सुझाव दिया कि बैठक २२–२४ नवम्बर को कराची में होनी चाहिये। भारत सरकार ने इस तिथि को भी स्वीकार कर लिया यद्यपि संसद् के सत्र के समय प्रतिनिधिमण्डल भेजना असुविधाजनक होगा। परन्तु पाकिस्तान ने एक बार फिर बैठक स्थगित कर दी तथा यह ज्ञात नहीं है कि वह इसके लिये कब तैयार होगा।

सम्भव है पाकिस्तान, उन लाखों हिन्दू तथा सिखों, जो पाकिस्तान से आ गये हैं अथवा वह थोड़े से जो वहां पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के रूप में रह रहे हैं, की सहायता करने को तैयार न हो परन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि वह चल सम्पत्ति समझौते की उचित क्रियान्विति की ओर ध्यान न दे जिससे पाकिस्तान के मुस्लिम शरणार्थियों का पर्याप्त लाभ होगा ।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि विधेयक को स्वीकार किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । पंडित ठाकुर दास भार्गव का एक संशोधन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : श्रीमान, निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, तथा विस्थापित व्यक्ति, (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक दोनों लगभग एक ही प्रकार के हैं। धारा १६ जिसका संशोधन इस विधेयक द्वारा किया जा रहा है दोनों विधेयकों में है । केवल यही धारा नहीं अपितु कई उपबन्ध इसमें समान हैं। मेरा विचार है कि आप दोनों विधेयकों को प्रवर समिति को भेजने के लिये एक ही प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब दूसरे विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव नहीं किया गया है तब मैं संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति किस प्रकार दे सकता हूं ? माननीय सदस्य दोनों विधेयकों के सम्बन्ध में भाषण दे सकते हैं परन्तु दोनों संशोधन उन्हें अलग-अलग प्रस्तुत करने पड़ेंगे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री के भाषण से हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान तथा हमारे देश में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इस मामले में पाकिस्तान के रवैये की मैं भी उन्हीं के समान भर्त्सना करता हूं । हमारे तथा पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ तथा मुझे यह जान कर बड़ा खेद हुआ कि पाकिस्तान ने उस समझौते को भी लागू नहीं किया। हम जानते हैं कि पाकिस्तान चल सम्पत्ति का एक हजारवां भाग भी इस देश को देना नहीं चाहता जब कि लाहौर तथा अन्य बड़े नगरों में दुकानें माल से भरी थीं। समझौता हो जाने पर भी, उस समझौते पर अमल नहीं किया जा रहा । पाकिस्तान सरकार बचत तथा बैंक लेखे भी देना नहीं चाहती । यदि निष्क्रान्त विधि को देखें तो हमारी तथा उनकी निष्क्रान्त विधि में ज़मीन-आसमान का अन्तर है । हम जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने निष्क्रान्त विधि को पुनर्वास से किस प्रकार जोड़ दिया है। उन्होंने नियम बना दिया है कि शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये, छोड़ी गई हिन्दू तथा सिखों की सम्पत्ति पर कब्ज़ा जमा लिया जाये ।

जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है, हम अपने देश के राष्ट्रजनों में कोई अन्तर नहीं समझते हैं । हमने इस देश के अल्पसंख्यकों को इस देश के नागरिकों की सभी सुविधायें दी हैं । मैं समझता था कि माननीय मंत्री हमें यह भी बतायेंगे कि १९५४–५६ में कितनी सम्पत्ति बेची गई तथा इससे प्राप्त कितना धन पाकिस्तान ले जाया गया ? उनको याद होगा कि २५-९-१९५४ को जब सभा में इस पर चर्चा हो रही थी, तब यह कहा गया था कि ५० करोड़ रुपये की सम्पत्ति ले जाई जा चुकी है। इसमें ग़लती हो सकती है परन्तु यदि वह आंकड़े बता देते तो अच्छा होता ।

माननीय मंत्री को याद होगा कि सभी कमियां दूर कर दी जायेंगी, जिससे भारत की पूंजी बाहर न जा सके । यदि सभा की २५ सितम्बर, १९५४ की कार्यवाही वह देखें तो वह कठिनाई जान सकते हैं । मैंने उस समय कहा था कि हमें नियंत्रित उपबन्ध हटा लेने चाहियें जिनसे हमारे मुस्लिम मित्र

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

भयाक्रान्त हैं। मैंने यह भी कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर नहीं पड़ना चाहिये। इसीलिये मैं आशा करता था कि वह आंकड़े बता देंगे।

कई कारणों से पुराने विधेयक के खण्ड १६ का संशोधन १९५४ में किया गया। उस समय माननीय मंत्री ने कुछ आश्वासन दिये थे जो २५ नवम्बर, १९५६ के वाद-विवाद में हैं। उस समय माननीय मंत्री ने कहा था :

> "मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा १६ से यह अधिकार नहीं मिल जाता है, महा-अभिरक्षक के निर्णय पर अपील की जा सकती है। माननीय सदस्य यदि निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के नियम १५ (ख) के उपखण्डों को पढ़ें तो उन्हें लाभ होगा।"

श्री नि० चं० चटर्जी : क्या नये नियमों को ?

श्री अ० प्र० जैन : जी हां, जिसमें उन स्थितियों का उपबन्ध किया गया है, जिनके अधीन सम्पत्ति धारा १६ के अधीन लौटाई जा सकती है, मैं मुख्य-मुख्य उपबन्धों का उल्लेख करूंगा।

श्री चटर्जी ने इसके पश्चात् पूछा कि क्या जब तक धारा १५(ख) (२) के उपबन्धों की पूर्ति नहीं होगी ? क्या इन आवेदनपत्रों की अनुमति नहीं दी जायेगी ? माननीय मंत्री का उत्तर स्वीकारात्मक था।

इस विधेयक में संशोधन के द्वारा दो जांचें जो महाभिरक्षक को करनी थी हटाई जा रही हैं तथा एक जांच की व्यवस्था की जा रही है जो मेरे विचार से ठीक है। आज धारा १६ की क्या स्थिति है। इसके द्वारा यदि एक व्यक्ति पिटते-पिटते भाग जाता है तो दूसरे को पिटना चाहिये। मेरा निवेदन है कि एक समानता रखी जाये तथा किसी का पक्षपात न किया जाये।

परन्तु दूसरे विधेयक के द्वारा सरकार इस प्रकार की शक्ति अपने हाथों में ले रही है जो कि मनमानी करने को प्रोत्साहन देती है।

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक के खण्ड ६ में कहा गया है कि निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम की धारा १६ के अधीन दिये गये आवेदनपत्र के कारण यह निश्चित नहीं कि केन्द्रीय सरकार आवेदक को उस सम्पत्ति को अथवा उसके किसी भाग को केवल कब्जा होने के कारण दे दे। इसका यह अर्थ हो जाता है कि सरकार कितने ही कारणों से कार्यवाही कर सकती है। स्पष्टीकरण में भी प्रमाणपत्र खत्म कर दिये गये हैं। मेरी आपत्ति यह है कि धारा १६ के अधीन जब उचित व्यक्तियों को सम्पत्ति देने की व्यवस्था है, तब इस प्रकार के अधिकार, जिनसे सम्पत्ति जिसको सरकार चाहे दे, लेने उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप यह शब्द पढ़ें कि "कोई व्यक्ति आवेदनपत्र देता है।" क्योंकि कोई भी व्यक्ति आवेदन-पत्र देता है तभी सम्पत्ति दे दी जाती है। धारा १६ केअधीन प्रमाणपत्र आदि व्यर्थ हो जाते हैं तथा केवल अधिकार के द्वारा ही सरकार वह सम्पत्ति आवेदक को दे सकती है। यदि धारा १६ हटा दी गई तो जिसके लिये हम इतना विवाद करते रहे वह सब ऐसे ही समाप्त हो जाता है तथा केवल अधिकार के द्वारा ही सरकार जैसा चाहे वैसा कर सकती है। मैं नहीं समझता कि स्वामित्व पर ध्यान दिये बिना सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति को दे दीजिये कोई भी माननीय मंत्री ऐसा नहीं करेगा। किन्तु साथ ही मुझे इस प्रकार के उपबन्ध को पारित करना और सरकार को ऐसी शक्ति देना बुरा लगता है। ऐसी परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

जहां तक इस सभा की गरिमा का प्रश्न है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु प्रवर समिति में प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न को अलग उठा कर रख दिया गया है ।

मुझे हर्ष है कि माननीय मंत्री मुस्करा रहे हैं । मैं समझता हूं कि वह यह कहेंगे कि वह इस प्रकार की शक्ति नहीं चाहते हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं इसकी व्याख्या करूंगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह बात नहीं कि मैं इसकी व्याख्या नहीं जानता अपितु बात तो केवल यह है कि ये शब्द इसके उपयुक्त हैं अथवा नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को उत्तर मिलने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जहां तक शब्दों का सम्बन्ध है मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि केवल प्रार्थनापत्र देना होगा और सरकार उसे प्रमाणित कर देगी । निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति अधिनियम की धारा १६ तथा अन्य उपबन्ध व्यावहारिक रूप में निरसित हो जाते हैं ।

अब मैं एक दूसरी समस्या को लेता हूं । निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक के खण्ड १२(३) तथा तत्सम्बन्धी विधेयक के खण्ड ७ की धारा २१ में भी इसी प्रकार का उपबन्ध है कि भारतीय परिसीमन अधिनियम १९०८ के द्वारा अथवा कुछ समय के लिये लागू विधि के होते हुए भी कि इसकी वसूली मियाद से बाहर है, कुछ राशि अभिरक्षक को देय समझी जायेगी ।

उपर्युक्त दोनों मामलों में परिसीमन विधि का परिसमापन करने की चेष्टा की गई है । इसी प्रकार खड ७ के भाग (२) द्वारा जो धारा २१ के बारे में है, कार्यकारी पदाधिकारियों को शक्ति दी गई है ।

इन दोनों मामलों के बारे में मेरा विनम्र निवेदन यह है कि क्या परिसीमन विधि का कोई स्थान रहना चाहिये अथवा नहीं । यह सिद्धान्त का प्रश्न है । इस प्रकार की जटिल समस्याओं वाले विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये । व्यवहार न्यायालय तो अभी तक इन शक्तियों का प्रयोग करते रहे हैं । अब उनसे यह शक्ति लेकर कार्यकारी पदाधिकारियों को दी जा रही है । इस प्रकार की गम्भीर समस्या वाले विधेयक पर एक-दो घंटे में निर्णय न कर उन्हें प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रश्न अत्यधिक गम्भीर प्रकार के हैं । निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक के खण्ड ५ का उल्लेख माननीय मंत्री ने किया है जिसमें न्यासी का प्रश्न उत्पन्न होता है । लोकहित वाली तथा दान में दी गई बहुत-सी सार्वजनिक सम्पत्तियों का न्यासी कोई है ही नहीं और न कभी इसके बारे में कोई प्रश्न ही उठा । मैं इस बारे में माननीय मंत्री के कथन से सहमत हूं कि मस्जिद अथवा ऐसी सम्पत्तियों के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये । यदि हमारे मुसलमान मित्र इनका उपयोग नहीं कर सकते तो उन्हें चाहिये वे इनके नये अथवा सम्मिलित न्यासी नियुक्त कर दें जिससे उनका प्रबन्ध राष्ट्रीय हित में किया जा सके ।

मस्जिदों में स्कूल भी लगा करते हैं इस कारण उन्हें यों ही देख-रेख किये बिना छोड़ देना ठीक नहीं होगा । यह प्रश्न हिन्दुओं या मुसलमानों का न होकर राष्ट्रीय हित में इन इमारतों का प्रयोग करना है । कादियानी सम्पत्ति का प्रबन्ध उचित रूप से और भारत में किया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार अन्य स्थानों में भी मस्जिदों में स्कूल लगते हैं । इस कारण यहां भी उनमें स्कूल लगाये जा सकते हैं । पाकिस्तान में गुरुद्वारा और मन्दिरों आदि को सम्मिलित कर ३ करोड़ रुपये की सम्पत्ति इन न्यासों के रूप में छट गई है । इस बारे में मैं दूसरे विधेयक पर चर्चा करते समय प्रकाश डालूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जहां तक नये न्यासों का सम्बन्ध है मुझे स्पष्ट रूप से इस बारे में पता है कि माननीय मंत्री ने व्यवहार न्यायालय की शक्ति स्वयं ले ली है क्योंकि धारा ९२ के अधीन ऐसा करने में अधिक समय लगेगा और व्यय भी अधिक होगा। मैं इस बारे में चिन्तित अवश्य हूं कि जब तक "निष्क्रांत न्यासी के स्थान पर" नामक शब्द रहते हैं तब तक विधि प्रभावी नहीं होगा। अतः इस सारे मामले पर प्रवर समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिये।

जहां तक अपीलों पर पुनर्विचार करने की शक्ति का सम्बन्ध है, यह अच्छा है कि यह शक्ति वापस ली जा रही है क्योंकि अब पहले जैसा काम भी नहीं रह गया है। माननीय मंत्री ने बताया कि इसके परिणाम-स्वरूप १,६४,००,००० रुपये की सम्पत्ति लौटाई गई है। यदि मामलों में कड़ाई न बरती जाये अथवा अत्यधिक उदारता दिखाई जाये तो इससे भी अधिक की सम्पत्ति लौटाई जा सकती है। किन्तु इन मामलों में कड़ाई न बरतना उचित नहीं है। मेरे विचार से न्याय अवश्य किया जाना चाहिये। यदि सरकार इस मामले में कड़ाई नहीं बरतती और इसके गुणावगुणों पर विचार किये बिना इसके लिये दूसरों को उत्तर-दायी ठहराती है तो ऐसा करना उसकी ग़लती होगी। पहले ऐसा किया गया था और अब भी हो रहा है। दूसरे समुदाय में भी काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो नर्मी के बजाय न्याय और निष्पक्ष निर्णय चाहते हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : क्या आप धारा १६ का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं आपकी टिप्पणी और काम करने के सामान्य तरीके का उल्लेख कर रहा हूं। ९०,००० आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे जिनकी संख्या अब घटा कर २५,००० कर दी गई है।

जहां तक इस उपबन्ध का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री ने जिस तरीके से इसे निबटाया है वह उचित और न्यायपूर्ण नहीं है। मैं यह तो चाहता हूं कि श्री खन्ना सहानुभूतिपूर्ण ढंग अपनायें, किन्तु इस प्रकार नहीं कि जिससे मेरी धारणा यह बने कि इस समस्या पर विचार किये बिना ही सम्पत्तियों को लौटाया जा रहा है। मैं इस चीज़ को पसन्द नहीं करता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जो सम्पत्ति लौटाई नहीं गई है वह कितने मूल्य की थी ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : ९०,००० आवेदनपत्रों में से कितने स्वीकृत किये गये हैं। कितनी सम्पत्ति की मांग की गई थी और कितनी सम्पत्ति दी गई थी। मैं इन सब बातों के बारे में आंकड़े चाहता हूं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह जो ३०,००० आंकड़े बताये गये हैं वे तो धोखा देने वाले हैं। यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो जैसा कि मैं अपने मई, १९५५ के भाषण में बता चुका हूं धारा १६ के अधीन विचाराधीन मामलों की संख्या लगभग ९,००० थी। अब यह संख्या कम होकर लगभग ४,००० रह गई है। पिछले डेढ़ वर्षों में हमने ५,००० मामले निबटाये हैं। मई, १९५५ में आंकड़े देते समय मैंने अपने भाषण में कहा था कि इन मामलों की जांच करने के लिये ज़िला और सैशन जज के पद के तीन पदाधिकारी नियुक्त किये थे जो मेरे मंत्रालय में कार्य कर रहे हैं। अतः यह संख्या ३०,००० नहीं है। यह कुल संख्या ९,००० थी। ५,००० मामले निबटाये जा चुके हैं और लगभग ४,००० मामले हमारे पास विचाराधीन हैं। ये आंकड़े सितम्बर, १९५६ के हैं। हम प्रतिमास ५,००० आवेदनपत्र निबटाते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस प्रकार मैं समझता हूं कि धारा १६ के अधीन केवल ४,००० आवेदनपत्र अभी निबटाने को बाकी हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : ४,००० आवेदनपत्र अभी निबटाने को बाकी हैं। लगभग दो मास पूर्व सितम्बर, १९५६ में यह संख्या थी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ९०,००० में से अवशिष्ट अर्थात् २५;००० आवेदनपत्र उन मामलों के बारे में हैं, जो अभिरक्षक के पास विचाराधीन थे ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : वे न्याय सम्बन्धी मामले थे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : प्रमाणपत्र मिल जाने पर अभिरक्षकों ने उनकी जांच करवाई थी । यह बात तो मेरी समझ में आई किन्तु ९०,००० और २५,००० की बात मैं नहीं समझ सका । मैं यह नहीं समझ पाता कि मेरे माननीय मित्र यह कैसे कहते हैं कि केवल ४,००० आवेदनपत्र निबटाने को शेष रह गये हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : धारा १६ के अधीन ९,००० आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे । हमारे पास कुल ९०,००० मामले निबटाने को थे । लगभग २५,००० अभी भी निबटाने को बाकी हैं । जिन मामलों पर न्याय-निर्णयन किया गया है उनमें से धारा १६ के अधीन केवल ९,००० आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे । आवेदनपत्र हमारे मंत्रालय में प्राप्त हुए थे । इनमें से हमने लगभग ५,००० मामले निबटा दिये हैं ।

यदि मैं सभा को कुछ और आंकड़े बताता तो शायद इस पर कुछ और प्रकाश पड़ता । ५,००० मामलों में से जिनको मैं अभी बता चुका हूं, धारा १६ के अधीन ३,१७६ आवेदनपत्र रद्द कर दिये गये हैं । केवल १,७९९ आवेदन स्वीकार किये गये हैं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं तो अपीलों के बारे में कह रहा था । अपील कोई ठोस अधिकार नहीं होता । यह तो प्रक्रिया की चीज़ है । इस बारे में सामान्य नियम यह है कि किसी भी प्रक्रिया के बारे में कोई विधि पारित होते ही तुरत लागू हो जाती है ।

विधेयक के खण्ड १५ में इस बात का उपबन्ध है कि अपील की प्रक्रिया तत्काल लागू होगी । यदि इस नियम में कोई परिवर्तन करना न्यायोचित है तो वह विचाराधीन अपीलों में भी लागू किया जाना चाहिये । उन अपीलों में भी इस परिवर्तन को लागू करने से कोई हानि नहीं होगी ।

खण्ड ४ में सिफारिश की गई है कि धारा १० (२) के कुछ उपखण्डों को निकाल दिया जाना चाहिये । इस बारे में मेरा विनम्र निवेदन है कि जांच के कारण ये उपबन्ध अभी रहने देना चाहिये । शक्तियां वापस ली जा सकती हैं किन्तु विचाराधीन मामलों की जांच करने के लिये इन खण्डों का रहने देना आवश्यक है । अतः यदि इन मामलों का उचित निबटारा करना है तो इन खण्डों द्वारा दी गई शक्तियां वापस नहीं ली जानी चाहियें ।

खण्ड १२ के बारे में मुझे यह कहना है कि परिसीमन विधि को वापस ले लेना बड़ा ग़लत काम होगा । इसका होना बड़ा अनिवार्य है । उच्च न्यायालय के बहुत से विनिर्णयों में यह कहा गया है कि एक बार परिसीमन की अवधि निकल जाने के बाद द्वितीय पक्ष को एक महत्वपूर्ण अधिकार मिल जाता है । इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । इस प्रकार न्याय और व्यवस्था के निश्चित सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया जाना चाहिये । उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में, आप जानते ही हैं कि व्यवहार न्यायालय जनता के अधिकारों के निर्णायक हैं । कार्यकारी पदाधिकारी को न्यायाधीश के अधिकार दे देना उचित नहीं है । ऐसा करना संविधान के प्रतिकूल होगा । इसका निर्णय प्रवर समिति के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं किया जा सकता । यहां बैठ कर इस विधेयक के सारे उपबन्धों के साथ हम न्याय नहीं कर सकेंगे ।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इन नियमों के होते हुए भी इस प्रकार के सभी मामलों को प्रवर समिति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता कि बेचारे शरणार्थियों के साथ

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ऐसे नियम के बारे में विपरीत व्यवहार क्यों किया जाता है । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इन दो विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के बारे में सहमत हो जायें । इस बारे में प्रवर समिति सहायक सिद्ध होगी और वह स्वयं इसमें सम्मिलित होकर इन उपबन्धों के औचित्य के कारण बता सकते हैं । माननीय सदस्य उनको सहयोग देंगे बशर्ते कि वह उन्हें अपने तर्कों के बारे में राज़ी कर लें ।

सभा में एक बड़ी बुरी प्रथा यह चल रही है कि विधेयक में एक अर्द्ध-विराम तक को बदलने से मंत्री लोग यह समझने लगते हैं कि यह चीज़ गलत है जो नहीं होनी चाहिये । मेरे विचार से उनका ऐसा सोचना ठीक नहीं है । विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने पर उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं कह चुका हूं कि प्रतिवेदन १ दिसम्बर तक उपलब्ध हो जायेगा । हमें ऐसी निष्पक्ष, उचित और अच्छी विधि बनानी चाहिये जिसके द्वारा सभी पक्षों के साथ न्याय किया जा सके ।

इन दो खण्डों के अतिरिक्त इन दो विधेयकों में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिन पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । मैं तो कहता हूं कि दूसरे विधेयक में बहुत से ऐसे उपबन्ध हैं जिन पर प्रवर समिति में गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । ये दो विधेयक हैं जिन पर एक ही समिति विचार कर सकती हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस बारे में माननीय मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ? अभी स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिये अन्यथा संशोधनों के समय कर्ी नाई उत्पन्न होगी । क्या माननीय सदस्य पण्डित ठाकुर दास भार्गव के प्रस्ताव से सहमत हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या जिन अन्य सदस्यों के नाम प्रस्ताव के सम्बन्ध में दे दिये गये हैं उनकी राय ले ली गई है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं उन लोगों के नाम पूछ लूंगा जो समिति में रहने के लिये तैयार नहीं होंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री सहमत नहीं हैं । मैं समझता हूं कि दूस सदस्य की राय ले ली गई है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि मंत्री तैयार न हुए तो उनके नाम काट दिये जायेंगे । इसके तो माने यह हुए कि यदि मंत्री न चाहें तो सभा के कथन पर प्रवर समिति बन ी नहीं सकती । स्थिति ऐसी नहीं है । यदि प्रार्थना की जाये तो कोई कारण नहीं कि मंत्री उसे स्वीकार न करें क्योंकि यह उन्हीं लोगों के लाभ के लिये बनती है जो इस विधेयक से प्रभावित होते हैं ।

यदि मंत्री महोदय मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहते तो मैं चाहता हूं कि एक पहलू पर आप विचार करें । मैंने अपने १५ संशोधन विलम्ब से इस कारण दिये कि कल और परसों छुट्टी थी । यदि यह विधेयक प्रवर समिति को नहीं सौंपा जाता तो मैं निवेदन करूंगा कि मुझे संशोधन प्रस्तुत करने में कुछ छूट दी जाये । अन्यथा ये विधेयक चर्चा किये बिना ही पारित हो जायेंगे और माननीय सदस्यों के संशोधन इसमें नहीं किये जा सकेंगे । विधेयकों को पहले से पढ़कर याद रख पाना बड़ा कठिन होता है । मैंने इन दोनों विधेयकों में १९५४ में दिये गये भाषणों को पढ़कर बड़े परिश्रम से ये संशोधन तैयार किये हैं । यदि ऐसा है तो फिर संशोधन किये भी नहीं जा सकते । आप इस पर भी विचार कर लें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य की कठिनाइयों को समझता हूं किन्तु सामान्यतः उन्हीं संशोधनों की सूचना में छट दी जाती है जो सरकार स्वीकार करना चाहती है। फिर भी मैं इस पर पूर्ण-रूपेण विचार करूंगा। स बीच में उनके संशोधनों को सभा के सम्मुख रख रहा हूं।

यह संशोधन पहले ही पढ़ा जा चुका है कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये और क्या मैं यह समझूं कि मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य लोगों ने अपनी राय दे दी है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : नियम यह है कि राय पहले प्राप्त कर ली जानी चाहिये। इस बारे में बड़ा स्पष्ट नियम है। जब तक कि उसमें सम्मिलित किये गये किसी सदस्य को आपत्ति न हो तब तक मैं तो यह समझता हूं कि उसने अपनी राय दे दी है।

राय कभी ली नहीं जाती। सभा की इच्छा के अनुसार उनसे पूछ लिया जाना चाहिये। यदि हम उन सदस्यों से प्रार्थना करें तो वे अवश्य समिति के कार्य में हमारी सहायता करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : स्थिति क्या होगी यह कह सकना कठिन है। जहां तक नाम सम्मिलित करने का सम्बन्ध है, जब तक कि सदस्य सहमत न हो जाय तब तक मैं उसका नाम सूची में कैसे सम्मिलित कर सकता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वह यह तो नहीं कहते कि वह एक सदस्य की हैसियत से काम नहीं करेंगे। मंत्री के नाते वह प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं हैं। एक सदस्य की हैसियत से वह काम करने के लिये सहमत हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि उनका नाम सूची में सम्मिलित किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं इस संशोधन पर यह कहना चाहता हूं कि विधेयक एसे अधिनियम के संशोधन के सम्बन्ध में है जिसके उपबन्धों का उन्हीं सदस्यों को ज्ञान है जिन का इससे सम्बन्ध है। इसलिये इस सम्बन्ध में राय व्यक्त करना बड़ा कठिन है। विधि विज्ञान की दृष्टि से परिसीमन अधिनियम ठोस विधि है, सम्भव है कि ऐसी परिस्थितियां हों कि परिसीमन विधि और विधि के प्रवर्त्तन का काम न्यायालयों से ले लेने का औचित्य हो। यह भी ठीक है कि सरकार ने बड़े सोच विचार के बाद यह विधेयक रखा है। परन्तु जब पण्डित ठाकुर दास भार्गव जैसे प्रतिष्ठित सदस्य यह कहते हैं कि इस विधेयक के उपबन्धों पर प्रवर समिति द्वार विचार किया जाना चाहिये तो यह समझना कठिन है कि माननीय मंत्री इस में आपत्ति क्यों कर रहे हैं। आशा है कि माननीय मंत्री अन्य सदस्यों की कठिनाई को समझेंगे और प्रवर समिति को यह विधेयक सौंपने के सम्बन्ध में पण्डित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम में सरकारी संशोधनों के सम्बन्ध में १९५२ से जो भी महत्वपूर्ण घटनायें हुईं उनका उल्लेख माननीय मंत्री ने अपने भाषण में किया। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान अपना निष्क्राम्य संपत्ति अधिनियम रद्द करने या ढीला करने के विषय में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। मैं उनसे सहमत हूं कि पाकिस्तान सरकार का यह कार्य निन्दनीय है। आशा है कि वह यह अधिनियम रद्द करने की दिशा में शीघ्र ही कोई कार्यवाही करेगी।

माननीय मंत्री ने बताया है कि १९५४ का संशोधन पारित होने के बाद उन्होंने सामान्य नीति सम्बन्धी आदेश जारी किये हैं कि अधिक सहानुभूति तथा विशाल दृष्टिकोण की भावना से मामले निबटाये

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मुहीउद्दीन]

जाने चाहियें । अधिनियम की धारा १६ के अधीन उन्हें ९,००० आवेदनपत्र प्राप्त हैं जिनमें ३,१७० आवेदनपत्र अस्वीकृत और १,१०० स्वीकृत किये गये थे और १६४ लाख रुपये की सम्पत्ति वापस दिलाई गई । मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव का यह कथन सुनकर, कि मामले अधिक सहानुभूति तथा विशाल दृष्टिकोण की भावना से निबटाने की मंत्री महोदय की नीति ठीक नहीं है, आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका आग्रह किया कि विधि उचित रूप से और न्याय्य रूप से लागू की जानी चाहिये। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने इस सभा में कई बार यह कहा कि यह निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम विधिहीन विधि है । दुर्भाग्यवश यह अधिनियम असाधारण परिस्थितियों में लागू हुआ था और उन परिस्थितियों ने ही सरकार को कुछ कार्यवाही करने के लिये बाध्य किया। मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री तथा भारसाधक मंत्री को उन लोगों के प्रति पूरी सहानुभूति है जिन्होंने कुछ प्रविधिक आधार पर इस अधिनियम के अधीन अपराध किये हैं और जिनकी सम्पत्ति छीन ली गई है । मुझे विश्वास है कि सभा के समक्ष प्रस्तुत इस संशोधन से बाकी मामले यथाशीघ्र निबटाये जायेंगे और भारत की संविधिपुस्तक से यह कलंक रूप अधिनियम यथाशीघ्र हटा दिया जायगा जिससे हम यह बिलकुल भूल जायें कि यह गैर-कानूनी अधिनियम किस प्रकार बना था ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : ठीक-ठीक आंकड़े यह हैं कि ३,१७६ आवेदनपत्रों में से १,१९९ आवेदनपत्र स्वीकार किये गये थे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मामले में सम्पत्ति वापस दिलायी जाये, यदि वह न्यायोचित हो । मैं किसी के साथ नरमी या अन्याय नहीं चाहता ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : पंडित ठाकुर दास भार्गव चाहते हैं कि यह विधि सख्ती से लागू की जाये। इसका सीधा मतलब यह है कि वह विधि केवल शब्दों के अनुसार, न कि उसके अन्तर्गत वास्तविक भावना से, लागू किया जाये । उसके शब्दों के सम्बन्ध में, मैं पहले बता चुका हूं कि यह विधि असाधारण परिस्थितियों में अधिनियमित की गई थी और जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया, वह एक गैर-कानूनी विधि है । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि यह सम्पत्ति न्यायोचित आधार पर भारतीयों को वापस दिलायी गई है, किन्तु पाकिस्तानियों को नहीं ।

माननीय मंत्री की इस घोषणा पर कि १६४ लाख रुपये की सम्पत्ति यथार्थ स्वामियों को वापस दिलायी गई है, कुछ सदस्यों की यह धारणा हुई कि उस हद तक विस्थापित व्यक्तियों को उस सम्पत्ति से वंचित किया गया है । कम से कम भारत में वह निष्क्राम्य सम्पत्ति से अलग है । निष्क्राम्य सम्पत्ति चाहे जिस मूल्य की हो, मुझे विश्वास है कि सरकार विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था करेगी । मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस गलत धारणा को दूर करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई धारणा न हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने पाकिस्तान गये लोगों द्वारा भारत में छोड़ी गई ववफ़ सम्पत्ति या ट्रस्ट सम्पत्ति के लिये सरकार द्वारा ट्रस्टियों की नियुक्ति के बारे में कुछ कहा है। मैं उस उपबन्ध का स्वागत करता हूं और विश्वास है कि सभा भी उसका स्वागत करेगी । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह भी कहा था कि स्कूल और मदरसों के तौर पर काम में लायी जाने वाली इमारतों का भी उपयोग किया जाना चाहिये । मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है । आशा है कि उन्हें काम में लाया जायगा और ववफ़ सम्पत्ति ट्रस्ट की शर्तों के अनुसार जनता के सर्वोत्कृष्ट हित में काम में लायी जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (ज़िला **फर्रुखाबाद**—उत्तर) : मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में, सर्वप्रथम धारा २४ में प्रस्तावित संशोधन के बारे में कहना है । वर्तमान विधि के अनुसार, सहायक या उप अभिरक्षक

---

†मूल अंग्रेजी में ।

द्वारा निर्णीत मामलों की अपील अभिरक्षक के पास भेजी जाती है । अब इस संशोधन से अभिरक्षक को अपील का अधिकार केवल २,००० रुपये से कम की सम्पत्ति के लिये ही सीमित रहेगा । परिणाम यह होगा कि २,००० रुपये से अधिक सम्पत्ति की सभी अपीलें महा अभिरक्षक के पास भेजनी पड़ेंगी । मेरा निवेदन है कि इससे दिल्ली से दूर रहने वाले लोगों को बड़ी कठिनाई होगी और सभी अपीलकर्ताओं को ऐसे खर्च करने पड़ेंगे जो मेरी राय में उचित नहीं हैं । आशा है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न पर विचार करेंगे और सम्बन्धित राज्यों में ही अपीलों की सुनवाई की कोई व्यवस्था करेंगे ।

एक ऐसा भी उपबन्ध दिखायी पड़ता है जिससे परिसीमन अधिनियम की धारा ५ रद्द कर दी जाएगी। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि निष्क्राम्य सम्पत्ति विधान के अधीन नियम ३१, जिससे धारायें ४, ५ और १२ लागू होती हैं, लागू होता रहेगा और जिस न्यायालय में अपीलें पड़ी होंगी, वह उन्हें लागू करता रहेगा ।

दूसरी बात यह है कि यह विधि निष्क्रमणार्थी में निहित सम्पत्ति की व्यवस्था के सम्बन्ध में है और इसलिये परिसीमन अधिनियम उस अवधि के सम्बन्ध में जिसके पूर्व कोई सम्पत्ति निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की गई थी, रद्द नहीं किया जाना चाहिये । किसी सम्पत्ति के निष्क्राम्य संपत्ति घोषित होने के पूर्व यदि निष्क्रमणार्थी का बकाया वसूल करने का अधिकार समाप्त हो गया हो, तो इसमें कोई तुक नहीं है कि अभिरक्षक या महाअभिरक्षक को पुनः वह अधिकार दिया जाय । मैं इस कठिनाई की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और आशा है कि माननीय मंत्री इस पर भी विचार करेंगे ।

तीसरी बात ट्रस्टियों की नियुक्ति के बारे में है । ट्रस्टियों की नियुक्ति जिला न्यायाधीश करते हैं । मेरे विचार से, न्यास देने वाले द्वारा ट्रस्टियों पर लागू की गई शर्तों के सम्बन्ध में न्यास में विधि के पेचीदा प्रश्न होते हैं और कभी-कभी वे शर्तें ऐसी होती हैं कि कार्यपालिका साधारणतया उनका निश्चय नहीं कर सकती । जो प्रक्रिया रखी जाने वाली है, यद्यपि वह अधिक सरल हो सकती है फिर भी वह सम्भवतः ठीक न हो और इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस विषय पर विचार करें और ध्यान दें कि इसके बाद भी ज़िला न्यायाधीश या अन्य प्राधिकारी जो अब तक ट्रस्टियों को नियुक्त करता रहा, उन्हें नियुक्त करता रहे ।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : मैं श्री मुहीउद्दीन से सहमत हूं कि यह बिल विधिहीन है किन्तु वह असाधारण परिस्थितियों के कारण ही, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नही था, पारित की गई थी । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और प्रतिकर से है । जब हमने पाकिस्तान में चली गई सम्पत्ति के लिये प्रतिकर की मांग की, तब हमने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि सरकार चाहे स्वतन्त्रता कर या और कोई कर लगाये या अन्य कोई साधनों का आश्रय ले किन्तु हमें प्रतिकर अवश्य दिया जाना चाहिये । हमने यह कभी मांग नहीं की कि निष्क्राम्य विधि पुरःस्थापित की जाये या मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति हमें दी जाये । पहले सरकार उस ढंग की किसी प्रस्थापना से सहमत न हुई किन्तु आखिर में, यह प्रतिकर अधिनियम पारित हो जाने के बाद उसने कहा कि मुसलमानों द्वारा भारत में छोड़ी सम्पत्ति प्रतिकर पुंज का मुख्य भाग होगी । आज सरकारी योजना के अनुसार, उस पूंज में १८५ करोड़ रुपये हैं जिसमें १०० करोड़ रुपये की वह सम्पत्ति है जो मुसलमान भारत में छोड़ गये हैं । अतः सरकार से मिलने वाला प्रतिकर मुख्यतः निष्क्राम्य सम्पत्ति है । यदि सरकार यह घोषणा कर दे कि निष्क्राम्य सम्पत्ति के मूल्य के बावजद वह हमें प्रतिकर देगी, तब तो किसी को भी चिन्ता न होगी मोटे तौर पर हिसाब लगाया गया है कि मुसलमानों ने भारत में १०० करोड़ रुपये की सम्पत्ति छोड़ी है । यदि वह सम्पत्ति दिन प्रति दिन कम होती जाये तो अवश्य ही हमें चिन्ता होती है

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री गिडवानी]

क्योंकि प्रत्येक धारा का उस प्रतिकर पर प्रभाव पड़ता है जो हमें मिलने वाला है। अतः इस स्पष्ट तथ्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

मैं श्री मुहीउद्दीन से या किसी अन्य सदस्य से इस बात में भी सहमत हूं कि कोई भी यथार्थ स्वामी भारत में अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। यदि श्री मुहीउद्दीन को गलती से निष्क्रमणार्थी घोषित किया गया हो, जब कि वह एक भारतीय राष्ट्रजन हैं, तो वह गलती ठीक की जानी चाहिये। इस बात से कि सम्पत्ति वापस दिवाने के ३,००० मामलों में से १,००० मंजूर किये गये हैं और बाकी सब अस्वीकार किये गये हैं। यह दिखाई पड़ता है कि इतनी उदार नीति के बावजूद सरकार को यह मालूम हुआ है कि ऐसे अनेक लोग हैं जो वास्तव में दावेदार नहीं हैं। अतः हमें यह आशंका है कि अधिकतर किसी प्रकार के दबाव के कारण कुछ सम्पत्तियां उन लोगों को दी जायेंगी जो वास्तव में दावेदार नहीं हैं। मैं सिद्ध तो नहीं कर सकता किन्तु मैं जानता हूं कि किस प्रकार से दबाव डाले जाते हैं। इसी कारण पंडित ठाकुर दास भार्गव ने मांग की है कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिससे कि ऐसे सभी दोष दूर हो जायें।

श्री मेहर चन्द खन्ना ने अपने वक्तव्य में बताया कि कुछ अनधिकृत व्यक्तियों को भी सम्पत्ति दी गई है और उन्हें अब वंचित न किया जायेगा। वे निश्चय ही यथार्थ स्वामी हैं और अब उनके अनधिकृत कब्ज़े को वैध भी कर दिया गया है और उन्हें उसे सम्पत्ति से वंचित न किया जायेगा, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान इसी कारण इन उपबन्धों में परिवर्तन करना आवश्यक है और इसीलिये पंडित ठाकुर दास भार्गव ने मांग की थी कि हमें एक साथ बैठ कर विचार करने की अनुमति दी जाये।

इस बात पर हम सभी सहमत हैं कि यह निष्क्राम्य विधि समाप्त हो जाये, सभी शेष मामले यथाशीघ्र निबटा दिये जायें और निष्क्राम्य सम्पत्ति प्रशासन की सारी संस्थापना भंग कर दी जाये। किन्तु इसके पहले हम इस ओर ध्यान दें कि किसी अवैध स्वामी को उससे अनुचित लाभ न हो। अन्यथा, विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिकर पुंज पर उस हद तक बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अब इस प्रश्न का दूसरा पहलू उन मामलों का है जो अब तक निबटाये नहीं गये हैं। मैं नहीं जानता कि अब भी ऐसे कितने मामले हैं किन्तु मेरी यह धारणा है कि जब तक उत्साही युवकों को यह काम न सौंपा जायेगा तब तक मामलों का निबटारा उतने शीघ्र न होगा जितनी कि आशा की जाती है।

अन्त में श्री मेहर चन्द खन्ना से मेरी अपील है कि प्रवर समिति की नियुक्ति से कोई हानि न होगी। श्री मुहीउद्दीन उस समिति में रखे जा सकते हैं ताकि हम सभी एक साथ बैठ कर इस ओर ध्यान दें कि विस्थापितों के वैध हितों को कोई हानि न पहुंचे और साथ ही कोई यथार्थ दावेदार अपने अधिकारों से वंचित न किया जाये।

लाला अचिन्त राम (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आपके सामने अमेंडिंग बिल (संशोधन कारी विधेयक) लाया गया है उसकी बड़ी गरज व मकसद यह मालूम होती है कि रिफ्यूजीज को जल्दी से जल्दी कम्पेंसेशन (क्षति पूर्त्ति) दिया जाये। मामला जल्दी तय हो। लेकिन इसके लिये पंडित ठाकुर दास जी ने सेलेक्ट कमेटी का प्रपोजल दिया है। मैं समझता हूं कि इस प्रपोजल की हिमायत हमारे और दोस्तों ने भी की है। मेरा ख्याल है कि खास तौर पर जब कि इसमें सिर्फ दो दिन की ही मोहलत मांगी गई है, पहली दिसम्बर को कमेटी की रिपोर्ट हो जायेगी, तो ऐसी कौन-सी मुश्किल बात है। अगर हम खन्ना साहब से यह कहें कि ५० करोड़ रुपये दिलवाइये और वह यह कहें कि उनके बस की बात नहीं है, तो बात दूसरी है। लेकिन दो दिन की मोहलत देना कोई ऐसी बात नहीं है, जो कि उनके बस की न हो। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस में प्रधान मंत्री या गवर्नमेंट को बैठ कर फैसला करना हो।

आज सेलेक्ट कमेटी की जरूरत किस वास्ते है ? आज यह अमेंडिंग बिल लाया जाता है कि रिओपेनिंग (पुनः चालू करना) बन्द की जाये, रिवीजन (प्रतिवाद), बन्द किया जाये। यह जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, वह इस गरज से कि गलत पेमेंट (भुगतान) न हो। हो सकता है कि लीगल डिपार्टमेंट (विधि विभाग) ने कोई गलती की हो। या हो सकता है कि हमसे ही कोई गलती हुई हो। अगर उन गलतियों के ठीक करने के लिये दो दिन आप दे देते हैं तो कौन-सी भारी बात है ? इस वास्ते मैं हाउस और मिनिस्टर साहब से यह दर्खवास्त करूंगा कि वह इस डिमांड को मान लें। वह घाटे में न रहेंगे, वह लाभ में रहेंगे । बैठकर बातचीत करने और कोई बातें रह गई हों तो उनको बेहतर बनाने के लिये यह दो दिन का वक्त बढ़ रहा है। उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है ।

इसके बाद मैं, एक-दो बातें और अर्ज करना चाहता हूं । एक मेरा पर्सनल एक्सपीरिएंस (व्यक्तिगत अनुभव) है, मुझे **सेपरेशन आफ इवैक्वी प्रापर्टी** (निष्क्राम्य सम्पत्ति को अलग करना) के बारे में मालूम है, उस से मेरा वास्ता पड़ चुका है। एक वर्ष हो गया, दो वर्ष हो गये, तीन-चार वर्ष हो गये, केसेज पेंडिंग (मामले लंबित) पड़े हुए हैं। आखिर कोई लिमिट (सीमा) भी तो होनी चाहिये कि सेपरेशन के ऊपर इतने दिन लगने चाहिये, कुछ मालूम तो हो कि इस पर तीन-चार या छः महीने लगेंगे। मैं कहूंगा कि इस तरह तवज्जह दी जाये कि पेमेंट (भुगतान) जल्दी हो।

खन्ना साहब यहां थे नहीं, अब तशरीफ लाये हैं, मैं बता दूं कि मैंने कहा था कि जो सेलेक्ट कमेटी की मांग की गई है, वह कोई बड़ी भारी बात नहीं है, अगर उसको आप दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा । ऐसी बात कोई नहीं है कि इसमें करोड़ों रुपये खर्च हो जायेंगे, न इसमें कोई इज्जत का ही सवाल है। अगर सरकार इसको मान लेगी तो इसमें उसकी कोई हतक नहीं हो जायेगी। आपको फायदा ही होगा। फिर कोई महीने दो महीने तो बढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ दो दिन के लिये तारीख बढ़ रही है।

दूसरी बात मैंने यह कही कि जो **सेपरेशन आफ इवैक्वी प्रापर्टी** का सवाल है उसमें मेरा जाती तुजुर्बा है कि वह **अन्निसेसरीली** (अनावश्यक) लम्बा हो जाता है। तारीख पर तारीख पड़ती है और उससे रफ्यूजीज का भी नुक्सान होता है और पार्टी कंसर्न्ड (सम्बन्धित दल) को भी, उनका खर्च हो रहा है ।

दूसरी बात यह है कि दूसरा बिल जो आ रहा है उसमें जो प्राविजन (उपबन्ध) किया गया है वह उस प्रापर्टी (सम्पत्ति) के बार में है जो कि रेस्टोरेबल (दिलायी जा सकती) हैं और एलाट हो गई हैं। उनके लिये कोशिश की गई है कि केश कम्पेंसेशन (नकद क्षतिपूर्त्ति) मिल सके। इस चीज को लेकर जरा मुश्किल हो रही थी, लेकिन खुशी की बात है कि सरकार इस चीज को ले आई। मैं कहता हूं कि पंजाब के अन्दर ऐसी प्रापर्टी हैं। हजारों गांव हैं जहां पर मस्जिदें हैं हालांकि वहां पर कोई मुसलमान नहीं है। बल्कि वहां पर दस, बीस, पचास या सौ वर्ष तक उनके आने की सम्भावना भी नहीं मालूम पड़ती। मैं नहीं समझता कि क्यों गवर्नमेंट उनको अपने हाथ में नहीं ले लेती और जहां पर ऐसी मस्जिदें हैं उनके लिये ऐसा कानून नहीं लाती कि उनका ऐडमिनिस्ट्रेशन (व्यवस्था) गांव की पंचायत पर छोड़ दिया जाये । उस गांव की पंचायत जैसा चाहे वैसा उपयोग करे। स्कूल हो तो उसको वहां पर चलाये या गुरुद्वारा बना दे। बड़े सन्तोष की बात होगी। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई ऐसी जगहें पाकिस्तान में हों तो उनका भी इस तरह से सही इस्तेमाल हो। खुदा का घर वह भी है। मुझे तो कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता। आप क्यों शाई फील करते (शर्मिन्दा होते) हैं ? आप करेज (साहस) अपने हाथ में लीजिये । वह भी घर खुदा का है और यह भी घर खुदा का है। आप सिर्फ गांव की पंचायत पर इसको छोड़ दीजिये कि वह जैसे चाहे उसका

[लाला अचिन्त राम]

इस्तेमाल करे। मैं समझता हूं कि उनका खाली पड़ा रहना बेमानी है। मैं जानता हूं कि हमारे गांवों के अन्दर इस तरह से उनका मेंटनेंस (बनाये रखना) मुश्किल है। अगर उसको पंचायत के हाथ में छोड़ दिया जाये तो यह इमारत के हक में ही होगा। जिन्होंने मस्जिद बनाया है, उनके खुद इंटरेस्ट (हित में) है कि उनकी बनवाई हुई इमारत ठीक रहे। इस वास्ते आपको हिम्मत करनी चाहिये, और विधि बनानी चाहिये ।

†**एक माननीय सदस्य** : आप यह कहते हैं ?

†**लाला अचिन्त राम** : जी हां, मैं ऐसा कहता हूं ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मस्जिद का गुरुद्वारा बना दिया जाये ?

लाला अचिन्त राम : जी हां, मैं कहता हूं कि जिस गांव के अन्दर मसजिद है, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, पचास मील इर्द गिर्द मुसलमान नहीं है, तो आप उसको जरूर बदल सकते हैं। मैं स्कूल, मन्दिर और गुरुद्वारा के लिये भी कहता हूं, मस्जिद और दरगाह के लिये भी कहता हूं। अगर ऐसी कोई जगह पाकिस्तान में हो तो वहां भी ऐसा ही हो सकता है। इमारत के बनाने वाले का जो मकसद है कि इमारत में इबादत (पूजा) हो उसको पूरा करना चाहिये। हमें तो खुश होना चाहिये कि हमारे मन्दिरों को पाकिस्तान ने मस्जिद बना दिया है और मुसलमान वहां पांच दफा नमाज पढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है। आपको हिम्मत करनी चाहिये। यहां पर मस्जिदों और दरगाहों का मेंटनेंस और ठीक यूज (उपयोग) भी इसी तरह से हो सकता है कि वहां पर स्कूल खुल जाये, ग्रंथ साहब का पाठ हो, गीता का पाठ हो, जैसे महात्मा गांधी प्रार्थना करते थे, आयतें पढ़ते थे । गरज यह है कि इबादगाह की इस्तेमाल हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन (व्यवस्था) सही तौर पर चलाया जाये । इसके लिये जब वक्त आयेगा तब मैं बोलूंगा। इस वक्त तो मैं यही दख्वास्त करूंगा कि इस वक्त पंडित ठाकुर दास भार्गव का और कोई मकसद नहीं है सिवा इसके पेमेंट (भुगतान) जल्दी हो। इस बिल में इसका दरवाजा बन्द है। अगर इस चीज को मान लेनें से पहली दिसम्बर से २ दिसम्बर होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आप सच्चे दिल से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं नुक्ताचीनी करने से रुकने वाला नहीं हूं, यहां जितने मिनिस्टर आते रहे हैं, सबकी करता रहा हूं। यहां पर सिर्फ दो दिन की बात है इसलिये इसको कबूल कीजिये तो कोई हर्ज नहीं है। कुछ गेन (फायदा) ही होगा, आप घाटे में न रहेंगे ।

†**श्री नी० बि० चौधरी** (घाटल) : मैं यह नितान्त आवश्यक समझता हूं कि निष्क्राम्य सम्पत्ति व्यवस्था के विषय पर विशाल दृष्टिकोण से, जो हमारी राष्ट्रीय गरिमा के अनुरूप हो, विचार करना चाहिये। हम जानते हैं कि इस विषय का सम्बन्ध पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर देने से है। हम समझते हैं कि कुछ भारतीय राष्ट्रजनों के साथ अन्याय किया गया है। हमारे सामने ऐसे मामले आये हैं कि जब लोग इस देश से बाहर भी नहीं गये बल्कि किसी दूर स्थान में चले गये हैं, फिर भी उनकी सम्पत्तियां, निष्क्राम्य सम्पत्तियां घोषित की गयीं। इस कारण कुछ भारत के मुसलमानों को बड़ी कठिनाई हुई है। इस ओर ध्यान देना भारत सरकार का परम कर्त्तव्य है कि पुनर्वास कार्य में किसी तरह की शिथिलता न आये। इसी प्रकार हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि भारतीय राष्ट्रजनों के प्रति कोई अन्याय न हो ।

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार कुछ मामलों के निबटारे के लिये प्रक्रिया सरल बनाये। हमें यह विश्वास होना चाहिये कि भारत सरकार राज्यों से या अभिरक्षक से जो शक्ति अपने हाथ में

---

†मूल अंग्रेजी में ।

लेना चाहती है उसका उचित उपयोग किया जायेगा। अभी तक निष्क्राम्य सम्पत्ति विधि का प्रवर्तन संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया है। विवादों के निबटारे में काफी देर हुई है और कई शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। अतः जब भारत सरकार इस संशोधन द्वारा अपने हाथ में शक्ति लेना चाहती है, हम यह देखना चाहिते हैं कि मामले शीघ्र निबटाये जायें और हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई बात न की जाये।

†**पंडित च० ना० मालवीय** (रायसेन) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। समय इतना अधिक नहीं है कि यह संशोधन अस्वीकार करने के लिये माननीय मंत्री के पास कोई उचित आधार हों और आशा है कि वे इस संशोधन से सहमत होंगे। जब हम एक महत्वपूर्ण विषय का विचार कर रहे हैं और ऐसी प्रक्रिया बना रहे हैं जिससे मामले शीघ्र निबटाये जायें, शांति से विचार करने की आवश्यकता है।

लाला अचिन्त राम ने मस्जिदों को मंदिरों में बदल देने की बात कही थी किन्तु उसकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए मैं उस बात को स्वीकार करना ठीक नहीं समझता। हमें ऐसे रास्ते और तरीके ढूंढ निकालने चाहियें, जिससे हमें उन जगहों को उस जाति की सद्भावना और सहयोग से काम में ला सकें। मै पाकिस्तान सरकार को यह नहीं कहूंगा कि वह मंदिरों की मस्जिदें बना दें क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया उन पर भी होगी हम हाल के आन्दोलनों को न भूल जायें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मस्जिदों को मंदिरों में बदलने का प्रश्न इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न केवल न्यासघरों की नियुक्ति का है। अतः हम असंगत बातें कह रहे हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि माननीय मंत्री या सरकार ने सुझाव दिया है कि मस्जिद मंदिर में बदल दिया जाये ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसा किसी ने नहीं कहा है। मैं समझता हूं कि लाला अचिन्त राम ने यह सुझाव दिया था कि ट्रस्टी इस बात की ओर ध्यान दें कि जनता उन स्थानों का कोई न कोई उपयोग करे और वे यों ही न पड़े रहें। उनका यह कहना नहीं था कि मंदिरों को मस्जिदों और मस्जिदों को मंदिरों में बदल दिया जाये।

†**पंडित च० ना० मालवीय** : मैं अपनी गलती मान लेता हूं। किन्तु इस तरह का प्रस्ताव बहुत खतरनाक है क्योंकि परिस्थितियां बहुत खराब हैं। अभी उसके लिये समय नहीं आया है। अन्त में मैं इस संशोधन का और विधेयक के अन्तर्गत सिद्धान्त का समर्थन करता हूं।

†**श्री काजमी** (जिला सुलतानपुर उत्तर व जिला फैजाबाद—दक्षिण-पश्चिम) : मैं संशोधन के बारे में एक बात की सूचना सभा को देना चाहता हूं। प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव करते समय विधेयक के प्रभारी सदस्य के बारे में यही समझा जाता है कि वह प्रवर समिति का सदस्य होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक के लिये नियत किया गया समय लगभग चार बजे समाप्त हो जायेगा। पहले विधेयक के समय में से एक घण्टा बच गया था इस कारण मैं इसे चला रहा था कि शायद इस पर और चर्चा की जाये। अब यदि सभा चाहे तो इस पर और आगे चर्चा की जा सकती है अन्यथा उसे समाप्त किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता तो शेष संशोधन भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे और उन पर भी चर्चा होगी । अतः मैं निवेदन करूंगा कि इसका समय कम से कम ५ बजे तक बढ़ा दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री काजमी** : अभी तक तो यह प्रथा रही है कि यदि सभा किसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये सहमत हो जाती है तो हम यह समझते हैं कि प्रभारी सदस्य भी इसके लिये सहमत होगा । अथवा यह दृष्टान्त बन जायेगा कि यदि सरकार प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है तो माननीय सदस्य विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव सभा में नहीं रख सकेगा ।

किसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का विरोध मैं नहीं करूंगा किन्तु जहां तक इस बारे में सिद्धान्त का सम्बन्ध है, मैं इन सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

यह विधि असाधारण विधि है, यह चीज अनेक बार और निश्चयपूर्वक कही जा चुकी है । सरकार तथा समाज का कल्याण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस विधि को यथा शीघ्र समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील है । यह केवल आपात कालीन विधि है, इस कारण न्यायालयों द्वारा निर्णय करने के लिये हम अधिक चीजें नहीं छोड़ सकते । इस अधिनियम को बनाने के बाद विभाग ने न्यायालय बनाये थे । प्रभावित दल इसके विरुद्ध शिकायत करते रहे हैं । न केवल शरणार्थी ही अपितु और लोग भी जिनकी सम्पत्ति चली गई है इसका विरोध कर रहे हैं ।

अतः मेरा निवेदन यह है कि यह अस्थायी विधि है और जिन सिद्धान्तों पर यह आधारित है, वे भी बने रहने देना चाहियें ।

जहां तक परिसीमन अधिनियम का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और हमें इस अधिनियम को छूना नहीं चाहिये । किन्तु इस अधिनियम के आपात कालिक स्वरूप को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि हमें परिसीमत अधिनियम के उपबन्धों में हस्ताक्षेप करना पड़ेगा । परिसीमन अधिनियम के उपबन्धों का प्रभाव दोनों पक्षों पर पड़ेगा । वह व्यक्ति चाहे विस्थापित हो अथवा यहां का निवासी, उसका प्रभाव दोनों पर पड़ेगा । यदि इस अधिनियम के उपबन्धों में ढील न दी गई तो किसी भी पक्ष के साथ न्याय नहीं किया जा सकेगा ।

न्यासों के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा । लोगों को आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार वास्तविक प्रतिनिधियों को न्यासियों के रूप में नियुक्त न करे । मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग लाला अचिन्त राम की भांति विशाल हृदय वाले बनें । फिर भी मैं समझता हूं कि अभी हमें मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों की सम्पत्ति को महत्व देना पड़ेगा ।

अतः मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति को भी सरकार से कुछ मिलना है उसे इस चीज को सरकार की स्वविवेक पर छोड़ना पड़ेगा । नर्मी चाहे किसी भी पक्ष के प्रति दिखाई जाय, किन्तु यह समस्या इस प्रकार की है कि हमें इसे सरकार के स्वविवेक पर छोड़ना होगा और वह यथा शक्ति सम्बन्धित लोगों को संतुष्ट करने का प्रयत्न भी करेगी ।

इस विषय को प्रवर समिति को सौंपे जाने के बाद भी ये सिद्धान्त ज्यों के त्यों ही बने रहेंगे । इस पर कुछ विचार विनिमय आदि भले ही हो सकता हो जो औपचारिक प्रवर समिति के बिना भी किया जा सकता है । अतः इन सिद्धान्तों को हमें गठित रखना है और विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने पर मेरे मित्रों को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, प्रवर समिति को सौंपने के संशोधन का नहीं।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर): उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक पर हम आज विचार कर रहे हैं, वह एक बहुत ही आवश्यक विधेयक है। उसको हम पहले भी पास कर चुके हैं और आज उसका एक संशोधन सरकार की तरफ से हमारे सामने आया है। पिछले पांच छः वर्षों में जो घटनायें घटी हैं, जो तजुर्बा हासिल किया गया है या जो आवश्यकतायें पड़ी हैं--जिनका निराकरण पूरे तौर पर नहीं हुआ--उनको दृष्टि में रख कर यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

सदन के सामने एक प्रस्ताव पंडित ठाकुर दास जी का है, जिसमें वह चाहते हैं कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सुपुर्द कर दिया जाय और उनकी यह मंशा भी नहीं है कि यह विधेयक इस संशोधन के कारण अधिक देर तक रोका जाये। उनकी इच्छा यह लगती है कि इस विधेयक में जिन धाराओं में परिवर्तन का विचार किया है वह अधिक सोच विचार के पश्चात् मंजूर हो। यह मंशा बड़ी अच्छी है और यह जानते हुए कि इस सदन के हर सदस्य की यह भावना है कि यह जल्दी जितनी हो सके मंजूर किया जाये, मुझे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन मैं एक-दो बातें जरूर कह देना चाहता हूं, चाहे यह विधेयक प्रवर समिति को जाये चाहे यह ऐसा ही पास किया जाये।

हमने जब से इस इवैक्वी प्रापर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन (निष्क्रान्त सम्पत्ति की व्यवस्था) की बात की है तब से इस सदन में बराबर एक विचारधारा को सामने रखकर काम किया है, और अगर हम उस विचारधारा से कुछ इधर-उधर हो जाते हैं तो हमने जितना अब तक किया है उसको भी हम पीछे डाल देते हैं। जब हम कभी इवेक्वी प्रापर्टी के संशोधन के बारे में या इस बिल के विषय में निर्णय करते हैं, तो हमें एकदम ख्याल आता है कि बहुत सारे वह भाई जो कि डिस्प्लेस्ड (विस्थापित) हैं या जिनका पुनर्वास किया गया है उन लोगों के अधिकारों में किसी प्रकार की कमी न आने पाये। मैं समझता हूं कि सदन का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा कि जो उनकी कठिनाइयों के विषय में अपनी हमदर्दी न रखता हो और जिसने कभी भी यह विचार अपने मन में न किया हो कि उनको अधिक से अधिक और जल्दी ऐसी अवस्था में लाना हमारी सरकार का काम है कि जिसे हम उनका एक उचित अधिकार मानते हैं। इसलिये जब कभी भी उनका प्रश्न आया इस सदन ने बड़ी हमदर्दी से उस पर गौर किया है।

अब बात यह सामने आती है कि सरकार ने कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) काफी देर से मंजूर किया और अब उसे जल्दी से जल्दी कम्पेन्सेशन देना है। इस भावना से भी किसी को विरोध नहीं है, बल्कि अगर मौका आये और सदन के सदस्य समझें कि मिनिस्टर साहब रुपये की कमी की वजह से उन लोगों की अवस्था दुरुस्त करने में कोई कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो सदन के सभी सदस्य मिल कर सरकार से कहेंगे और उसे मजबूर करेंगे कि वह कुछ और रुपया पूल में डाल दे ताकि जो उद्देश्य हमने अपने सामने रखा है उसकी पूर्त्ति कर सकें। मगर अगर हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसा नियम आता है जो कि हमारे देश में रहने वाले कुछ नागरिकों के हकों को किसी कदर भी कम करता है तो मैं समझता हूं कि हमको बहुत गम्भीरता से उस पर विचार करना चाहिये, क्योंकि अब तक जो नीति हमने बरती है उससे हमारी प्रतिष्ठा हमारे दश में ही नहीं बल्कि दूर देशों में भी बढ़ी है और हम उस प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की भी ठस नहीं लगाना चाहते। हमको यह नहीं देखना है कि पाकिस्तान क्या करता है और वह अपने इवैक्वीज की प्रापर्टी (निष्क्रान्त सम्पत्ति) के प्रति

[श्री राधा रमण]

कैसा व्यवहार करता है। हमको तो अपने इरादों को इंसाफ और सचाई की तराजू पर तोलना है। अगर हम ऐसा कोई नियम बनाते हैं कि जिसमें इस मामले में जरा भी ढिलाई होती है तो मैं समझता हूं कि हमने अब तक जो नीति बरती है हम उससे हटते हैं और ऐसा हमें मंजूर नहीं करना चाहिये।

अभी हमारे एक बुजुर्ग लाला अचिन्त राम जी ने एक बात कही । उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके में कोई मजिस्द है जहां कोई भी मुसलमान नहीं रहता, और वह किसी उपयोग में भी नहीं लाई जाती और खराब हो रही है, बिगड़ रही है, तो उस सूरत में उसका कुछ सदपुयोग करना चाहिये । उन्होंने यह भी कह दिया कि ऐसी मस्जिद को मंदिर के काम में लाया जाय। तो गैर मुनासिब नहीं होगा । मैं उनकी इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं । बहुत सारी ऐसी हमारी इमारतें हैं जिनमें हमारा बहुत पुराना इतिहास छिपा हुआ है और वह आज जगह-जगह कायम हैं पर उनकी हम कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि प्रदेशों के अन्दर हमारे मन्दिर हैं, देवालय हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता बल्कि वे बेकार रखे हुए हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वहां की सरकारें उनको उसी तरह पवित्र मानती हैं जैसे कि हम अपने मन्दिरों को मानते हैं। यह कहा जाता है कि उनका सदुपयोग होना चाहिये लेकिन सदुपयोग इस तरह होना चाहिये कि जिस कम्युनिटी (समुदाय) की वह चीज है उसको यह महसूस न हो कि उस की किसी इबादतगाह पर प्रहार हो रहा है। उस कम्युनिटी को कभी भी यह महसूस न हो कि उपयोग करने के नाम पर उनके अधिकारों पर आघात हो रहा है। इस बारे में मैं यह जरूर मानता हूं कि इस प्रकार के जितने भी मंदिर या मस्जिद या देवालय वगैरह हैं, उनको सुरक्षित रखा जाये और उनकी देखभाल की जाये, यह सरकार का फर्ज है। कोई भी सरकार हो चाहे पाकिस्तान की हो या हिन्दुस्तान की उसका यह फर्ज है और वह निभाना आवश्यक है आज हम एक अन्तर्राष्ट्रीयता के युग में रह रहे हैं। अगर हम इस प्रकार के विचार रखेंगे तो निस्संदेह उनसे हानि होनी निश्चित है यह बात सामने आयी है तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता कि कोई मन्दिर मस्जिद में बदला जाये या कोई मस्जिद मन्दिर में बदली जाये। उसका ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिये कि जिससे उस कम्युनिटी को हमेशा, यह महसूस होता रहे कि ऐसा करना उचित नहीं था। बल्कि मैं यह जरूरी समझता हूं कि वह इमारत चाहे कस्टोडियन के हाथ में हो या किसी और के हाथ में हो, उसकी रक्षा करना और उसकी पवित्रता की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिये। ऐसा ही हमने अभी तक माना है और किया है और ऐसा ही हमको करना चाहिये ।

इस संशोधन में जो विशेष रूप से आपत्ति की जाती है वह यह है कि हिन्दुस्तान में बहुत सारे शहरी एक वक्त में अपनी जगह से उखाड़-पछाड़ के दिनों में दूर-दराज चले गये गये थे, उनकी कुछ प्रापर्टी (सम्पत्ति) है, कुछ मकानात हैं, या कुछ हिस्से हैं जिन्हें वह अब दोबारा लेना चाहते हैं। तो आज के दिन जब उसका असर किसी शरणार्थी पर पड़ता है तो कहा जाता है कि हम उन केसेज को रिओपिन या रिव्यू (पुनः चालू अथवा पुनर्विचार) कर सकते हैं। मेरा ख्याल यह है कि हमें इस बात को मंजूर कर लेना चाहिये क्योंकि कम्पेन्सेशन हमने इस उसूल पर नहीं दिया है कि जो कुछ भी इवैक्वी प्रापर्टी है उसी के आधार पर हम कम्पेन्सेशन दे रहे हैं। कम्पेन्सेशन हमने इस उसूल पर देना स्वीकार किया है कि जो लोग आज यहां पर आये हुए हैं उनको अपने आप को फिर से बसाने का अधिकार है ताकि वे आजाद अथवा इन्सानी जिन्दगी बिता सकें। उसके लिये जितना रुपया सरकार दे सकती है उसे देना चाहिये। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हमें सदन में बैठकर सरकार से कहना चाहिये कि इस काम के लिये ज्यादा रुपया मिलना चाहिये। अगर अब तक चार आने का हिस्सा रखा गया है और हम समझते हैं कि वह कम है

और ६ आने का हिस्सा होना चाहिये, तो हमको इसके लिये अपने मिनिस्टर को और सरकार को मनाना चाहिये कि वह रुपये की मात्रा बढ़ाये । लेकिन अगर हम यह मान लेते हैं कि कम्पेन्सेशन का आधार इवैक्वी प्रापर्टी ही है और हमें यह फिक्र और चिन्ता हो कि हम उसकी जल्दी से जल्दी वसूलयाबी करके ज्यादा दे सकते हैं तो हमको इस बात का ध्यान भी जरूर रखना चाहिये कि हम जो भी करें वह इन्साफ के बुनियादी उसूल पर कायम हो और यह हमने पहले से माना हुआ भी है । यानी जो आदमी हिन्दुस्तान में रहने वाला है, जो कि हिन्दुस्तान का शहरी है, उसको किसी तरह से भी यह महसूस करने का मौका नहीं देना चाहिए कि उस के साथ इन्साफ नहीं हुआ । अगर कोई वाकै हिन्दुस्तान का शहरी है लेकिन एक मौका आया कि जब वह यहां से उजड़ गया और दूसरी जगह चला गया तो आज भी उसे यह हक होना चाहिये कि अगर वह हिन्दुस्तान का शहरी है, चाहे कितना ही समय क्यों न गुजर जाय, कि इन्साफन जो चीज उसे मिल सकती है वह उसे मिलनी चाहिये ।

इसका खराब असर अगर रेफ्यूजीज (शरणार्थियों) को पहुंचता है तो उस असर को हमें जायल करने के लिये रुपया मुहैय्या करना चाहिये और अपनी आवाज उठानी चाहिये । मुझे इस बात का यकीन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इवैकुई प्रापरर्टी (निष्क्राम्य सम्पत्ति) के लिये जो १०० करोड़ रुपया रखा गया है वह रकम नाकाफी है और यह रुपया ही इस बात का सबूत नहीं है कि सरकार ने कम्पेन्सेशन देना मंजूर किया है । सरकार ने मुआवजा देना मंजूर इसलिये किया है कि वह यह समझती है कि जो घर उजड़े हैं या जो खानदान उजड़े हैं और जिनको तकलीफात हुई हैं उनको फिर से बसाना हमारा कर्त्तव्य है उनको कम से कम ऐसी हालत में रख देना, कम से कम मैं इसलिये कहता हूं कि हो सकता है कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा में हमारा मत भेद हो । इसलिये मैं कम से कम मुआविजे की बात कहता हूं कि कम से कम हमें ऐसा कम्पेन्सेशन जरूर देना है कि जिस कम्पेन्सेशन को हम ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ से दे सकें और उसमें इवैकुई प्रापरटी (निष्क्रान्त सम्पत्ति) एक हिस्सा है । मैं यह अर्ज करूंगा कि यह सिद्धान्त, यह बुनियादी उसूल, कि आज जो मुआविजे, का उसूल माना गया उसका असर, इस ऐडमिनिस्टेशन आफ इवैकुई प्रापरटी बिल के कारण मुआविजे पर हो, हां इसमें जो धारायें हैं उनका असर रेफ्यूजीज (शरणार्थियों) पर पड़ सकता है, लेकिन अगर वह न्यायसंगत है तो हमें मानना चाहिये और अगर वह न्यायसंगत नहीं हैं तो इस बिल के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मानने के लिये कही जा रही हो क्योंकि मैं यह समझता हूं कि हमारे मुल्क ने बड़े अच्छे सिद्धान्तों पर अपनी सरकार को और अपने तमाम शासन को चलाया है और कुछ उसका असर भी दुनिया पर इतना अच्छा पड़ा है कि आज इस बात का सिक्का जमा है कि हमारे देश की सरकार तुलनात्मक दृष्टि से न्याय की ओर झुकती है इन्साफ की तरफ झुकती है और गलत रास्ते पर नहीं जाती है । इसलिये सभापति महोदय मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि यह विधेयक जो हमारे सामने आया है इस बुनियाद पर रखा जा रहा है कि ५, ६ वर्ष के तजुर्बे से हमने कुछ सीखा है, उसमें जो कठिनाइयां हमको मालूम हुई हैं, उन कठिनाइयों को हम दूर करना चाहते हैं । यह बात हमारे आपके और सब के बीच में एक मत से मानी गई है कि इवैकुई प्रापरटी का जो इन्तजाम शुरू से चला वह निहायत ही गंदा था और उसमें सैकड़ों गलतियां हुईं और उसके अन्दर जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने जो कुछ करके नतीजा दिखलाया वह भी तसल्ली वख्श नहीं था जैसी कि हमने आशा की थी । इसलिये हम चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द खत्म हो । हम चाहते हैं कि यह लानत जो हमारी सरकार के ऊपर है यह जल्द से जल्द खत्म हो लेकिन इस सब के माने यह नहीं कि जो न्याय कहता है इन्साफ कहता है, या दलील कहती है, और जो हमने अब तक बुनियादी उसूल अपनी सरकार के सामने और अपने सामने रखें हैं, उनमें किसी किस्म की कमजोरी दिखा कर या किसी किस्म की कम्प्रोमाइज (समझौता) करके हम कोई कदम उठावें । हम उन उसूलों से नहीं हटना चाहते । हमें इस बात

[श्री राधा रमण]

का भी खयाल रखना चाहिये कि हमारे मुल्क के अन्दर आज भी ४ करोड़ ऐसे मुसलमान हैं जिन को कि हम हिन्दुस्तान के शहरी मानते हैं और इस नाते उनको भी वही हक हासिल हैं जो कि एक हिन्दू शहरी को यहां पर हासिल हैं इसलिये अगर यहां कुछ ऐसी बात होती है जिसमें एक भी मुसलमान यह महसूस करता है कि मेरे साथ न्याय और इंसाफ नहीं हुआ, तो हमें ऐसे कानून को नहीं रखना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि सदन यह ख्याल रखते हुए इस विधेयक को पास करे और इस सिलसिले में जो संशोधन आये हैं उनको कसौटी पर कस कर और तराजू पर तौल कर अगर वे न्यायसंगत हों तो उनको स्वीकार कर ले वरना अस्वीकार कर दे। जहां तक पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का सम्बन्ध है जिसमें उन्होंने सुझाया है कि यह बिल प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और वहां पर इस पर विचार हो कर दो-तीन रोज के बाद यह पास हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं इस विधेयक को मंजूर करने की सिफारिश करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : जब कभी शरणार्थियों अथवा निष्क्रमणार्थियों की समस्या सम्बन्धी कोई विधेयक सभा के सम्मुख रखा जाता है-तो मैं उसे बड़े सन्देह की दृष्टि से इस कारण देखता हूं कि इस बारे में बड़ी जल्दबाजी से विधियां बनाई जाती हैं। जल्दबाजी और पहले से विचार न करना ये दो चीजें इन नियमों को बनाने में सदैव साथ रही हैं।

निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम को ही ले लीजिये इसमें आज तक कितने परिवर्तन और संशोधन हुए हैं। या तो हम यह नहीं जानते कि हमारी समस्या क्या है और या हम यह नहीं जानते कि इसका सामना किस प्रकार किया जाय। बात वास्तव में यह है कि शरणार्थियों का जिस प्रकार पुनर्वास किया जा रहा है वह हमारे प्रशासन को देखते हुए उसके अनुरूप नहीं है। इसके लिये हम सभी उत्तरदायी हैं। न जाने कितने विभिन्न पदाधिकारी इसके लिये नियुक्त किये गये हैं, जिनकी कुछ भी आंवश्यकता नहीं है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं उनमें से कुछ को हटाना चाहता हूं।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : तो फिर हमें उन्हें भी स्थान देना पड़ेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह इतना बड़ा विभाग किस प्रकार कार्य कर रहा है, इसके बारे में हम दिल्ली के किसी भी भाग में जाकर सरलता से जान सकते हैं।

मैं अपने उन मित्रों के कथन से सहमत हूं जो यह कहते है कि हमें मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिये क्योंकि हम सब एक हैं। किन्तु इसके साथ ही जो गैर-मुस्लिम प्रतिकर मांग रहे हैं उनके साथ भी न्याय किया जाना चाहिये। यह जो प्रतिदिन विधियों में संशोधन हो रहा है वह केवल इसीलिये कि जिससे प्रतिकर की समस्या टलती जाये। मैं तो कहता हूं कि यह समस्या दिन प्रतिदिन गम्भीर होती जायेगी क्योंकि हम यह नहीं जानते कि शरणार्थियों के दावों के बारे में हमें क्या करना चाहिये। अतः प्रतिकर की प्रक्रिया को सरल बनाना केवल कागज पर सही चीज हो सकती है।

जो मामले लम्बित हैं वे वैसे ही पड़े रहेंगे। इतनी संख्या में इस विभाग में अधिकारी हैं फिर भी न्यायिक कार्यों में तनिक भी शीघ्रता नहीं हो रही है। मैं कहता हूं कि इस बारे में उचित रूप से विचार करने के पश्चात कार्यवाही की जानी चाहिये किन्तु वैसा नहीं हो रहा है। इसी कारण गड़बड़ होती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव का यह साधारण सा प्रस्ताव भी नहीं माना जा रहा है कि हमारी विधि में जितनी कमियां हैं उन्हें दूर कर लिया जाये। अतः मेरा कहना तो यह है कि इस सम्बन्ध में इच्छुक निष्क्रमणार्थियों—अथवा अन्य निष्क्रमणार्थियों—किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि हम पंडित भार्गव के संशोधन का समर्थन करें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

धार्मिक तथा दान सम्बन्धी सम्पत्तियों के बारे में यह कहना कि मन्दिर को मस्जिद अथवा मस्जिद को मन्दिर बना देने से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, बड़ा खतरनाक है। मैं चाहता हूं कि मन्दिर, मन्दिर बना रहे और मस्जिद, मस्जिद। हमें एक दूसरे के पूजागृहों की देख-रेख करनी चाहिये।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** (सीकर) : आपके मन्दिरों की देखभाल कोई नहीं करेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यदि आप उनकी मस्जिदों की देखभाल करेंगे तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि वे आपके मन्दिरों की उचित देखभाल करेंगे।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : वे नहीं करेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कहीं न कहीं इसकी सफाई देनी पड़ेगी। वे जो कुछ हैं वही बने रहें। मैं श्री काजमी के इस कथन से सहमत हूं कि केवल उपयुक्त न्यासियों को इस बारे में शक्ति मिलनी चाहिये, अनुपयुक्त न्यासियों को नहीं।

मुझे अपने माननीय मित्र श्री मेहर चन्द खन्ना से यह अपील करनी है कि उन्हें चाहिये कि वह सदैव हम लोगों को साथ लेकर चलें जिससे कि हम सभी मिलकर जनता की रुचि के अनुसार कार्य कर सकें। पंडित भार्गव का संशोधन स्वीकार कर लेने से न तो कोई अधिक हानि होगी और न उनके सम्मान पर ही कोई आंच आयेगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो विधेयक में संशोधन करने से वह और अच्छा बन जायेगा जिससे पश्चिमी पाकिस्तान के उन मुसलमानों और शरणार्थियों को सहायता की जा सकेगी जो प्रतिकर मांगते हैं।

श्री वि० घ० देशपांडे (गुना) : माननीय सभापति महोदय, मैं पंडित ठाकुर दास जी ने जो सूचना दी है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह विधेयक केवल इसलिये उपस्थित किया गया है कि प्रोसीजर को सिम्पलीफाई किया जा सके और जो गड़बड़ पैदा हो गई है उसको सीधा किया जा सके।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

तो मैं यह नहीं मानता कि इससे प्रोसीजर सिम्पलीफाई (प्रक्रिया सरल) होगा और हो सकता है कि इससे और भी कम्पलिकेशंस (जटिलतायें) पैदा हो जायें। मैं तो समझता हूं कि इससे कम्पलिकेशंस ही पैदा होंगी। आप सैक्शन ४० में संशोधन कर रहे हैं और मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने इसमें कहा है "नहीं छोड़ा है अथवा नहीं छोड़ता है ····" मैं बहुत ज्यादा इसके अन्दर जाना नहीं चाहता हूं। यह देखना कि यह अच्छा विधान है या नहीं विधान के पंडितों का काम है। मुझे तो इतना ही डर मालूम होता है कि सरकार की नीति इसके विषय में बहुत ही अस्पष्ट रही है। एक तरफ से तो यह कहा जाता है कि हम पैसे देने वाले हैं और लोग यहां पर जो सम्पत्ति छोड़ कर गये हैं उसमें से हम देंगे। लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं और मांग करते हैं कि इस प्रापर्टी की कीमत बढ़ा दो या इसकी कीमत कम कर दो तो हम से कहा जाता है कि कम्पेंसेशन कहां से देंगे। जब कभी भी कोई बात लेकर हम जाते हैं तो सब दुनिया की बातें हमें सुनाई जाती हैं और कहा जाता है कि यह धर्म-निरपेक्ष राज्य है, सब नागरिकों के अधिकार समान हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसका तो हमने कभी विरोध नहीं किया कि सब नागरिक के अधिकार समान क्यों हैं। हम तो यही कहते हैं कि आप हमको पैसे दें लेकिन इसके जवाब में आप हमें उंगली दिखाते हैं और कहते हैं कि इतना रुपया है और इसमें से ही पैसा आप ले सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि इस प्रापर्टी की कीमत इतनी हो और इसकी इतनी तो एक तरह आप हमें दुनियादारी की बातें बताते हैं और न्याय नीति की बातें सिखाते हैं और दूसरी तरफ आपने प्रापर्टी को बिना किसी कानूनी व्यवस्था के उठा कर देने के पावर को आपने अपने हाथ

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वि० घ० देशपाँड]

में ले लिया है। तो मेरी तो गवर्नमेंट से एक ही प्रार्थना है और मैं खन्ना साहब से कहना चाहता हूं कि वह अपने घर में ही ठीक-ठीक तरीके से पूछें कि कहां से मुआवजा दिया जाये। इस चीज को उन्हें हमसे पूछने के बजाय अपने घर से पूछना चाहिये। हमें कभी यह कहा जाता है कि डिवेलेपमेंट प्राजैक्टस (विकास परियोजनायें) बन्द करनी पड़ेंगी, भाखड़ा नांगल पर जो कार्य हो रहा है उसको बन्द करना पड़ेगा और यह करना पड़ेगा और वह करना पड़ेगा। तो बात यह है कि आप अपनी सरकार से ही पूछें कि क्या वह आपको यह पैसा देने वाली है या नहीं।

इस रकम का उत्तरदायित्व सरकार ने अपने ऊपर लिया है या नहीं, यह बात पहले स्पष्ट होनी चाहिये। अगर उसने लिया है और ऐसे कहने की पूरी जिम्मेदारी आपकी सरकार आपको देती है, तब ही आप मुआवजे की बात कीजिये और उस अवस्था में आप यह न कहिये कि हम कम्पेन्सेशन कहां से दें। यहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये और सब के साथ न्याय होना चाहिये। किन्तु मेरा निवेदन यह है कि हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है यह हम मानते हैं कि हर एक नागरिक के साथ न्याय होना चाहिये, लेकिन उसका तरीका यह नहीं है कि रेफ्यूजी की प्रापर्टी हम दूसरों को दें। अगर आप वास्तव नें न्याय करना चाहते हैं, तो आप यह निर्णय कर दीजिये कि आप इवैकुई प्रापर्टी पूल (निष्क्रांति सम्पत्ति संग्रह) के आधार पर शरणार्थियों को मुआवजा देंगे और इसकी घोषणा करने के पश्चात इवैकुई प्रापर्टी पूल में से एक पाई भी कम न होंने देंगे। उसके बाद अगर आप न्याय करना चाहते हों, तो मैं कहूंगा कि यदि आप देखें कि कोई सम्पत्ति न्याय रूप से मुसलमान की है और उसको मिलनी चाहिये, तो आप उसको कहें कि तुम्हारी प्रापर्टी हमने पूल में डाल दी है और हमको तुम्हारे साथ न्याय करना है, इसलिये हम सरकार की ओर से उसकी कीमत तुम को दे देते हैं और सरकार उसको अपने पास से सब पैसा दे दे। श्री राधा रमण ने कहा कि सरकार पैसा जरूर देगी, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये। इसमें मैं उनके साथ हूं, लेकिन हमारी सरकार पैसा देने के लिये तैयार खड़ी है, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जब तक हमारे मिनिस्टर साहब यह आश्वासन हमको नहीं देते हैं कि पचास करोड़ रुपये, सौ करोड़ रुपये कम्पेन्सेशन के रुप में हम आज और अभी—हेयर एंड नाउ देने के लिये तैयार हैं, तब तक मैं इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूं। यह घोषणा उनस लेने के बाद आप इस कम्पेन्सेशन पूल के साथ खेल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह खेल इस समय रेफ्यूजी को मारने के लिये चल रहा है। मेरा कहना यह है कि आप दोनों तरफ की बातें न कीजिये। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यह हम देख रहे हैं। यहां पर कहा गया है कि इवैकुई प्रापर्टी ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में शिकायत है। लेकिन यह शिकायत तो रिफ्यूजीज की तरफ से होनी चाहिये, जिनका कि पूल पर वास्तविक अधिकार है और जिनको वह मिलना चाहिये। हम जानते हैं कि किस प्रकार ऊपर से चिट्ठियां आती रहती हैं, दबाव डाला जाता है और वास्तविक, सच्ची इवैकुई प्रापर्टी कितने बड़े परिमाण में वापिस की जा रही है। अगर शिकायत करने का सवाल हो, तो शिकायत तो हम लोगों को होनी चाहिये, दूसरे लोगों के शिकायत करने का प्रश्न ही नहीं है। मुझे तो इस बात का डर है कि यदि हम सरकार के हाथ में अधिक अधिकार देते हैं, तो यह इवैकुई प्रापर्टी पूल (निष्क्रांति सम्पत्ति संग्रह) समाप्त हो जायेगा।

जहां तक रिलिजस ट्रस्ट्स (धार्मिक न्यासों) का सवाल है, मैं बिलकुल यह नहीं कहता कि किसी मस्जिद को लेकर उसको मन्दिर बना दिया जाये और न ही लाला अर्चित राम जी ने यह कहा है। हम जानते हैं कि इस देश में अनेक मन्दिरों की मस्जिदें बनाई जा चुकी हैं, लेकिन हमारी सरकार और माननीय सदस्य उसका ख्याल नहीं करते हैं। आज जान-बूझ कर हमारे दिल पर ठेस पहुंचाई जा रही है, लेकिन इतना होते हुए भी, पाकिस्तान में अत्याचार होते हुए भी मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि चूंकि मैं अपने धर्म से प्रेम करता हूं, इसलिये दूसरे के धार्मिक स्थानों को बिगाड़ दिया जाये या उनको जान-बूझ कर मन्दिरों और गुरुद्वारों में परिवर्तित कर दिया जाय। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो मस्जिदें आज ऐसे ही

पड़ी हुई हैं, उनके पावित्र्य को कायम रखते हुए और उनका पूरा आदर करते हुए, यदि उनका सदुपयोग हो सकता है, तो वह किया जाना चाहिये और यही सुझाव श्री अचिंत राम ने रखा है। श्री अचिंत राम ने यह नहीं कहा कि जिस प्रकार से काशी के विश्वनाथ मन्दिर के सिर पर मस्जिद बिठाई हुई है और राम जन्मभूमि के मन्दिर के विषय में विवाद खड़ा किया गया है, उसी प्रकार का व्यवहार हम मस्जिदों के साथ करें। इन मन्दिरों के विषयों में तो हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। उल्टे हम लोगों को दबाती है। आज मैं देख रहा हूं कि एक वर्ग विषेश और उसके धार्मिक स्थानों के लिये आज सब का दिल दुख रहा है और उनके लिये अपनी चिन्ता और सहानुभूति प्रकट करने में हमारे मेम्बरों की एक प्रकार से क्यू लग गई है। ज्यों-ज्यों इलैक्शन (निर्वाचन) नजदीक आता-जाता है, त्यों-त्यों उनके लिये दिल अधिक दुख रहा है। हमारा दिल भी दुखता है, लेकिन इस्लाम धर्म यह नहीं कहता है कि मस्जिद का सदुपयोग नहीं करना चाहिये, उसमें बच्चों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिये और किसी अच्छे उपयोग के लिये अल्लाह का घर नहीं लिया जाना चाहिये। इस समय तो हमारी प्रार्थना यह है कि इस विधेयक की वर्डिंग और ड्राफ्टिंग (शब्द-रचना और प्रारूप) ठीक तरीके से हो ताकि बाद में अधिक नुकसान न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यदि हमको दो-चार दिन ठहरना पड़े, तो कोई बड़ी हानि की बात नहीं है। आपकी पार्टी के सदस्य श्री भार्गव ने यह प्रस्ताव रखा है। आप उसको स्वीकार कीजिये और इस सदन के सदस्यों और विधान-पंडितों से मश्विरा करने के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजिये, इतनी ही उनकी प्रार्थना है और मैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जनाब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने तमाम तकरीरों को सुना है। मुझे खुशी है कि जहां तक इस कानून के बुनियादी उसूल का ताल्लुक है, सब ने इसकी सराहना की है। किसी मेम्बर साहब ने—चाहे उसका मेरी पार्टी से ताल्लुक है या हिन्दू महासभा से या मुखालिफ पार्टी से—इसके बरखिलाफ आवाज नहीं उठाई है। दो-तीन बातें हैं, जो कि किसी हद तक मेम्बर साहबान को तकलीफ दे रही हैं। बाज़ यह समझते हैं कि मुमकिन है कि इस कानून के पास होने से शरणार्थी को जो इवजाना (प्रतिकर) मिलना है, शायद उसको नुकसान पहुंचे और बाज़ों का यह ख्याल है कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, उससे, जो लोग शायद पाकिस्तान चले गये हैं या हिन्दुस्तान के असली मानों में नागरिक नहीं हैं, उनको निकासी जायदाद, जिसके मुताल्लिक आज तक या उस वक्त तक, मुकदमात चल रहे हैं, शायद गैर-कानूनी तरीके से, नाजायज तौर से वापिस न मिल जाय। मैं इन दोनों बातों की थोड़ी वजाहत के साथ सफाई कर देना चाहता हूं।

जहां तक शरणार्थी का ताल्लुक है, उसको इवज़ाना देने की स्कीम इसी हाउस में पिछले साल सितम्बर के महीने में पास हुई। आपन इस सिलसिले में एक स्केल मुकर्रर कर दिया और यह फैसला कर दिया कि जिस भाई ने दो हजार का क्लेम (दावा) किया है, उसको ६६ फ़ीसदी मिलेगा और जैसे-जैसे क्लेम वढ़ता जायेगा, वैसे-वैसे स्केल कम होता जायेगा और आखिर में सीलिंग (अधिकतम) लग जायेगी। स्केल मुकर्रर करते वक्त हमने यह भी देख लिया था कि पाकिस्तान से—मेरा इशारा मग़रिबी पाकिस्तान से है—जो हमारे शरणार्थी भाई आय हैं, वे कितनी जायदाद छोड़ आये हैं। तख़मीना ५०० करोड़ रुपये का है। इसी तरह हमने निकासी जायदाद का भी तख़मीना लगा लिया था यानी १०० करोड़ रुपये और गवर्नमेंट ने जो ८५ करोड़ रुपये की ग्रान्ट (अनुदान) दी है, वह भी हमारे सामने थी। उस स्केल के मुताबिक—जो कि एक फैसलाशुदा चीज है—शरणार्थी को कम्पेन्सेशन मिल रहा है। अक्तूबर के आखिर तक उसको ४१ करोड़ रुपये के करीब इवज़ाना मिल चुका है। मुझे कैश (रकम) याद नहीं है, लेकिन सितम्बर के आखिर में जो रकम थी, वह ३८ करोड़ थी, जिसमें से २६ करोड़ नकद था और १२ करोड़ वह था, जिसको पब्लिक ड्यूज कहते हैं—जो हमने शरणार्थी भाई से लेना है, चाहे वह मकान की कीमत हो, चाहे कर्जा हो और दूसरी चीज यह थी कि जो हम ने जायदाद नीलाम की है, वे दोनों चीजें १२ करोड़ की हैं और जो उनको नकद इवज़ाना हमने दिया है, वह २६ करोड़ का

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

है। अक्तूबर में वह फ़िगर ४१ करोड़ हो गई। मुमकिन है कि नगद इवजाना २७ करोड़ हो, २८ करोड़ हो—मुझे याद नहीं है। बतौर बजीर मुझ पर और मेरे भाई भोंसले पर जो फरायज आयद होते हैं, वे दो हैं। एक तो है शरणार्थियों को बसाना और दूसरा है यह देखना कि कहीं ना-इन्साफन, नाज़ायज तौर पर, गैर-कानूनी तौर पर, वे मुसलमान भाई, जो कि हिन्दुस्तान के नैशनल (राष्ट्रजन) हैं, जो कि नौ-दस वर्ष से यहां रह रहे हैं, जिन के मुकदमात चल रहे हैं, हमारी गफ़लत से उन बेचारों की जायदाद, जो कि गैर-निकासी हो, निकासी करार न दे दी जाय।

तो मेरे और मेरे भाई के सामने जो मेयार (कसौटी) है वह यही है कि जहां हम शरणार्थी भाइयों को बसाना चाहते हैं वहां हम यह भी चाहते हैं कि वह भाई जो कि इस सिक्यूलर स्टेट (धर्म निरपेक्ष राज्य) के नेशनल हैं, जिनको फंडामेंटल राइट्स (मूल अधिकार) एश्योर्ड (निश्चित) हो चुके हैं, जो कि ९ या १० बरस से हिन्दुस्तान में रह रहे हैं, उन भाइयों में कानफिडेंस (विश्वास) पैदा करें और ऐतबार पैदा करें। हमेशा के लिये यह चीज नहीं चल सकती। एक वक्त था कि जब मुल्क में आग लगी हुई थी। कोई नहीं समझ सकता था कि मुल्क की क्या हालत होनी है। आज तो दस साल गुजर गये। पर क्या आज भी हम अपने उन भाइयों से उनको इत्मीनान दिलाने के लिये यह नहीं कह सकते कि जो होना था सो तो हो चुका पर हम चाहते हैं कि जो मुकदमात आज पड़े हैं उनका जल्द फैसला किया जाये। हमने यह नहीं कहा कि नाज़ायज़ तौर पर किसी की जायदाद छोड़ दें।

श्री वि० घ० देशपांडे : छोड़ी है और छोड़ेंगे।

श्री मेहर चन्द खन्ना : लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि अगर हमारी मिनिस्ट्री ने किसी को बसाना है तो हम दूसरे को नाज़ायज़ तौर पर उजाड़ कर नहीं बसाना चाहते। यह गलत चीज होगी। तो हमारे यहां बहुत मुकदमात पड़े थे। देखिये कि ९०,००० मुकदमात यहां थे मई, १९५५ में। इसी तरह सेपेरेशन आफ इवैक्वी प्रापर्टी इंटरेस्ट्स एक्ट (निष्क्रमणार्थी हित पृथक्करण अधिनियम) के नीचे शायद उनकी तादाद ८०,००० या ९०,००० या ७०,००० हो। इसी तरह से दफा १६ के नीचे ९,००० मुकदमें पड़े थे। डेढ़-दो लाख मुकदमे चल रहे थे और डेढ़-दो लाख कुनबों को परेशानी हो रही थी। उनको रोज असिस्टेंट कस्टोडियन के पास, कभी डिप्टी कस्टोडियन के पास, कभी कस्टोडियन के पास और उसके बाद कस्टोडियन-जनरल और फिर वजारत (मंत्रालय) के पास जाना पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई इन्सान अपने को उस हालत में पाये तो उसके दिल को कितना दुःख होता होगा। तो हमने सिर्फ यही सोचा, ठीक है १९४७ में १९४८ में जो भी कानून बना हो, जो आपने तरीका इस्तैमाल किया हो, या जो कानून पास किया हो वह ठीक होगा। लेकिन आज १९५६ के इख्तताम (अन्त) में मैं समझता हूं कि वह तरीका बहुत लम्बा है और इसलिये उसको खत्म करना है। आज हालत यह है कि एक बेचारा भाई यह नहीं जानता कि जो उसकी जायदाद उसके पास है वह कल खत्म हो जायेगी या उसके पास रहेगी। दूसरे इसलिये भी मैं चाहता हूं कि इसका फैसला हो जाये ताकि जो जायदाद निकासी पूल में आनी है वह भी जल्दी आ जाये ताकि जिस शरणार्थी को एवजाना मिलना है वह मिले। तो मेरे पास आये दिन गिला किया जाता है, मेरे ऊपर गुस्सा किया जाता है, गो कि जो कुछ कहा जाता है वह बिरादराना तौर पर कहा जाता है।

श्री व० द० पांडे (जिला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व) : उलाहना।

श्री मेहर चन्द खन्ना : शर्मा साहब कभी-कभी बहुत सी बातें कह देते हैं। मुझे उनके लिये इज्जत है। मैं उनको हमेशा प्रोफेसर के नाम से पुकारता रहा हूं, और जब शरणार्थी नहीं बना था तब से उनको जानता हूं। उस वक्त जो भी उन्होंने अपनी जिन्दगी कार खैर (अच्छे कामों) में दी मैं उनकी कद्र करता हूं और जो कुछ भी वह कहते हैं मैं उसकी कद्र करता हूं। ठीक है, आप कह दीजिये कि मैं उन बदकिस्मत वुजरा (मंत्रियों) में से हूं जो हाउस को अपने साथ कैरी नहीं कर सकता है (सभा को अपने से सहमत नहीं करा सकता)। लेकिन मैं वह नहीं हूं जिसकी तरफ उनका इशारा है।

मैं अर्ज कर रहा था कि दो फर्ज हैं जो हमारे ऊपर आयद होते (आते) हैं, निकासी जायदाद का किस्सा बहुत जल्दी खत्म करना और शरणार्थी को जितनी जल्दी भी हो सके उसका एवजाना दिलाना। तो इस कानून में मैंने क्या किया है ? मैंने अपने बुजुर्गों की तकरीर को सुना और मैं सोचता रहा कि ठीक है, मैंने शुरू में कह दिया था कि जो सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) का प्रस्ताव है उसको मंजूर करने का मेरा इरादा नहीं है। लेकिन उनकी तकरीर सुनने के बाद और दूसरे भाइयों की तकरीरें सुनने के बाद मैंने कोशिश की और ठंडे दिल से सोचता आया मैं अपना ख्याल बदल सकता हूं या नहीं। मेरे सामने क्या चीज है कि जो मैं अपना ख्याल बदलूं। जो चीज कि फैसलाशुदा है उसके बारे में हम यह कर रहे हैं कि जो उसका प्रोमीज्योरल पहलू है उसको कम किया जाये। दो-चार चीजें मेरे सामन आयीं।

पहली चीज जो श्री ठाकुर दास जी ने कही वह दफा २० ए० के मुताल्लिक है जो कि पेज ३ पर दी हुई है। मेरा ख्याल था कि इस चीज के लिये मेरी सराहना की जायेगी। लेकिन मामला कुछ उलटा ही निकला।

पहली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि दफा १६ के नीचे जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके लिए एक बड़ा एलेबोरेट प्रोसीज्योर (लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया) है। दरखास्त कस्टोडियन के मुहकमें (विभाग) में जाती है, बाकायदा एन्क्वायरी (जांच) होती है, फिर कस्टोडियन-जनरल के पास जाती है, वह अपनी राय देते हैं, और फिर हमारी वजारत में आती है। तो वजारत में हमने जुडीशियल आफिसर्स (न्यायिक पदाधिकारी) मुकर्रर किये हुए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज के रेंक (दर्जे) के हैं। वह इस चीज को देखते हैं और देखने के बाद एक कसौटी है और वही कसोटी है जो रुल्स बनाये गये हैं दफा १६ के नीचे १५ बी वह रुल्स में शायाशुदा (प्रकाशित) है उन में मुख्तलिक क्लाजेज़ (खण्ड) हैं ए० बी० सी० डी० वगैरह और उन में वह शरायत लिखी हैं जिनके कि मातहत यह सर्टिफिकेट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। मैं एक दो क्लाजेज़ को ऐवान (सभा) की खिदमत में पढ़ सकता हूं।

वह सवा डेढ़ पेज की चीज है और शायाशुदा चीज है। अगर जनाब डिप्टी स्पीकर चाहें तो मैं आपकी वसातत से दे सकता हूं और अगर आप मुनासिब समझें तो यह हमारी प्रोसीडिंग्स (कार्यवाही) का पार्ट बन जाये क्योंकि मुझे इसको पूरा पढ़ने के लिए समय चाहिए और मैं इस वक्त आपका समय नहीं लेना चाहता। यह मौजूद है * और यह इस बात की कसौटी है और इस बात को ऐन शहादत देते हैं। जो कि मैं ने अपनी तकरीर में अर्ज किया और वह यह है कि जहां ४,९७५ केसेज दफा १६ के नीचे हमारे पास आये उसमें से १,७९९ केसेज में हमने रेस्टोरेशन (लोटाने) की इजाज़त दे दी है और ३,१७६ केसेज हमने नामंजूर किये। कम से कम एक चीज मेरे सामने है और वह यह है कि यह जो १'७९९ आदमी हैं कम से कम उनका जो वर्षों का खर्चा था वह तो मिटा। क्यों उसके साथ न्याय नहीं हुआ उसकी कुछ भी वजह हो, मैं आज बयान नहीं करना चाहता लेकिन उनकी जायदाद हमने ले ली थी और हमने उसको निकासी जायदाद डिक्लेयर (घोषित) कर दिया था और अगर दफा १६ के नीचे उसकी दरख्वास्त नहीं आती और एक जुडिशियल तरीके से उसका इम्तिहान या एग्जामिनेशन नहीं होता तो यह जायदाद मैं समझता हूं कि एक नाज़ायज़ तौर पर हमारे इवैकुई पूल (निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति पुंज) में आती।

जनाबवाला, इवैकुई पूल में इस वक्त तकरीबन २ लाख ७५ हजार प्रापर्टीज (सम्पत्ति) हैं और मैं नहीं चाहता कि चन्द एक प्रापर्टीज के लिये जो कि कानूनन दुरुस्त न हों हम अपने पूल में लायें, उससे हमें कुछ फायदा नहीं हो सकता और मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के अच्छे नाम पर सुनहरी नाम पर बट्टा लगने वाला है। लेकिन जहा मैं आपसे यह कहता हूं कि मैं दाद देता हूं कि हर एक केस को हमने कायदे से निबटाया, मैं हाउस को यह भी तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि जहां हिन्दुस्तानी नेशनल्स (राष्ट्रजनों) की मैं जायदाद नहीं लेना चहता वहां मैं किसी पाकिस्तानी नेशनल की जायदाद भी छोड़ने के लिये तैयार नहीं हूं, यह आप मुझ से तसल्ली ले लीजिये।

---

*पुनर्वास मंत्री द्वारा उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा-पटल पर रखा गया।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

एक चीज मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं और उसके लिये मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की तवज्जह अपनी तरफ मबजूल कराना (दिलाना) चाहता हूं। यह जो हम तरमीम लाये हैं और जहां मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिये समझता हूं कि जितनी जल्दी हो सके यह मुहमा खत्म हो और यह मुकदमात फैसले हों वहां मैं यह भी समझता हूं कि दफा १६ के नीचे जब हम किसी की दरख्वास्त मंजूर करते हैं तो उसकी जो जायदाद है वह उसको वापिस मिलनी होती है। हमारे पास पंजाब से और दूसरे सूबों से केस आये और वह केस यह हैं कि जहां आपने दफा १६ के नीचे मिसाल के तौर पर गुड़गांव के इलाके में दीन मुहम्मद को २०० एकड़ जमीन उसको वापिस दे देने का हुक्म दे दिया, अब सात वर्ष से एक शरणार्थी वहां पर बसा हुआ है, वह जमीन उसको एलौट हो चुकी थी, उस बेचारे ने उस पर अपना घर बनाया था और यही नहीं बल्कि उसने उस पर खर्चा किया है ताकि जमीन को इम्प्रूव करे और इम्प्रूव करने के बाद उसकी आबादकारी हो। हमने यह समझा कि सात वर्ष के बाद उस शरणार्थी को वहां से उठाना शायद हमारे लिये इतना असान नहीं है और दूसरे हमने यह भी समझा कि इससे उसकी जो आबादकारी है उसको शायद भारी नुकसान पंहुचे। इसलिये हम यह अमेंडिंग बिल (संशोधन विधेयक) लाये और हमने यह पावर (शक्ति) अपने हाथ में ले ली है। अव्वल तो हमारी ख्वाहिश (इच्छा) होगी कि जहां दफा १६ के नीचे किसी जायदाद के वापिस होंने का हुक्म देते हैं तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि उस बेचारे को जिसका कि कोई कसूर नहीं है उसकी अपनी ज़मीन और अपने बाप-दादे का मकान वापिस मिलना चाहिये। मैं जानता हूं कि एक इंसान को अपने बाप-दादे की जायदाद और मकान से कितना प्यार होता है। मैं खुद जानता हूं मुझे तकलीफ होती है और मुझे भी अपने बाप-दादे के घर की याद आती है। जिस इंसान का कोई कसूर नहीं और जो हमारे डिपार्टमेंट (विभाग) की लपेट में आ गया तो अगर हम उसको उसका मकान वापिस नहीं कर सकते तो उसके लिये हम अपने हाथ में यह पावर ले रहे हैं कि उसको आलटरनेटिव होल्डिग (दूसरी जमीन) तो दी जाये, उसको कैश दे दिया जाये या जमीन दे दी जाये या कैश और जमीन दोनों चीजें उसको दे दी जायें। मुझे यह ख्याल था कि मेरे दोस्त जिनके कि दिल में रेफ्यूजीज के लिये काफी मोहब्बत और प्यार भरा है वह मुझे इसमें दाद देंगे कि तुमने शरणार्थियों को उजड़ने से बचाया है।

यह तो एक चीज हुई। इसके अलावा मुझे दो-एक चीजों की बाबत और अर्ज करना था और जिनकी कि बाबत मैं दो तीन मिनट में जवाब दे दूंगा।

दूसरी चीज ट्रस्ट है। इसकी बाबत नजर यह आता है कि ट्रस्ट के मुताल्लिक भी आम भाइयों को शायद कुछ गलतफहमी है। आज हम यह फैसला नहीं कर रहे हैं कि ट्रस्ट की जायदाद क्या होनी है और क्या नहीं होनी है। नेचर आफ दी ट्रस्ट क्या है। आज जो चीज मैं आपके सामने लाया हूं वह यह है कि नौ वर्ष गुजर गये, जो आपका पहला कानून था जिसमें यह था कि अदालत दीवानी में यह चीज जायेगी, वहां से ट्रस्टीज मुकर्रर होंगे, उसका नतीजा आज यह निकला है कि बहुत थोड़े केसेज में हम यह फैसला कर सके हैं।

मैं यह पावर अपने हाथ में इसलिये ले रहा हूं कि जब मैं यह समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी इवैकुई प्रापर्टी लॉ के नीचे दफा १६ की हो या दफा ५ की हो या ट्रस्ट की हो इस तरह से निभाना है कि बजाय इसके कि यह चीज एक लम्बे अर्से के लिये अदालते-दीवानी में पड़ी रहे, हम चाहते हैं कि अपनी मिनिस्ट्री में ले लें। मैं कोशिश करूंगा कि इन ट्रस्टों की प्रापर्टी को हैंडल करने के लिये एक ज्यूडिशियल आफिसर हो ताकि नजरिया तो वही हो जो कि अदालते-दीवानी में होता है लेकिन जो एक लम्बी चीज चलती है, मैं कोशिश करना चाहता हूं कि उसको बहुत जल्द खत्म कर दिया जाए।

दुबे साहब ने दो तीन चीजें कहीं हैं। अब शायद वह हाउस में नहीं हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनका जवाब दे दूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले तो अपील कस्टोडियन के पास जाया करती

थी लेकिन अब हमने २,००० के नीचे के केस वहां रोक दिये हैं और बाकी जो बड़ी अपील्स हैं वे कस्टोडियन-जनरल के पास आयेंगी या जहां प्वाइंट आफ लॉ हो वे केस कस्टोडियन-जनरल के पास आयेंगे । यह चीज हमारे सामने उस वक्त भी थी । तो मैं जानता हूं कि जिस आदमी का केस हैदराबाद में हो रहा है और उसकी अगर जायदाद २,००० से ज्यादा कीमत की है तो उस बेचारे को अगर दिल्ली आना पड़ता है तो यह शायद उसके लिये तकलीफदेह साबित हो । तो मेरा इरादा यह है कि मैं कस्टोडियन-जनरल और डिप्टी-कस्टोडियन जनरल को यह हिदायत दूं कि जहां इस किस्म के केस हों और अगर वे ज्यादा हों तो बजाय इसके कि वे लोग वहां से चल कर दिल्ली आयें वे ही बराय मेहरबानी दिल्ली की छोड़ कर वहां जायें और वहां पर बैठ कर उन लोगों के जो मामलात हैं उनको सुन कर फैसला कर दें । इसका एक कारण यह भी है कि अगर खुद कस्टोडियन-जनरल किसी मुकदमे का फैसला करे तो मुझे ज्यादा तसल्ली होती है, ज्यादा तशफ्फी होती है बजाय इसके कि कोई निचला महकमा करे क्योंकि आम तौर पर निचले महकमे के मुताल्लिक बहुत सी शिकायतें आती हैं ।

एक चीज उनकी और थी और वह यह थी कि पहले कस्टोडियन को यह अख्तियार था कि अगर कोई चीज ज़ायद-उल-मियाद हो जाती थी (अवधि निकल जाती थी) तो वह उनको इजाजत दे देता था कि जो अपील की लिमिटेशन (परिसीमन) है उसके बाहर जाकर नए सिरे से मुकदमा चलाया जाय । एक केस की लिमिटेशन ६० दिन हो सकती है, छः महीने हो सकती है, एक साल हो सकती है और दो साल हो सकती है । तो अगर दो दो और तीन तीन बरस के बाद ये चीजें फिर नये सिरे से शुरू होती हैं तो जिस दरवाजे को मैं बन्द करना चाहता था वह दरवाजा तो हमेशा के लिये खुला ही रहेगा ।

शर्मा साहब पूछते हैं कि तुम अपनी मिनिस्ट्री का काम कब खत्म करोगे । मैं उस दिन अपनी मिनिस्ट्री का काम खत्म करूंगा जब आपको अपने साथ कैरी कर लूंगा और जो चीजें मैं हाउस के सामने लाऊंगा उनको आप इस नजरिये से देखेंगे कि मैं सच्चे दिल से जिन शरणार्थियों की खिदमत करना चाहता हूं, या मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि किसी हिन्दुस्तान के नैशनल का जिसका कि हमारी मिनिस्ट्री से ताल्लुक है, कोई नुकसान न हो । तो यह चीज हो रही है दफा ५ के नीचे । हमने क्या किया है । मैंने यह पावर जो है वह दे दी है कस्टोडियन-जनरल को । जनाब, आप पुराने वकील हैं, और पैप्सू में जज भी रहे हैं । आप यह सुन कर हैरान होंगे कि जहां सुपरिंटेंडेंट्स (अधीक्षण) का ताल्लुक है, एड-मिनिस्ट्रेशन (प्रवर्तन) के लिहाज से वहां हमारे कस्टोडियन साहिबान ज्यूडिशल केसिस को रिओपन करते रहे हैं । मैं कानून नहीं जानता । ठाकुर दास जी ने इसके बारे में एक दफा कहा था ठीक है, मैं कानून को नहीं जानता हूं और इसे आप चाहे खुशकिस्मती कहिये चाहे बदकिस्मती कहिये, लेकिन मैं जानता नहीं हूं । लेकिन इस चीज से मुझे तकलीफ होती है । मैं एक बात कहना चाहता हूं । आज आपने देख लिया है कि हमारे वजीरे-आजम (प्रधान मंत्री) ने एक बड़ा भारी उसूल, एक बड़ी भारी मिसाल कायम कर दी है । आपने कहा कि एक मोहतरिम (माननीय) दोस्त का, जिसके लिये हमारे दिलों में बहुत कद्र है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, इस्तीफा मंजूर कर लिया है और यह कि वह प्रेजिडेंट साहब से भी कहेंगे कि वे उनका इस्तीफा मंजूर कर लें । तो जब आप यह जिम्मेवारी किसी अपने एक वजीर को देते हैं और आप यह चाहते हैं कि वह इंसाफन इस जिम्मेवारी को निभाये तो अगर उस जिम्मेवारी के साथ लीगल पावर (वैधिय शक्ति) नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता ।

जहां तक मुसलमान भाइयों का ताल्लुक है मैं काजमी साहब को बतलाना चाहता हूं कि हमने उनके लिये अब यह कर दिया है कि बजाय इसके कि वह जो कंडोनेशन की पावर थी उसको कस्टोडियन या असिस्टेंट कस्टोडियन को दें, उसे कस्टोडियन-जनरल को दे दिया है जहां कस्टोडियन-जनरल साहब समझें कि इन्साफ नहीं हुआ है या थोड़ी सी गैर इंसाफी की बू आती है तो वहां वह इजाजत दे सकते हैं कि उसको कंडोन कर दिया जाये और नए सिरे से केस चल पड़े ।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

तो साहिबे सदर (उपाध्यक्ष महोदय) मैंने अपने बुजुर्ग भाई ठाकुर दास जी की तकरीर को सुना और उसको सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो चीज वह कह रहे हैं उसके बारे में हमारा उनके साथ उसूली इख्तलाफ (सैद्धान्तिक मतभेद) है और यह मेरी बदकिस्मती है कि वह हमारी मिनिस्ट्री का जो नजरिया (दृष्टिकोण) है उसको समझ नहीं सके हैं।

तो जो मैं कहना चाहता था उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। जो हमारा इरादा है उसके बारे में भी जो कुछ कहना था यह मैंने कह दिया है। दो-चार दिन की बात उन्होंने कही। मैं भी मानता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस बिल को सिलैक्ट कमेटी में भेजने से कोई फायदा नहीं है। इसलिये मैं अपनी मोशन (प्रस्ताव) हाउस के सामने रखता हूं और पंडित ठाकुर दास जी की जो तहरीक (प्रस्ताव) है कि इसको सिलैक्ट कमिटी के सुपुर्द कर दिया जाय, मुझे बड़े अफसोस के साथ उसकी मुखालिफत (विरोध) करनी पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या १ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि निष्क्रांति सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम, १९५० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : कल।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो हम कल इस पर विचार करेंगे। अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६]

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव ... ३९३–९९

वल्लाथरास ने मद्रास-ट्यूटीकोरिन ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उसके बारे में रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने एक वक्तव्य दिया। प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने भी इस दुखद घटना पर भारत सरकार की ओर से शोक प्रकट करते हुए एक वक्तव्य दिया और लोक-सभा को सूचना दी कि श्री लाल बहादुर शास्त्री ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है और उनका राष्ट्रपति को त्यागपत्र स्वीकार कर लेने की सम्मति देने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी और कहा कि इस विषय पर शीघ्र ही चर्चा होगी।

इसके पश्चात् सदस्यगण ट्रेन दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३९९–४००

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) विधि आयोग द्वारा ३१ अक्तूबर, १९५६ तक किये गये कार्य का विवरण।

(२) विधि आयोग का प्रथम प्रतिवेदन (जिह्म में राज्य का दायित्व)।

(३) विधि आयोग का दूसरा प्रतिवेदन (बिक्री कर के सम्बन्ध में संसदीय विधान)।

(४) विधि आयोग का तीसरा प्रतिवेदन (परिसीमन अधिनियम, १९०८)।

(५) विधि आयोग का चौथा प्रतिवेदन (इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर उच्च न्यायालयों के बैंच बैठने चाहियें)।

(६) गृह-कार्य मंत्रालय की दिनांक २३ अक्तूबर, १९५६ की अधिसूचना संख्या १८/१८/५६–पब्० २–(ख) में प्रकाशित पुनर्गठित राज्य (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां) (जन-संख्या का निर्धारण) नियम, १९५६ की एक प्रति।

(७) सड़क परिवहन निगम (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का संख्या ८) के द्वारा तुरन्त विधान बनाने की आवश्यकता किन परिस्थितियों में हुई उन्हें बताने वाला विवरण।

(८) निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १६ के अधीन किन किन श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रमाणपत्र दिया जा सकता है उनके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के नियम १५ ख की एक प्रति।

पृष्ठ

राज्य-सभा से संदेश ... ४००

सचिव ने बताया कि राज्य्-सभा से निम्न दो सन्देश प्राप्त हुए हैं :

(१) कि राज्य-सभा २२ नवम्बर, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १५ नवम्बर, १९५६ को पारित संघ प्रदेश (विधियां) संशोधन विधेयक, १९५६ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) कि राज्य-सभा २२ नवम्बर, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १४ नवम्बर, १९५६ को पारित मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम अधिकारी) विधेयक, १९५६ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ४००

तैंतालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

पारित विधेयक ४०१–१५

फरीदाबाद विकास निगम विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विचाराधीन विधेयक ... ४१५–४४

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६ की कार्यावली—

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक और विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक पर विचार और उन्हें पारित करना । मद्रास-ट्यूटीकोरिन ट्रेन दुर्घटना के बारे में चर्चा ।

———

M38LSD—190—13-3-58—GIPF.